दशम माला,

22 जुलाई, 1992, 1914
(शक)

लोक सभा वाद विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

64
26/11/93

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 22 जुलाई, 1992/ 31 आषाढ, 1914 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
18	1	शीर्षक में "उद्य" के स्थान पर "उद्योग" पढ़िये।
41	नीचे से 11	"श्री टी.जे. अंजलोज" के स्थान पर "श्री थाइल जॉन अंजलोज" पढ़िये।
46	17	"राय मंत्री" के स्थान पर "राज्य मंत्री" पढ़िये।
64	नीचे से पंक्ति 3,6	"स्लीमपुर" के स्थान पर "सलेमपुर" पढ़िये।
79	8	"श्री रंगाराजन कुमारमंगलम" के स्थान पर "श्री रंगराजन कुमारमंगलम" पढ़िये।
83	नीचे से 5	"श्री माणिकराव होडल्या गावी" के स्थान पर "श्री माणिकराव होडल्या गावीत" पढ़िये।
84	12	"श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर" के स्थान पर "श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)" पढ़िये।
85	नीचे से 6	"श्रीमती माग्रेरेट अल्वा" के स्थान पर "श्रीमती मार्गरेट अल्वा" पढ़िये।
114	नीचे से 10	"श्री जिनेन्द्र नाथ दास" के स्थान पर "श्री जितेन्द्र नाथ दास" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 14, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 11, बुधवार, 22 जुलाई, 1992/31 आषाढ़ 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले के बारे में प्रश्नों के लिखित उत्तर	1, 219–220
तारांकित प्रश्न संख्या: 204 से 223	1—38
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2104 से 2117, 2119 से 2130, 2132 से 2152, 2154 से 2224, 2226 से 2294 और 2296 से 2336	38—219

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
116	नीचे से 8	"श्री उत्तमभाई ह0 पटेल" के स्थान पर "श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल" पढ़िये।
120	5	"रामीण उद्योग" के स्थान पर "ग्रामीण उद्योग" पढ़िये।
122	नीचे से 6	"श्री थाइल अंजलोज" के स्थान पर "श्री थाइल जॉन अंजलोज" पढ़िये।
175	नीचे से पंक्ति 4	श्री श्रवण कुमार पटेल का नाम पढ़िये।
	नीचे से पंक्ति 7	डा॰ डो॰ वेंकटेश्वर राव का नाम पढ़िये।
197	14	"पलार और ठुनका" के स्थान पर "पलामू और दुमका" पढ़िये।
199	4	"डा॰ वी॰ राजेश्वर" के स्थान पर "डा॰ वी॰ राजेश्वरन" पढ़िये।
213	पंक्ति 12 के पश्चात्	"श्री मनोरंजन भक्त" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 14, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 11, बुधवार, 22 जुलाई, 1992/31 आषाढ़ 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले के बारे में प्रश्नों के लिखित उत्तर		1, 219–220
तारांकित प्रश्न संख्या:	204 से 223	1—38
अतारांकित प्रश्न संख्या:	2104 से 2117, 2119 से 2130, 2132 से 2152, 2154 से 2224, 2226 से 2294 और 2296 से 2336	38—219

लोक सभा

बुधवार, 22 जुलाई, 1992 / 31 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के बारे में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : हम यह जानने के लिये यहां पर एकत्रित हुए हैं कि सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है। अभी तक तो हम यहां से बाहर ही रहे और हमने सरकार को कार्यवाही करने का अवसर दिया था.....**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : (बांकुरा) : मैंने प्रश्न-काल को स्थगित किये जाने की सूचना दी है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय बल भेजे हैं,.....**(व्यवधान)**

अयोध्या में जो भारी नरसंहार होने वाला है, उसके संबंध में चर्चा होनी चाहिए।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कोयला खानों के मुहानों पर ताप विद्युत परियोजनाएं शुरू करना

*204. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लि० को कोयला खानों के मुहानों पर विशाल ताप विद्युत परियोजनाएं शुरू करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो कोयला खानों के मुहानों पर ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का उपयोग किन्हीं निर्धारित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक किया जायेगा; और

(ङ) इन पर अनुमानतः कुल कितना खर्च आएगा?

कोयला मंत्रालय में तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) से (ङ) कोल इंडिया लि० द्वारा विद्युत की दीर्घावधि प्रक्षिप्त मांग को और ग्रिड से उसकी संभाव्य उपलब्धता को देखते हुए, कोल इंडिया लि० ने कोयला खानों में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में डीज़ल पर आधारित उत्पादन सैट स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने तीन स्थानों जैसे ई०सी०एल०, बी०सी०सी०एल और सी०सी०एल० के लिए प्रत्येक जगह एक-एक 20 मे०वा० क्षमता वाले तीन कोयला आधारित ग्रहीत विद्युत गृहों को स्वीकृति दी गई है। इन तीन ग्रहीत विद्युत गृहों पर लगभग 175 करोड़ रु० का कुल व्यय होने का अनुमान है।

इन गृहीत विद्युत गृहों की गहन भूमिगत खानों की आपातकालीन विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए स्थापना की गई है ताकि सुरक्षा और हवावातायन रोशनी तथा पम्पिंग सेवाओं के अनुरक्षण का सुनिश्चिय हो सके। चूंकि वाशरी परिचालन भी विद्युत रुकावटों के प्रति संवेदनशील है, अतः कोकिंग कोल वाशरियों को भी इन ग्रहीत गृहों से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

चूंकि कोयला खानों की विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है और ग्रिड से आपूर्ति की स्थिति निरंतर असंतोषप्रदत्त बनी हुई है, अतः कोल इंडिया लि० विभिन्न स्थलों पर कोयला पर आधारित अधिक ग्रहीत विद्युत गृहों की स्थापना करने की योजना बना रहा है। इन गृहों का आकार, भूमिगत खानों और कोकिंग कोयला वाशरियों की विद्युत की मांग, सेवा किए जाने वाले क्षेत्रों की सीमा तक और पारेषण प्रणाली की क्षमता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण

*205. **प्रो० रीता वर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाडिया इन्स्टीट्यूट आॅफ हिमालयन जियालोजी ने उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी के भूकम्प प्रभावित पर्वतीय क्षेत्रों का कोई भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण कर लिया गया है और क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) वाडिया इंस्टीट्यूट ने 20 अक्तूबर, 1991 को आए उत्तरकाशी भूकम्प से प्रभावित भूकम्प क्षेत्रों का भूकम्पी विवर्तनिक सर्वेक्षण किया है। इससे हुई हानि और विवर्तनिक विशेषताओं से इसके संबंध का अनुमान लगाने पर बल दिया गया था।

(ख) पार्टी ने निम्नलिखित गांवों का दौरा किया:—
तानाहानी, मैथाली, डुंडा, अंगोरा, गंगोरी, गणेशपुर, नल्द, नैताला, सिरौर, भीपणपुर, मैथाली, मनेरी, हिना, जमक, स्लैंज, सौड़ा, सारी, कुमालती, दिसारी, भटवारी, मुखोदा, तिहार, बरसु, बुखी, पाला, पैथल, गंधानी, भोजोरा, निसमाप, गैदयारा, खुरकोट, कामा, चांदपुर, गंजोली, लोथरु, बोजना, कुंजु, नतीन, विलंग, दवारी, भजवारा, फोखल, झक्खाली, बुड़ेकदाय और केदारनाथ। इस सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई रिपोर्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 2 दिसम्बर, 1991 को एक गोष्ठी आयोजित की जिसमें उत्तरकाशी भूकम्प के भूकम्पी पैरामीटरों का मूल्यांकन किया गया और भावी कार्य के लिए सिफारिशें की गई थीं।

बिहार में खादी तथा कुटीर उद्योग का विकास

*206. **श्री राम लखन सिंह यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में खादी और कुटीर उद्योग विकास हेतु प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लघु उद्योग स्थापित करने हेतु किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ग) किन-किन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार को इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (घ) ग्राम्य उद्योगों के अन्तर्गत के०वी० आई० सी० द्वारा विकास हेतु प्रस्तावित नयी योजनाएं इस प्रकार हैं:—

1. मिनी राइस मिल
2. दलिया निर्माण
3. पशु चारा / मुर्गीचारा
4. चमड़े हेतु कच्चा माल बैंक
5. रिटेनिंग एंड फिनिशिंग (वेट ब्ल्यू क्रस्ट के बाद)
6. दूध पर आधारित उत्पाद
7. क्यॉर के अतिरिक्त फायबर
8. हवाई चप्पल एकक

खादी एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु अनुदान तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के०वी०आई०सी० द्वारा बनाये गये वित्तीय सहायता के प्रतिमान के अनुसार दी जाती है। बिहार राज्य में पहाड़ी, सीमावर्ती, जनजातीय तथा कमजोर वर्गों हेतु सहायता का उदारीकृत प्रतिमान भी लागू है। के०वी०आई०सी० के उत्पादों के विपणन हेतु के०वी०आई०सी० द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

बिहार राज्य में कार्यक्रम चलाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान के०वी०आई०सी० द्वारा आबंटित की गई निधियां इस प्रकार हैं:—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1988-89	498.34	190.40	20.23	101.94
1989-90	485.61	209.10	20.63	125.49
1990-91	478.81	236.59	4.71	212.02

[अनुवाद]

बाल श्रम समाप्ति हेतु परियोजनाएं

*207. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:**
श्री चित्त बसु:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बाल श्रम समाप्ति के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को कितनी-कितनी धन राशि दिए जाने की संभावना है और इनके चयन के लिए क्या मानदण्ड रखे गए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक और कहां-कहां कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आई० पी० ई० सी०) प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जर्मनी तथा अन्य दानदाता देशों की सहायता से चलाया जा रहा है। भारत छः भागीदार देशों में से एक है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य संसाधनों और प्रतिभागी देशों द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित करना है ताकि वे अपनी राष्ट्रीय नीतियों के अंतर्गत बाल श्रम के अंतर्गत उन्मूलन के उद्देश्य से उसके उत्तरोत्तर विनियमन के लिए स्थितियों को बढ़ावा दे सकें। इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जागरूकता को बढ़ाने की भी व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का एक मुख्य अवयव फील्ड स्तर पर कार्यवाई उन्मुखी कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और संस्थानों को उत्साहित करना, बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति (एन एस सी) जिसमें सरकार, नियोक्ताओं, कर्मकारों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, का गठन मुख्यतया संगठन की अनुकूलता, कार्यक्रम का दृष्टिकोण और उसकी लागत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को सिफारिश करने के लिए कार्यक्रमों का चयन करने के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति द्वारा की गई प्रारंभिक सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यक्रम स्टीयरिंग समिति ने जिसका भारत भी एक सदस्य है, वर्ष 1992 और 1993 के दौरान भारत में शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए 1.55 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 4.5 करोड़ रु०) आवंटन का अनुमोदन किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सूचित किए गए व्यापक मानकों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति प्रत्येक कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा को अंतिम रूप देगी।

खाड़ी के देशों में भारतीय

*208. **श्री के०पी० रेड्डय्या यादव:**
श्री दत्तात्रेय बंडारू:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाड़ी के देशों में भारतीयों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने, देश-वार सेवारत हैं;

(ग) खाड़ी युद्ध के पश्चात् कुवैत और इराक को वापस गये भारतीयों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को उन देशों में इन भारतीयों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रघुनंदन लाल भाटिया:

(क) खाड़ी के विभिन्न देशों में भारतीय राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

कुवैत	87,000
सउदी अरब	650,000
इराक	470
संयुक्त अरब अमीरात	400,000
कतार	80,000
बहरीन	110,000
ओमान	250,000
यमन	7,650

(ख) खाड़ी के विभिन्न देशों में काम करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

कुवैत	85,000
सउदी अरब	585,000
इराक	450
संयुक्त अरब अमीरात	300,000
कतार	62,000
बहरीन	94,000
ओमान	173,000
यमन	7,350

(ग) खाड़ी युद्ध के बाद कुवैत और इराक लौटने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

कुवैत	80,000
इराक	430

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वे मुख्य रूप से रोजगार अनुबंधों को पूरा न किए जाने और नियोक्ता द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से संबंधित हैं। इन शिकायतों के संबंध में भारतीय राजदूतावासों द्वारा

संबंधित नियोक्ता से सम्पर्क किया जाता है तथा इनके मैत्रीपूर्ण निपटारे के लिए प्रयास किया जाता है। इसमें सफलता न मिलने पर भारतीय दूतावास स्थानीय प्राधिकारियों से हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध करते हैं। विदेश मंत्रालय इन मामलों को संबंधित देशों के राजदूतों के साथ भी उठाता है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

*209. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश को दिये जाने वाले वार्षिक अनुदान के अतिरिक्त उसे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए धन देती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश को गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कुल कितना धन दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त राशि में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल उत्तर प्रदेश के 8 पहाड़ी जिलों अर्थात् देहरादून, पौढ़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तर काशी, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश को विशेष सहायता के रूप में क्रमशः 170.81 करोड़ रुपये, 182.01 करोड़ रुपये और 182.01 करोड़ रुपये की कुल धनराशि आबंटित की गई थी।

(ग) से (ङ) आबंटनों में वृद्धि निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है जो फिलहाल संभव प्रतीत नहीं होती।

[अनुवाद]

नई औद्योगिक नीति का प्रभाव

*210. **श्री ए० चार्ल्स:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नई औद्योगिक नीति का लघु और अति लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु और अति लघु औद्योगिक क्षेत्र का वार्षिक उत्पादन कुल औद्योगिक उत्पादन का कितना प्रतिशत है; और

(घ) उद्योग के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु तथा अति लघु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा लगभग 35% है।

(घ) 6.8.91 को घोषित नीतिगत उपायों का उद्देश्य लघु तथा अति लघु उद्यमों को और अधिक शक्ति व विकास गति देना है।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी

*211. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:**
श्री राम विलास पासवान:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने ग्रामीण श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी पर पुनर्विचार करने के लिए क्या मानदण्ड और समयावधि निर्धारित की है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान न्यूनतम मजदूरी को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके क्या कदम उठाये गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने वाला मूलभूत कारक कर्मकार तथा 3 वयस्क उपभोग इकाइयों के उसके परिवार के लिये न्यूनतम निर्वाह भत्ता स्तर से संबंधित निर्वाह व्यय होना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक 6 महीने में महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी में दो वर्षों में एक बार संशोधन किया जाना चाहिए।

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन, क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन जैसे विभिन्न मंचों पर समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इस मामले में समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वित्तीय संकट

*212. **श्री गुरूदास कामत: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जो गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं;

(ख) इन उपक्रमों को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ग) इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन): (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में यथा प्रतिपादित रुग्णता की परिभाषा अपनाते हुये केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 67 उद्यमों को रुग्ण तथा वित्तीय संकट में होना माना

जा सकता है। बहरहाल, इनमें से सरकारी क्षेत्र के केवल 54 उद्यम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपे जाने योग्य हैं, क्योंकि वे रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अधीन आने वाली औद्योगिक कंपनियां हैं। दिनांक 31.3.1991 तक वित्तीय स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपे जाने योग्य कंपनियों के नामों के साथ-साथ उनके संचित घाटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं॰	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	31.3.1991 तक संचित घाटा (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	इंडियन आयरन एंड स्टील कं॰ लि॰	735.26
2.	भारत गोल्ड माइन्स लि॰	76.65
3.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि॰	52.46
4.	भारतीय उर्वरक निगम लि॰	1385.37
5.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो॰ लि॰	1181.15
6.	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि॰	59.65
7.	बंगाल इम्युनिटी लि॰	33.95
8.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि॰	434.08
9.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मा॰ लि॰	6.63
10.	उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि॰	1.79
11.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीक एंड फार्मास्युटिकल्स लि॰	19.34
12.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो॰ लि॰	7.91
13.	यू॰पी॰ ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स कंपनी लि॰	3.30
14.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल्स इंजीनियर्स लि॰	41.88
15.	ब्रथवेट एंड कंपनी लि॰	44.52
16.	भारी इंजीनियरी निगम लि॰	289.51
17.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो॰ लि॰	96.59
18.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि॰	22.34
19.	वेबर्ड (इंडिया) लि॰	8.25
20.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लि॰	16.22
21.	भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लि॰	64.94
22.	बीको लॉरी लि॰	46.02
23.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि॰	19.50
24.	इंटेलीजेंट् कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लि॰	0.61
25.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि॰	46.79
26.	रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लि॰	54.98

1	2	3
27.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि॰	7.63
28.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि॰	190.35
29.	कोचीन शिपयार्ड लि॰	166.11
30.	भारतीय साइकिल निगम लि॰	126.64
31.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि॰	351.55
32.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि॰	21.40
33.	भारतीय राष्ट्रीय बाइसाइकिल निगम लि॰	67.99
34.	स्कूटर्स इंडिया लि॰	260.73
35.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि॰	66.48
36.	बड्र्स, जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि॰	5.90
37.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि॰	55.56
38.	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लि॰ .	180.60
39.	नेशनल जूट मैन्यु॰ कारपो॰ लि॰	478.67
40.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि॰	123.98
41.	टेनरी एंड फुटवियर कारपो॰ ऑफ इंडिया लि॰	120.67
42.	भारतीय टायर निगम लि॰	70.21
43.	राष्ट्रीय बीज निगम लि॰	24.51
44.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि॰	4.00
45.	ब्रिटिश इंडिया कारपो॰ लि॰	77.47
46.	कानपुर टेक्सटाइल्स लि॰	22.10
47.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि॰	170.36
48.	नेटेका (मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल एंव माहे) लि॰	152.42
49.	नेटेका (गुजरात) लि॰	197.50
50.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि॰	206.03
51.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि॰	236.38
52.	नेटेका (महाराष्ट्र साउथ) लि॰	175.75
53.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि॰	232.05
54.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एंव उड़ीसा) लि॰	385.65
	जोड़	8868.38

यदि वही परिभाषा अपनाई जाती है तो निम्नलिखित गैर औद्योगिक कम्पनियां भी रुग्ण मानी जा सकती हैं:

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	31.3.1991 तक संचित घाटा (करोड़ रुपयों में)
1.	भारत लेदर कारपो० लि०	5.83
2.	इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नॉलॉजी डेवलपमेंट कारपो० लि०	7.56
3.	उत्तर पूर्वी हतशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	3.05
4.	दिल्ली परिवहन निगम	645.61
5.	वायुदूत	79.78
6.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि०	9.35
7.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	302.36
8.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	167.95
9.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०	33.00
10.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	399.52
11.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि०	67.19
12.	भारतीय होटल निगम लि०	48.63
13.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु० कारपो० ऑफ इंडिया	20.89
	जोड़	1790.62
	कुल जोड़	10659.00

(ग) उद्यम विशेष के बारे में सरकार और सम्बद्ध उद्यमों के प्रबंधकों द्वारा कार्रवाई की जाती है। रुग्ण औद्योगिक सरकारी क्षेत्र की कंपनियां पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी विशिष्ट योजनाएं बनाने के लिये, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपी जाने योग्य हैं। सरकार द्वारा इन उद्यमों के कार्यचालन के ब्यौरों की जांच करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति कभी गठित की गई है। अन्य रुग्ण उद्यमों के लिये प्रबंधकों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा पुनरुद्धार संबंधी योजनाएं बनाई जानी हैं।

[हिन्दी]

विटामिन ''सी'' की कमी

*213. **श्री नीतीश कुमार:**
डा० महादीपक सिंह शाक्य:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विटामिन ''सी'' की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो इसके अभाव के लिए जिम्मेदार हैं;

(ग) गत छः महीनों के दौरान इस संस्थानों ने अधिष्ठापित क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया है;

(घ) क्या सरकार ने इनके उत्पादन में गिरावट आने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है; और

(ङ) देश में विटामिन "सी" की पर्याप्त मात्रा में नियमित सप्लाई हेतु सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन): (क) जी, हां।

(ख) देश में प्रपुंज औषध विटामिन "सी" के दो उत्पादक हैं अर्थात् मै० जयन्त विटामिन्स लि० और मै० अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइजेज लि०। इन एककों विशेषतः मै० जयन्त विटामिन्स लि० के उत्पादन में गिरावट के कारण कमियां पैदा हो गई थीं।

(ग) कंपनियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार मै० जयन्त विटामिन्स के मामले में लगभग 40 प्रतिशत और मै० अम्बालाल साराभाई के मामले में 90 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ है।

(घ) और (ङ) हाल में बी आई सी पी द्वारा लागत तथा तकनीकी अध्ययन किया गया है और इसने उत्पादन में गिरावट के कारणों की भी जांच की है। इस अध्ययन के आधार पर विटामिन सी और इसके लवणों का मूल्य संशोधित करके बढ़ाया गया है और सूत्रयोगों के अधिकतम पैकों का मूल्य भी अधिसूचित किया गया है। उत्पादकों से अधिकतम उत्पादन करने के लिए कहा गया है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

[अनुवाद]

उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाया जाना

*214. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई 1991 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत जिन 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, उनके चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गये हैं;

(ख) जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना पहले से ही अनिवार्य था, उनके लिए क्या मानदंड अपनाये गये थे;

(ग) क्या सरकार ने उन उद्योगों की सूची को छोटा करने के लिए कोई पुनरीक्षा की है, जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) जुलाई, 1991 की नयी औद्योगिक नीति के अधीन अनिवार्य लाइसेंसीकरण में 18 उद्योग आते हैं। इन उद्योगों की सूची और अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन इन उद्योगों को शामिल करने के मानदण्ड इस प्रकार हैं:—

उद्योगों की सूची	अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन शामिल करने के लिए मानदण्ड
कोयला एवं लिग्नाइट पैट्रोलियम तथा उसके आसवन उत्पाद।	सामरिक महत्व के कारण
अल्कोहलिक पेयों का आसवन तथा उन्हें तैयार करना, तम्बाकू के सिगार एवं सिगरेट और निर्मित तम्बाकू स्थानापन्न मदें, चीनी, पशु वसा तथा तेल।	सामाजिक कारण
एस्बेस्टो तथा एस्बेस्टो आधारित उत्पाद, लकड़ी पर आधारित उत्पाद कच्चा चमड़ा तथा खाल, कमाया हुआ चमड़ा अथवा ड्रैस्ड फरकिन्स, खोई पर आधारित एककों को छोड़कर कागज तथा अखबारी कागज।	पर्यावर्णीय कारण
मोटर कार, मनोरंजन इलैक्ट्रानिक्स, व्हाइट गुड्स जैसे घरेलू रेफ्रीजरेटर डिस वासिंग मशीन, वासिंग मशीन, एयर कंडीशनर तथा माइक्रोवेव ओवन।	विशिष्ट वर्ग का उपभोग
इलेक्ट्रानिक एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण।	सुरक्षा कारण
औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ, खतरनाक रसायन औषध।	सुरक्षा कारण

(ग) और (घ) अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन उद्योगों की सूची की समीक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया है। परन्तु अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन उपर्युक्त सूची में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में औद्योगिक एकक

*215. **श्री भीम सिंह पटेल:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में बड़े/भारी उद्योग लगाने के लिए अनेक प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उद्योगों को कहां-कहां लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) जी, हां। कैलेंडर वर्ष 1989 से 1991 के दौरान मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए 535 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 107 को आशय पत्र प्रदान किए गए।

इनके ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश में उदयोगों की स्थापना के लिए 1989 से 1991 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों के एवज में स्वीकृत आशय पत्रों का ब्यौरा

क्र०सं०	पार्टी का नाम	स्थापना-स्थल	विनिर्माण की वस्तु
1.	मै० रेमंड सीमेंट वकर्स (रेमंड वुलन मिल्स लि० का प्रभाग), बम्बई-400038	बिलासपुर	पोर्टलैण्ड सीमेंट
2.	श्री अशोक कुमार तांतिया	रायपुर	स्टेनलैस स्टील छल्लेदार एवं बलदार कोरुगेटिड हांजिज इनफरल डायमीटर के
3.	मै० एम०पी० ऑयल्स एंड फैट्स (प्रा०) लि०	रायपुर	परिष्कृत वनस्पति तेल (सोयाबीन, रेपसीड, बिनौला) इत्यादि
4.	मै० रायपुर एलॉय्स एंड स्टील लि०	रायपुर	स्टील इन्गॉट्स एंड बिलेट्स
5.	मै० एम०पी० स्टेट को-आपरेटिव ऑयलसीड ग्रोवर्स फैडरेशन लि०	सिहोरी	परिष्कृत वनस्पति तेल इत्यादि।
6.	मै० आई०आई०एस०सी०ओ० उज्जैन पाइप एंड फाउण्डरी कं० लि०	उज्जैन	मै० एलॉय स्टीन पेन्सिल इन्सॉट्स
7.	मै० आई बी पी कं० लि०	सिधी	साइट मिक्सड बल्क इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स
8.	मै० मेटलमैन पाइप मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	मध्य प्रदेश	कोल्ड रोल्ड स्टीन स्ट्रिप्स
9.	मै० बायोकैम सायनर्जी प्रा० लि०	धार	रिफैम्पिसीन एम्पीसिलीन इत्यादि।
10.	श्री अजेन्द्र कुमार	रायसेन	पार्टीकल बोर्ड चिप बोर्ड इत्यादि।
11.	मै० सुनीता लैबोरेट्रीज लि०	इन्दौर	नौरफ्लैक्सीन
12.	मै० ट्रावनकोर कैमिकल्स एंड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	भिंड	सोडियम क्लोरेट
13.	मै० मेहता सीमेंट प्रा० लि०	धार	विशेष रूप से केबल तथा वायर इत्यादि।

क्र०सं०	पार्टी का नाम	स्थापना-स्थल	विनिर्माण की वस्तु
14.	ग्रेशिम इंडस्ट्रीज लि०	उज्जैन	क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड
15.	मै० गोदरेज एंड ब्वॉयसी मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	मध्य प्रदेश	घरेलू रेफ्रीजरेटर तथा फ्रीजर इत्यादि।
16.	मै० भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि०	भोपाल	पावर कैपिसिटर्स
17.	मै० इस्टर्न सर्किट्स लि०	राजगढ़	मड लॉगिंग हल
18.	मै० इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लि०	धार	सिंथेटिक/ब्लैंडिड तथा कॉटन यार्न
19.	मै० अनिल कैमिकल लि०	सिधी	ईंधन तेल मिश्रित अमोनियम नाइट्रेट
20.	मै० राजा राम एंड ब्रदर्स	मन्दसौर	डैक्सट्रैस इन्हाइड्रस
21.	श्री ए०डी० बत्रा	रायसेन	बीयर
22.	मै० मोहन इंटरनेशनल लि०	रायपुर	पाली जूट ब्लैंकिट इत्यादि
23.	मै० सेठ गोविन्द राम शुगर मिल्स	उज्जैन	चीनी
24.	मै० सिद्धार्थ ट्यूब्स लि०	राजगढ़	ब्लैक एंड गाल्वनाइज्ड स्टील ट्यूब्स इत्यादि।
25.	दि एसोसिएटिड सीमेंट कं० लि०	जबलपुर	पोर्टलैण्ड सीमेंट
26.	मै० ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि०	भिंड	फाइबर इत्यादि की सभी प्रकार की प्रोसैसिंग मशीनें।
27.	श्री मनोज कुमार अग्रवाल	बिलासपुर	राइस ब्रैन ऑयल इत्यादि।
28.	मै० शंकर शुगर मिल्स	देवरिया	चीनी
29.	श्री ए०एल० बत्रा	रायसेन	पोर्टलैण्ड अल्कोहल
30.	मै० गोदरेज सोप्स लि०	भिंड	फैटी एसिड ग्लीसरीन इत्यादि
31.	मै० जदरा शुगर मिल्स	रतलाम	चीनी
32.	मै० लारसन एंड टुब्रो लि०	रायपुर	पोर्टलैण्ड सीमेंट—सभी किस्मों का
33.	मै० क्रॉम्पटन ग्रीव्स लि०	धार	अनइंटरपटिबल पावर सिस्टम्स (500 के वी ए से 6600 के वी ए)
34.	मै० लारसन एंड टुब्रो लि०	भिंड	ओ टी एस कैम तथा प्रिंटड मेटल कंटेनर्स
35.	मै० क्रॉम्पटन ग्रीव्स लि०	रायसेन	ट्रांसफार्मर्स तथा रिएक्टर्स
36.	मै० फैरो-कंकरीट कं० इंडिया लि०	मध्य प्रदेश	स्टील स्लैब/बिलैट्स

क्र०सं०	पार्टी का नाम	स्थापना-स्थल	विनिर्माण की वस्तु
37.	मै० अनिल कैमिकल्स लि०	बिलासपुर	ईंधन तेल मिश्रित अमोनियम नाइट्रेट
38.	मै० नर्मदा शुगर लि०	खरगांव	क्रिस्टल व्हाईट शुगर
39.	मै० श्री क्लोरेट	धार	सोडियम क्लोरेट
40.	मै० ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि०	रायपुर	पोर्टलैण्ड सीमेंट
41.	मै० भीलवाड़ा स्पिनर्स लि०	धार	पॉलिएस्टर/विस्कोस ब्लैंडिड यार्न
42.	मै० खेतान कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि०	खरगांव	सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि
43.	मै० यूनिटि स्टील्स लि०	रायपुर	फेरो निकिल
44.	मै० जी०एम० मित्तल स्टेनलैस स्टील लि०	धार	फेरो निकिल
45.	मै० दि भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लि०	होशंगाबाद	कॉमर्शियल व्हाइट शुगर
46.	मै० महाराष्ट्र एक्सप्लौसिव्स लि०	सिधि	साईट मिक्सड स्लरी एक्सप्लोसिव्स इत्यादि
47.	मै० रुचि न्यूट्रिशियन्स	झबुआ	शिशु दुग्ध आहार इत्यादि
48.	मै० भानु आयरन एंड स्टील कं० लि०	धार	माइल्ड स्टील/स्टेनलैस स्टील इत्यादि
49.	मै० टुमुस इलैक्ट्रिक कारपोरेशन लि०	रेवा	सैकेंडरी जिंक
50.	मै० क्रॉम्पटन ग्रीव्स लि०	भिंड	एकसेसरीज सहित इंडस्ट्रियल लोकोमोटिव
51.	मै० सुनीता इंडस्ट्रीज लि०	इन्दौर	अमोनियम हैफ्ता मैलिबिटा इत्यादि
52.	मै० ल्यूपित लैबोरेटरीज लि०	रायसेन	कैगट्रॉएक्सॉन डाई-सोडियम बल्क ड्रग इत्यादि
53.	मै० हिंद फिल्टर्स लि०	धार	पालिएस्टर-विस्कोस/कॉटन यार्न
54.	मै० हिंद सिंटैक्स लि०	राजगढ़	मानव निर्मित रेशों से सिंथेटिक ब्लैंडिड यार्न
55.	श्री बजरंग लाल अग्रवाल	रायपुर	फेरो निकिल
56.	श्री अरुण गोयल	दातिया	फेरो निकिल
57.	श्री अशोक अग्रवाल	छिंदवाड़ा	फेरो निकिल
58.	श्री मुकेश भंडारी	झबुआ	फेरो निकिल
59.	मै० आटो फोर्ज (मध्य प्रदेश) प्रा० लि०	देवास	स्टील फोर्जिंगस इत्यादि
60.	श्री छट्टू सिंह	भिंड	कोल्ड रोल्ड फोर्मड सैक्शन
61.	मै० प्रिमियर सोल्वेंट एंड कैमिकल्स इंडस्ट्री	भिंड	इथाईल एसिटेट

क्र०सं०	पार्टी का नाम	स्थापना-स्थल	विनिर्माण की वस्तु
62.	मै० मालनपुर लैदर लि०	भिंड	फिनिश्ड लैदर हाईड्स इत्यादि
63.	मै० दि रेमण्ड वुलन मिल्स लि०	छिंदवाड़ा	वस्त्र
64.	मै० मैसूर सीमेंट्स लि०	रायपुर	पोर्टलैण्ड सीमेंट्स
65.	मै० प्राइम सोल्वेंट एक्सट्रेक्शन लि०	छिंदवाड़ा	पैकेज रिफाइन्ड वैजिटेबल ऑयल
66.	मै० हिमल्टन शूज (प्रा०) लि०	भिंड	चमड़े इत्यादि से बने हुए शू अपर्स
67.	मै० फेरो कंकरीट कं० इंडिया लि०	धार	स्टील स्लैब्स इत्यादि
68.	मै० फेरो कंकरीट कं० इंडिया लि०	धार	हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स इत्यादि
69.	मै० एस टी आई बाइप्लस ट्यूबिंग (इं०) लि०	देवास	इलैक्ट्रॉलिट्कली कॉपर कोटिड स्टील स्ट्रिप्स इत्यादि
70.	मै० जे०डी० जैन	भिंड	कोल्ड रोल्ड सेक्संस इत्यादि
71.	मै० रायपुर एलॉयड एंड स्टील लि०	रायपुर	हॉट शेल्ड स्ट्रिप्स
72.	मै० फेरो कंकरीट इंडिया लि०	धार	जी०पी० / जी०सी० शीट्स इत्यादि
73.	मै० रूचि सोया इंडस्ट्रीज लि०	इंदौर	वनस्पति
74.	मै० कुसुम इन्गॉट्स एंड एलायज लि०	धार	स्टील राउन्डस इत्यादि
75.	मै० प्रकाश ट्यूब्स लि०	भिंड	एनर्जी सेविंग कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स
76.	मै० स्वासतिक फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि०	धार	सलफ्यूरिक एसिड इत्यादि
77.	श्री निर्मल कोठारी	भिंड	कॉटन यार्न
78.	श्री पंकज जाजू	धार	बायक्सियली ओरिएंटिड पालिएस्टर इत्यादि
79.	मै० रायपुर एलॉयज एंड स्टील लि०	रायपुर	स्टील की सभी श्रेणियों के सभी प्रकार तथा आकार के रोल्ड प्रॉडक्ट्स
80.	मै० धार इस्पात (प्रा०) लि०	धार	कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स
81.	मै० हिंदुस्तान डैवलपमेंट कार्पो० लि०	भिंड	मैन्यूफैक्चर्ड शेपड प्राडक्ट के लिए कम्पोजिट स्टील यूनिट
82.	मै० डेकोरा ट्यूब्स (प्रा०) लि०	धार	वैल्डिड स्टेनलैस स्टील ट्यूब्स इत्यादि
83.	मै० हनुमान माइनर ऑयल्स (प्रा०) लि०	रायपुर	माइनर ऑयल शील्ड्स की पेरा
84.	मै० यूनियन पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०	रायसेन	इंडोसल्फेन टैक्नीकल
85.	मै० प्रद्युमन गांदीवाला	मंदसौर	कॉटन यार्न इत्यादि

क्र०सं०	पार्टी का नाम	स्थापना-स्थल	विनिर्माण की वस्तु
86.	मै० सुनीता लैब लि०	इंदौर	डाईक्लोफेनेक सोडियम बी०पी० यू०एस०पी० इत्यादि
87.	मै० कैमिला प्रा० लि०	देवास	रिफाइंड वैजिटेबल आॅयल्स
88.	मै० प्रेसिम इंडस्ट्रीज़ लि०	उज्जैन	कास्टिक सोडा
89.	मै० विवेक राजगडिया	रायसेन	फाइबर आप्टिक संचार व्यवस्था के लिए कनैक्टर्स तथा उपस्कर
90.	मै० विंध्या टेलीलिंक्स लि०	रीवा	कायल्ड/स्ट्रेट कार्ड्स
91.	मै० क्राम्पटन ग्रीवज़ लि०	भिंड	लाइटनिंग एरेस्टर्स
92.	मै० आशा शैलेश	देवास	बीयर
93.	मै० रैनबेक्सी लैब लि०	देवास	गिन्सेंग एक्सट्रेक्ट आदि पर आधारित कैप्सूल
94.	मै० बी०एल० कैमिकल्स इंडस्ट्रीज़ लि०	टीकमगढ़	एथिल एसिटेट
95.	मै० भिलाई इन्जी० कार्पो० लि०	दुर्ग	ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड कोक आदि
96.	मै० रेलसन टायर्स प्रा० लि०	रायसेन	साइकिल/रिक्शा टायर्स और ट्यूब
97.	मै० लुपिन लैब लि०	रायसेन	एटिनोलोल
98.	मै० रूचि स्ट्रीप्स एंड एलोयस लि०	धार	कोल्ड रोल्ड स्टील शीट्स
99.	मै० गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि०	सतना	पोर्टलैंड सीमेंट
100.	मै० वोल्टास लि०	धार	रैफ्रीजैरेटर एंड कम्परेसर
101.	मै० ल्यूपिन लैब लि०	रायसेन	नाडोलोल इत्यादि
102.	मै० रेनबैक्सी लैब लि०	देवास	सीपरोफलोक्सीन बल्क ड्रग इत्यादि
103.	मै० ग्वालियर शुगर कं० लि०	ग्वालियर	एथिल एल्कोहल
104.	मै० डी टी टूल्स एंड इक्युपमैंट्स लि०	इंदौर	कोल्ड रोलिंग मिल रोल्स
105.	मै० हनुमान क्रोमोकोट्स लि०	चांदीबारा	विभिन्न प्रकार के कोटेड पेपर और पेपर बोडर्स इत्यादि
106.	मै० ल्यूपिन लैब लि०	रायसेन	फारमास्यूटिकल फारम्यूलेशन्स
107.	मै० बी०डी०एच० फारमास्यूटिकल्स लि०	इंदौर	डिसइनफेक्टेन्टस स्टर्लाइसिंग सोलियुशन्स इत्यादि

विषैली गैसों का प्रयोग करने वाले उद्य

*216. **श्री तेज नारायण सिंह:**

श्री राजेश कुमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अनेक कारखाने अथवा उद्योग विषैली गैसों अथवा . नक प्रभाव वाली सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन उद्योगों में पर्याप्त सुरक्षोपाय होने के संबंध में जांच करने के लि कोई एजेंसी नियुक्त की है;

(ग) क्या भोपाल गैस त्रासदी को ध्यान में रखते हुए इन सभी उद्योगों के सुरक्षा उपायों की जांच के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कारखानों में सुरक्षा से मुख्यतः श्रम मंत्रालय संबंधित है। उन्होंने जानकारी दी है कि कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन किसी कारखाने में सुरक्षा सुनिश्चित करने का मूल दायित्व कारखाना प्रबंधकों का है। राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन समय-समय पर यह जांच करते हैं कि प्रबंधकों द्वारा सुरक्षा उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। श्रम मंत्रालय ने भी जानकारी दी है कि सुरक्षा उपायों की जांच करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

*217. **श्री भोगेन्द्र झा:**

श्री सैयद शाहाबुद्दीन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आवंटित की गई, खर्च की गई तथा उपयोग न की गई धनराशियों का राज्यवार और कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु आवंटित की गई धनराशियां का राज्यवार और कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधियों के दौरान राज्यवार और कार्यक्रमवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) पांच प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध कराई गई निधियों, किए गए खर्च और खर्च न की गई बकाया राशि का राज्यवार और कार्यक्रमवार ब्यौरा संलग्न विवरण 1—5 में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 1992-93 के लिए राज्यवार और कार्यक्रमवार, मोटे तौर पर आवंटित निधियां और साथ ही इन प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्यवार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण 6—10 में दर्शायी गई हैं।

विवरण-I

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों, किए गए खर्च और खर्च न की गई बकाया राशि

(लाख रुपए में)

		1989-90			1990-91			1991-92		
क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिलीज की गई कुल निधियां (राज्य केन्द्र)	कुल खर्च	1.4.90 को पिछले वर्षों सहित खर्च न की गई बकाया राशि	रिलीज की गई कुल निधियां (राज्य केन्द्र)	कुल खर्च	1.4.91 को खर्च न की गई बकाया राशि	रिलीज की गई कुल निधियां (राज्य केन्द्र)	कुल खर्च (अनन्तिम)	1.4.92 को खर्च न की गई बकाया राशि (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	5359.88	6024.20	801.64	6089.92	7200.12	906.17	5099.08	6598.98	अप्राप्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	351.39	279.21	272.02	208.19	278.58	296.25	190.19*	301.03	अप्राप्य
3.	असम	1557.58	1735.86	195.33	1578.05	1762.26	303.85	1226.31	1286.32	अप्राप्य
4.	बिहार	7152.67	9366.77	2565.36	8016.94	9948.86	2549.08	6222.66*	8881.29	1164.12
5.	गोआ	85.82	109.92	9.60	93.35	106.72	अप्राप्य	97.14	97.83	अप्राप्य
6.	गुजरात	2255.07	2643.33	(-)148.41	2238.50	2341.24	(-)156.72	2395.59	2770.44	-89.79
7.	हरियाणा	1149.23	1163.71	60.25	943.60	1002.65	44.00	711.52	797.79	42.17
8.	हिमाचल प्रदेश	285.35	563.41	91.69	332.15	411.62	148.38	211.00*	375.45	अप्राप्य
9.	जम्मू व कश्मीर	402.96	438.88	138.62	455.15	516.11	175.42	309.56	418.15	अप्राप्य
10.	कर्नाटक	3073.82	2986.13	599.66	2938.02	3076.53	611.61	2670.43	2839.88	651.50
11.	केरल	1827.96	1926.69	237.59	1804.03	2043.51	(-)1.90	1728.80	2032.56	अप्राप्य
12.	मध्य प्रदेश	5047.51	6661.43	3638.34	6502.02	8376.81	2548.10	6535.90	9371.30	812.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	5670.04	5992.69	964.42	5314.61	5722.53	899.40	5003.33	5633.70	876.77
14.	मणिपुर	132.34	97.56	54.44	147.53	136.27	32.28	77.33*	162.74	अप्राप्य
15.	मेघालय	117.84	133.58	35.86	184.35	172.93	79.21	127.63	175.23	40.75
16.	मिजोरम	193.21	201.25	6.57	214.20	214.81	12.61	196.79	221.36	10.73
17.	नगालैंड	199.32	264.85	197.56	148.01	257.69	6.17	270.48	315.47	5.47
18.	उड़ीसा	3428.22	3063.53	1295.17	3111.96	3637.09	881.55	3255.41	4116.98	590.13
19.	पंजाब	1245.22	1251.59	60.96	1026.28	1050.47	42.36	860.66	922.31	50.54
20.	राजस्थान	3417.45	3386.97	1051.07	3787.66	3563.24	1275.49	3123.93	4166.43	871.51
21.	सिक्किम	37.16	49.53	5.04	36.58	37.17	4.27	48.56	54.92	4.52
22.	तमिलनाडु	4641.67	5159.64	91.92	4477.36	5010.43	100.42	4507.19*	4474.87	332.58
23.	त्रिपुरा	446.29	400.67	38.81	544.02	354.65	222.81	335.16	410.72	अप्राप्य
24.	उत्तर प्रदेश	14959.30	15378.18	4078.25	13966.43	16969.98	2773.08	14125.95	17055.40	797.81
25.	पश्चिम बंगाल	6758.70	7887.23	218.56	6304.56	6588.96	132.55	6258.01	6591.99	अप्राप्य
26.	अंड०निका०द्वी०सं०	38.22	51.53	17.29	42.46	41.21	23.61	39.12	40.71	अप्राप्य
27.	चंडीगढ़	कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया								
28.	दादरा व न०हवेली	10.68	9.79	4.22	9.33	9.26	4.43	6.87	8.69	अप्राप्य
29.	दमन व दीव	18.31	15.23	10.09	9.78	15.01	6.67	12.46	11.28	अप्राप्य
30.	दिल्ली	32.44	43.07	15.25	34.86	43.87	6.34	41.45	29.47	अप्राप्य
31.	लक्षद्वीप	13.23	13.76	—	5.01	9.18	4.64	5.00	8.04	2.27
32.	पांडिचेरी	36.52	42.73	17.83	37.25	49.09	5.19	39.04	40.26	अप्राप्य
	अखिल भारतः	69945.30	76542.92	16625.00	70602.16	80948.85	13936.13	65732.55	80212.17	6163.42

* राज्यों की रिलीजों के संबंध में पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। नोटः केन्द्र शासित क्षेत्रों के मामले में केवल केन्द्रीय रिलीजें।

विवरण-II

जवाहर रोजगार योजना के संबंध में वर्षवार 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान उपलब्ध करायी गई निधियां, किए गए खर्च और खर्च न की गई बकाया राशि (राज्यवार)

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ-शासित क्षेत्र	वित्तीय स्थिति								
		1989-90			1990-91			1991-92		
		आवंटित निधियां	खर्च	खर्च न की गई बकाया राशि	आवंटित निधियां	खर्च	खर्च न की गई बकाया राशि	आवंटित निधियां	खर्च	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	23204.14	18415.55	4788.59	24535.87	19317.09	5218.78	24662.54	19076.09	5586.45
2.	अरूणाचल प्रदेश	376.99	165.40	211.59	530.90	223.75	307.15	340.96	222.58	118.38
3.	असम	6645.41	4801.66	1843.75	6603.75	5648.57	955.18	5289.53	4996.03	293.50
4.	बिहार	46891.07	31690.69	15200.38	51663.81	43733.76	7930.05	43467.28	34102.07	9365.21
5.	गोआ	418.71	292.35	126.36	340.72	277.12	63.60	417.09	364.56	52.53
6.	गुजरात	10382.98	8076.28	2306.70	9723.54	7513.03	2210.51	10399.28	10039.31	359.97
7.	हरियाणा	2193.47	1970.95	222.52	2257.19	2085.43	171.76	2740.54	2318.97	421.57
8.	हिमाचल प्रदेश	1409.16	987.48	451.68	1500.19	1270.68	229.51	1434.69	1133.31	301.38
9.	जम्मू व कश्मीर	2043.26	1770.50	272.76	2272.76	1636.30	636.46	3127.59	2046.64	1080.95
10.	कर्नाटक	13986.04	10942.81	3043.23	13885.23	10892.31	2992.92	14644.78	11505.99	3138.79
11.	केरल	8080.03	6587.35	1493.48	7569.86	6819.92	749.94	7062.12	7274.76	—
12.	मध्य प्रदेश	33029.95	20562.93	12467.02	35631.08	24234.17	11396.91	32796.30	31196.43	1599.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	24074.81	21059.06	3015.75	22639.94	19254.92	3385.02	19604.60	18124.11	1480.49
14.	मणिपुर	526.99	440.01	86.98	550.96	490.06	60.90	202.18	206.77	—
15.	मेघालय	794.27	172.29	621.98	867.21	339.35	527.86	1140.10	481.47	658.63
16	मिजोरम	189.71	188.07	1.64	835.30	833.41	1.89	230.32	258.32	—
17.	नागालैंड	504.99	504.99	—	617.46	617.46	—	723.55	802.80	—
18.	उड़ीसा	15554.98	10445.27	5109.71	17848.76	12845.26	5003.52	15454.12	14033.59	1420.53
19.	पंजाब	1922.65	1720.68	201.97	1804.34	1222.55	581.79	2224.82	1053.97	1170.85
20.	राजस्थान	16639.91	10648.94	5990.97	19141.37	17087.49	2053.88	11529.41	13206.41	—
21.	सिक्किम	216.44	155.85	60.59	215.55	197.78	18.77	355.73	328.62	27.11
22.	तमिलनाडु	21435.71	20162.77	1322.94	21389.05	19661.60	1727.45	16791.86	21131.70	—
23.	त्रिपुरा	642.04	542.26	99.78	609.54	525.40	84.14	648.13	602.99	45.14
24.	उत्तर प्रदेश	62257.14	52950.57	9306.57	57845.19	45773.98	12071.21	56618.22	48146.91	8471.31
25.	पश्चिम बंगाल	28582.73	19975.36	8607.37	28428.52	17019.09	11409.43	24676.64	19106.19	5570.45
26.	अंडमान व निकोबार	74.70	95.59	79.11	157.40	102.02	55.38	107.54	81.12	26.42
27.	चंडीगढ़	41.07	27.00	14.07	42.21	12.29	—	—	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	101.73	89.01	12.72	93.46	66.53	26.33	105.43	103.58	1.85
29.	दिल्ली	187.42	90.39	97.02	189.12	56.84	—	—	—	—
30.	दमन व द्वीव	64.63	32.28	32.35	57.39	15.46	41.93	46.31	27.23	19.08
31.	लक्षद्वीप	84.00	52.12	31.88	124.55	64.72	59.83	85.66	47.78	37.88
32.	पांडिचेरी	212.64	194.20	18.44	259.84	164.48	95.36	175.72	196.66	—
	अखिल भारत	322920.37	245810.66	77109.91	330233.08	260002.82	70068.06	297103.00	262216.96	41248.34

विवरण-III

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में वर्ष 1989-90, 1990-91 के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों, खर्च की गई राशि तथा खर्च न की गई बकाया राशि को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

(लाख रुपए में)

क्रमांक	राज्य/संघ-शासित क्षेत्र	वित्तीय स्थिति								
		1989-90			1990-91			1991-92		
		उपलब्ध निधियां	खर्च	खर्च न की गई बकाया राशि	उपलब्ध निधियां	खर्च	खर्च न की गई बकाया राशि	उपलब्ध निधियां	खर्च	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1375.49	1234.46	139.03	1435.05	1244.66	190.39	1428.01	1332.08	95.93
2.	बिहार	1081.05	887.35	19.37	952.23	510.94	441.29	904.12	518.14	385.98
3.	गुजरात	798.23	791.22	7.01	732.57	(-) 830.36	97.79	749.58	736.37	13.21
4.	हरियाणा	106.95	153.79	7.16	156.13	152.37	3.76	143.20	113.64	29.56
5.	जम्मू व कश्मीर	224.75	223.22	1.53	284.50	143.06	141.44	316.96	331.23	(-) 14.27
6.	कर्नाटक	1272.21	1041.35	230.86	1417.16	1140.02	277.14	1299.41	1197.40	102.01
7.	मध्य प्रदेश	1034.32	693.05	341.27	1031.40	678.58	352.82	1109.57	952.30	157.27
8.	महाराष्ट्र	1456.55	1362.93	93.62	1406.39	1266.18	140.21	1393.40	963.99	429.41
9.	उड़ीसा	792.16	537.55	254.61	655.22	545.47	109.75	807.64	726.29	81.35
10.	राजस्थान	620.58	518.38	102.20	580.24	510.87	69.37	618.86	485.09	133.77
11.	तमिलनाडु	909.03	700.20	208.83	726.27	739.38	(-) 13.11	685.86	670.92	14.94
12.	उत्तर प्रदेश	1836.08	1328.21	507.87	1732.64	1027.07	705.57	1776.62	1363.54	413.08
13.	पश्चिम बंगाल	621.21	485.38	135.83	654.06	293.51	360.55	631.31	308.33	322.98
	योग:	12182.60	9957.09	2049.19	11763.90	9082.47	2681.39	11864.50	9699.32	2165.22

विवरण-IV

मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०)

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के संबंध में वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों, खर्च की गई राशि तथा खर्च न की गई बकाया राशि को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

(लाख रुपए में)

		वित्तीय स्थिति								
		1989-90			1990-91			1991-92		
क्रम संख्या	राज्य	उपलब्ध निधियां	खर्च	खर्च न की गई बकाया राशि	उपलब्ध निधियां	खर्च	खर्च न की गई बकाया राशि	उपलब्ध निधियां	खर्च	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	गुजरात	334.23	278.06	56.17	298.30	254.48	43.82	280.15	280.47	0.32
2.	हरियाणा	502.73	445.57	57.16	499.16	470.40	28.76	470.90	344.12	126.78
3.	हिमाचल प्रदेश	239.50	214.60	24.90	225.26	202.01	23.25	238.49	187.59	50.90
4.	जम्मू व कश्मीर	301.96	306.87	(-) 4.91	300.50	300.29	0.21	305.44	305.33	0.11
5.	राजस्थान	4511.89	3655.82	856.07	4520.99	4700.70	(-) 179.71	3916.84	3649.32	267.52
	योग:	5890.31	4900.92	989.39	5844.21	5927.88	(-) 83.67	5211.82	4766.83	445.63

विवरण - V

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्य क्रम के अंतर्गत 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान रिलीज की गई निधियों, किए गए खर्च और बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989-90			1990-91			1991-92		
		रिलीज	खर्च	31.3.90 को गत वर्षों सहित बकाया राशि	रिलीज	खर्च	31.3.91 को गत वर्षों सहित बकाया राशि	रिलीज	खर्च	31.3.92 को गत वर्षों सहित बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	24.000	29.330	—	23.110	23.010	—	25.47	29.45	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.550	3.326	—	4.140	3.370	—	2.94	2.99	—
3.	असम	15.500	14.896	0.604	10.270	11.784	0.000	13.70	17.62	—
4.	बिहार	27.120	29.465	4.530	20.330	10.927	13.933	23.55	26.45	11.0333
5.	गोआ	0.260	0.267	0.050	0.500	0.375	0.175	0.55	0.79	—
6.	गुजरात	11.344	10.852	—	14.010	13.650	0.000	16.33	12.19	4.14
7.	हरियाणा	6.093	5.799	4.296	4.786	7.965	1.117	7.20	8.24	0.077
8.	हिमाचल प्रदेश	6.410	6.410	0.022	6.400	6.422	—	6.41	4.82	1.59
9.	जम्मू और कश्मीर	20.865	21.847	1.456	14.250	15.69	0.016	15.28	20.03	11 126
10.	कर्नाटक	23.430	24.710	1.787	21.418	18.705	4.500	23.30	20.39	7.41
11.	केरल	8.900	10.017	4.488	10.760	15.248	—	11.91	13.68	—
12.	मध्य प्रदेश	29.070	30.640	6.063	20.272	26.335	—	32.31	33.49	—
13.	महाराष्ट्र	24.664	35.744	—	33.654	25.262	6.331	33.90	24.84	15.391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मणिपुर	3.080	3.067	0.070	3.080	3.075	0.075	3.00	2.36	0.715
15.	मेघालय	4.200	3.813	—	4.200	3.780	0.057	4.20	3.34	0.917
16.	मिजोरम	2.268	2.260	0.782	1.170	1.162	0.790	1.29	1.75	0.33
17.	नागालैंड	4.205	5.200	—	4.420	2.596	1.402	3.87	2.10	3.172
18.	उड़ीसा	9.189	7.389	1.940	18.374	15.364	4.950	11.73	11.65	5.03
19.	पंजाब	4.138	5.948	1.132	3.840	4.972	—	4.24	4.24	—
20.	राजस्थान	41.050	41.790	0.839	37.530	38.369	—	41.83	41.83	—
21.	सिक्किम	3.886	4.000	—	3.740	3.398	0.000	4.20	3.83	0.37
22.	तमिलनाडु	23.260	24.111	7.652	18.240	25.892	—	20.19	24.41	—
23.	त्रिपुरा	3.293	4.063	—	2.530	1.201	0.688	3.50	1.22	2.968
24.	उत्तर प्रदेश	44.480	55.030	—	42.680	38.306	—	47.24	34.81	12.43
25.	पश्चिम बंगाल	16.509	16.066	2.132	13.384	13.727	1.789	12.06	13.90	—
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.400	0.465	—	0.825	0.636	—	0.20	0.00	0.20
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—
29.	दमन व दीव	0.100	—	—	0.528	0.000	0.000	2.40	2.82	—
30.	दिल्ली	0.00	—	—	0.097	0.000	0.097	0.07	0.11	0.057
31.	लक्षद्वीप	—	0.040	0.045	0.000	0.045	0.000	0.00	0.05	—
32.	पांडिचेरी	3.370	0.250	—	0.130	0.065	0.082	0.10	0.10	0.082
	अखिल भारत:	359.626	396.795	37.88	338.708	331.334	35.830	373.05	369.20	65.912

विवरण-VI

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1992-93 के दौरान आबंटित निधियों के साथ-साथ 1989-90 से लेकर 1991-92 के दौरान भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93 के दौरान आबंटन (लाख रु० में)	लक्ष्य (लाख श्रम दिन)			उपलब्धियां (लाख श्रम दिन)		
			1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	18693.20	772.78	919.98	698.88	727.43	810.66	728.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	322.51	9.60	12.40	12.47	7.25	8.44	6.57
3.	असम	4988.36	155.26	122.75	100.94	122.51	126.02	124.02
4.	बिहार	37517.48	944.19	1125.86	893.77	907.31	1130.05	836.73
5.	गोआ	348.46	10.52	11.91	10.96	8.62	8.88	9.56
6	गुजरात	7891.05	198.87	242.72	244.72	202.93	188.82	254.13
7.	हरियाणा	1879.28	34.12	37.60	37.67	34.13	35.03	36.03
8.	हिमाचल प्रदेश	1107.26	32.04	33.68	30.47	37.86	35.86	34.16
9.	जम्मू और कश्मीर	1571.74	54.86	61.68	95.88	52.19	54.27	55.13
10.	कर्नाटक	11762.09	490.11	570.87	418.36	407.56	486.56	401.64
11.	केरल	6238.34	214.18	244.83	138.98	231.79	180.96	177.08
12.	मध्य प्रदेश	25750.93	1129.83	1156.31	812.43	932.24	958.57	945.39
13.	महाराष्ट्र	19920.80	749.60	859.99	654.72	795.93	850.22	771.64
14.	मणिपुर	413.36	10.84	9.83	3.87	10.50	12.16	5.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	मेघालय	483.68	15.27	18.98	23.07	4.02	7.88	12.02
16	मिजोरम	203.75	3.35	4.48	3.71	4.79	19.69	5.94
17.	नागालैण्ड	518.46	16.83	21.26	21.71	20.29	18.98	31.76
18.	उड़ीसा	12771.76	612.13	324.61	300.09	517.63	341.97	348.86
19.	पंजाब	1634.30	28.88	31.72	29.42	34.23	21.81	17.96
20.	राजस्थान	12489.26	439.21	392.43	242.64	443.77	506.01	387.63
21.	सिक्किम	188.76	7.07	7.91	9.58	6.28	8.80	13.62
22.	तमिलनाडु	16798.61	776.39	688.95	521.03	910.81	755.21	831.74
23.	त्रिपुरा	536.90	18.88	19.81	19.02	19.53	19.06	20.71
24.	उत्तर प्रदेश	49832.36	1436.28	1703.11	1472.69	1624.93	1628.27	1562.14
25.	पश्चिम बंगाल	21249.36	572.15	643.16	544.08	558.81	516.85	477.01
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	152.70	4.37	4.44	2.28	3.08	2.97	2.18
27.	चंडीगढ़	—	0.94	1.08	—	0.42	0.11	—
28.	दादर व नगर हवेली	82.89	3.70	3.47	3.51	3.04	2.84	3.94
29.	दिल्ली	—	4.34	5.12	—	2.30	0.89	—
30.	दमन व दीव	48.83	1.43	1.61	1.45	1.08	0.63	0.88
31.	लक्षद्वीप	76.55	2.27	2.62	2.64	2.53	2.23	2.11
32.	पांडिचेरी	149.47	6.96	5.87	3.37	8.08	4.89	5.71
	अखिल भारत:	255622.39	8757.25	9291.04	7354.35	8643.87	8745.59	8109.94

विवरण-VII

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93 के दौरान आबंटित निधियों के साथ-साथ 1989-90 से 1991-92 तक भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल आबंटन (केन्द्र+राज्य) 1992-93 (लाख रुपये में)	भौतिक लक्ष्य (परिवारों की संख्या)			उपलब्धि (परिवारों की संख्या)		
			1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	4880.00	214229	174916	165680	255228	263391	22461
2.	अरुणाचल प्रदेश	416.00	18275	14922	15022	8532	8432	10828
3.	असम	1332.00	58509	43261	45249	61146	50345	32495
4.	बिहार	9778.00	429239	350469	331578	449033	415814	336972
5.	गोआ	86.00	3807	3109	3129	3858	3200	2989
6.	गुजरात	2110.00	88220	72030	68227	102465	72426	72326
7.	हरियाणा	480.00	24110	17263	16326	55657	34179	24756
8.	हिमाचल प्रदेश	172.00	7558	6171	5845	30417	17037	11813
9.	जम्मू व कश्मीर	240.00	10555	8618	8163	14375	13008	9230
10.	कर्नाटक	3054.00	134088	109482	103701	140275	125027	108841
11.	केरल	1660.00	72843	59476	56335	74150	60877	57562
12.	मध्य प्रदेश	6472.00	284075	231944	219698	325995	345514	294810
13.	महाराष्ट्र	5278.00	229575	187364	177472	248059	214199	197967
14.	मणिपुर	38.00	1694	1383	1310	3716	4962	4814

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	मेघालय	116.00	5082	4149	3930	2320	3134	2874
16.	मिजोरम	174.00	7615	6217	6259	4982	3366	2811
17.	नागालैंड	182.00	7995	6528	6572	4932	4429	5442
18.	उड़ीसा	3198.00	140343	114589	108539	185969	149612	111712
19.	पंजाब	406.00	17852	14576	13806	56128	35944	27453
20.	राजस्थान	3118.00	136825	111716	105818	159039	135604	131986
21.	सिक्किम	34.00	1523	1243	1251	1717	1422	1610
22.	तमिलनाडु	4382.00	192337	157041	148749	221509	181842	161564
23.	त्रिपुरा	136.00	5994	4894	14675	12273	12222	16343
24.	उत्तर प्रदेश	13062.00	573362	468144	443427	630024	508840	462259
25.	पश्चिम बंगाल	5460.00	239639	195663	185332	291847	226603	201476
26.	अंद० व निको० समूह	43.00	1904	1554	1564	1939	1660	1502
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	9.00	381	311	312	387	311	313
29.	दिल्ली	—	1904	1554	1564	2375	1567	681
30.	दमन व द्वीप	17.00	761	622	625	726	600	482
31.	लक्षद्वीप	4.00	180	150	150	289	139	120
32.	पांडिचेरी	35.00	1523	1243	1251	2089	2078	1343
	अखिल भारत	66222.00	2908897	2370575	2251519	3361373	2097775	2519635

विवरण-VIII

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93 के दौरान आवंटित निधियों के साथ-साथ 1989-90 से लेकर 1991-92 के दौरान भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन	लक्ष्य (00 हैक्टेयर)			उपलब्धि (00 हैक्टेयर)		
		1992-93 (लाख रुपये में)	1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	1203.00	255.00	255.00	282.97	266.30	427.62	453.91
2.	बिहार	828.00	90.69	90.69	90.69	110.66	39.03	28.60
3.	गुजरात	746.00	91.60	91.60	95.67	101.02	120.06	65.60
4.	हरियाणा	1135.00	26.58	26.58	29.86	29.09	37.26	21.90
5.	जम्मू व कश्मीर	214.50	33.33	33.33	32.11	39.93	13.80	30.02
6.	कर्नाटक	1249.00	384.92	384.92	384.92	272.92	281.45	158.29
7.	मध्य प्रदेश	809.00	166.83	166.83	175.87	107.48	100.60	121.40
8.	महाराष्ट्र	1343.00	337.82	337.82	330.00	370.08	507.54	234.41
9.	उड़ीसा	621.00	190.59	190.59	43.58	171.74	86.98	53.51
10.	राजस्थान	514.00	100.16	100.16	204.45	70.89	79.34	87.06
11.	तमिलनाडु	657.00	360.71	360.71	224.91	353.67	248.37	197.73
12.	उत्तर प्रदेश	1886.00	300.00	300.00	175.00	286.02	295.20	310.60
13.	पश्चिम बंगाल	517.50	79.18	79.18	162.01	183.54	208.19	124.23
	योग:	10223.00	2417.41	2417.41	2232.04	2325.13	2445.44	1887.26

विवरण-IX

मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93 के दौरान आवंटित निधियों के साथ-साथ 1989-90 से लेकर 1991-92 तक के दौरान भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटन	भौतिक लक्ष्य (00 हैक्टेयर)			उपलब्धि (00 हैक्टेयर)		
		1992-93 (लाख रुपये में)	1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
1.	गुजरात	225.00	24.95	24.95	24.05	26.75	40.94	32.55
2.	हरियाणा	425.00	103.63	103.63	57.87	128.23	63.15	22.19
3.	हिमाचल प्रदेश	200.00	14.67	14.67	18.68	16.62	16.94	17.88
4.	जम्मू व कश्मीर	300.00	49.75	49.75	49.75	38.53	30.07	21.07
5.	राजस्थान	3800.00	319.89	319.89	306.34	205.53	176.51	294.94
	कुल:	4950.00	512.89	512.89	456.69	416.66	327.61	388.63

विवरण X

ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93 के दौरान आवंटित निधियों के साथ-साथ 1989-90 से 1991-92 के दौरान भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

(गांव संख्या में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटन 1992-93 (करोड़ रु० में)	1989-90		1990-91		1991-92	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.47	2500	2128	1820	1100	1000	1020
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.62	200	132	242	128	190	140
3.	असम	13.70	3168	2724	645	779	834	739
4.	बिहार	29.99	9000	8591	1946	8846	6037	1404
5.	गोआ	0.55	68	71	42	47	57	50
6.	गुजरात	16.33	1513	1384	599	563	630	642
7.	हरियाणा	9.99	420	469	171	96	391	382
8.	हिमाचल प्रदेश	6.42	350	350	350	350	354	511
9.	जम्मू व कश्मीर	19.16	469	299	310	243	209	341
10.	कर्नाटक	23.42	5278	5667	4510	5200	4572	4473
11.	केरल	11.91	295	372	154	197	150	157
12.	मध्य प्रदेश	28.19	5500	4135	7145	5765	5500	5877
13.	महाराष्ट्र	33.90	2000	2255	1804	1842	1615	1631
14.	मणिपुर	3.08	285	285	185	188	160	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	मेघालय	4.20	928	893	750	486	1000	605
16.	मिजोरम	1.29	165	135	68	68	150	152
17.	नागालैण्ड	4.22	199	175	111	45	107	81
18.	उड़ीसा	13.35	5358	3893	5120	1589	3864	3777
19.	पंजाब	4.24	400	401	387	372	411	562
20.	राजस्थान	41.83	1985	1597	1948	1255	2000	2083
21.	सिक्किम	3.72	71	67	34	412	34	35
22.	तमिलनाडु	20.19	2321	1768	2500	1488	2573	2229
23.	त्रिपुरा	3.50	1112	1092	800	195	505	264
24.	उत्तर प्रदेश	47.24	4193	3101	5424	5962	5285	6044
25.	पश्चिम बंगाल	18.24	3019	2224	2566	1784	2951	2228
26.	अंदमान व निको० द्वीपसमूह	0.40	25	25	20	20	21	21
27.	चंडीगढ़	सभी गांव कवर कर दिए गए हैं।						
28.	दादर व नगर हवेली	0.13	सभी गांव कवर कर लिए गए हैं।					
29.	दमन व दीव	0.22	—	—	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।			
30.	दिल्ली*	0.14	—	—	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	0.10	4	0	4	0	4	4
32.	पांडिचेरी	0.26	54	14	14	20	25	23
	अखिल भारत	390.0	50874	44519	38288	38864	40519	35646

*पेयजल में वृद्धि करने की योजना प्रगति पर है।

माप-तोल अधिनियम

*218. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और अन्य राज्यों में माप-तोल अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम को उल्लंघन करने से संबंधित कितने मामले दर्ज किये गए;

(घ) इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार इस अधिनियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए स्थानीय स्वयं सेवा संगठनों का सहयोग लेने पर विचार कर रही है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उक्त अधिनियम के उल्लंघन के बारे में दर्ज किए गए मामले निम्नवत हैं:—

वर्ष	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (दिल्ली सहित) दर्ज किए गए मामले
1989	1,59,122
1990	1,65,201
1991	1,77,124

(घ) उल्लंघन करने वालों/अपराधियों को कानून के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार सुनवाई का तथा अपने मामलों में राजीनामा करने तथा दोष का निवारण करने का अवसर दिया जाता है। उन लोगों के मामलों पर, जो अपने मामलों में राजीनामा करने में असफल रहते हैं अथवा दोबारा अपराध करते हैं, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान 4,57,388 मामलों में राजीनामा किया गया और 59,124 मामलों में अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया।

(ङ) जी, हां। उन्हें सामान्यतया जनता के बीच आम जागरूकता पैदा करने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों इत्यादि के आयोजन के सम्बद्ध किया जाता है।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन

*219: **श्री बलराज पासी:**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की नई भूमिका के बारे में कोई कार्य-योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य योजना को तैयार करने वाले देश का नाम क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) 'नाम' के होने वाले अध्यक्ष के रूप में इण्डोनेशिया मसौदा प्रपत्र तैयार कर रहा है जिस पर इस वर्ष सितम्बर के शुरू में जकार्ता में होने वाले नाम शिखर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। इस प्रपत्र में नाम की कार्यसूची और बदले हुए अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसकी नई भूमिका पर विचार होगा।

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड

*220. **श्री जीवन शर्मा:**
श्री राम बदन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड को, कारखाने से 100 से अधिक मारुति कारों के गायब कर दिये जाने से भारी घाटा हुआ है, जैसाकि 28 जून, 1992 के हिन्दी दैनिक "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी के अधिकारियों की मिलीभगत से इन कारों को गायब किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) गायब हुई कारों को बरामद करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का उस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (च): मामले की छानबीन की जा रही है।

उर्वरकों का उत्पादन

*221. **श्री पी० सी० थामस:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों का उत्पादन कम लागत पर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों की कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, कोचीन तथा अलुवा, केरल का भी विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) लागत प्रभावी ढंग से उर्वरक उत्पादित करने और उसकी आपूर्ति करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं—प्रतिधारण मूल्य योजना में उत्पादन लागतों के लिए दृढ़ मापदण्ड अपनाना, ऊर्जा दक्ष और लागत

प्रभावी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए फीडस्टाक के रूप में यथासंभव गैस इस्तेमाल करना, पुराने संयंत्रों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण करना तथा उर्वरक उत्पादक एककों को यथा सम्भव खपत केन्द्रों के समीप स्थापित करना ताकि परिवहन लागत न्यूनतम की जा सके।

(ग) उपर्युक्त दृष्टिकोण के भाग के रूप में, सरकार नियमित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन पर विस्तृत निगरानी रखती है और यदि आवश्यक हो तो निर्देश दिए जाते हैं, ताकि प्रचालनात्मक मापदण्डों तथा वित्तीय कार्यकरण में भी सुधार हो सके जैसे कि स्पेयर और तैयार माल की मालसूची, समयोपरि बिल, प्रशासनिक व्यय में कमी करना, बकाया राशियों की शीघ्र वसूली आदि।

(घ) और (ङ) फैक्ट ने उद्योगमण्डल सिथत अपने पुराने अमोनिया संयंत्रों को प्रतिस्थापित करने और वहां अमोनिया उत्पादन की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कोचीन संयंत्रों का भी विस्तार करने का प्रस्ताव किया है ताकि और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन किया जा सके। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

	क्षमता	लागत (रु० करोड़ में)
अमोनिया संयंत्र, उद्योगमण्डल	900 टन प्रतिदिन	618.23
कोचीन संयंत्रों का विस्तार	1.55 (लाख टन प्रतिवर्ष)	275.00

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में नयी कोयला परियोजनायें

*222. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कई नयी परियोजनाओं को मंजूरी देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की निम्नलिखित मुख्य परियोजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने के लिए सरकार के मूल्यांकन और समीक्षा के अधीन हैं:—

परियोजना	क्षमता (मि०ट० प्रतिवर्ष)	अनुमानित पूंजीगत लागत (करोड़ रु० में)
बकुलिया भूमिगत परियोजना	0.96	104.66
नकराकोंडा भूमिगत परियोजना	1.20	110.05
नीलाबोनी भूमिगत परियोजना	1.17	112.58
हुरा "सी" ओपनकास्ट परियोजना	6.00	(स्वीकृत 10 करोड़ रु० की राशि के लिए अग्रिम कार्रवाई)

[हिन्दी]

जापान के साथ द्विपक्षीय समझौता

*223. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख:**
श्री रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की जापान यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के लिए जापान के साथ कोई समझौता किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके अनुसरण में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) प्रधान मंत्री की हाल की जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच किन्हीं औपचारिक करारों पर तो हस्ताक्षर नहीं हुए थे लेकिन प्रधान मंत्री मियाजावा के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत में भारत और जापान के बीच इस बात पर सहमति हुई थी कि पारस्परिक हित चिन्ता के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सार्वभौम मामलों में सम्बद्ध विभिन्न विषयों पर अपनी बातचीत को वे और दृढ़ता प्रदान करेंगे। जापान ने अपने "यूनेस्को ट्रस्ट फंड" से सांची के बौद्ध स्तूपों के जीर्णोद्धार के लिए सहायता देना स्वीकार किया है। जापान की सरकार इस बात के लिए भी राजी हुई कि वह भारत में एक मिशन भेजेगी जो भारत में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक औद्योगिक आदर्श बस्ती स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। प्रधान मंत्री की इस यात्रा के दौरान जापान ने 112 बिलियन येन का भारत को ऋण देने के अपने वचन की भी घोषणा की।

दोनों सरकारें उपर्युक्त के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही के सिलसिले में एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए हुए हैं।

[अनुवाद]

कुछ औषध कंपनियों द्वारा ज्यादा मूल्य लिया जाना

2104. **श्री मोहन रावले**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेटरीज सहित कुछ कंपनियों द्वारा डीजीआईसीपी द्वारा मूल्य निर्धारित कराये बिना कुछ औषधियां बेची जा रही हैं और इस प्रकार लोगों से करोड़ों रुपये अधिक लिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने और कंपनियों द्वारा ली गई अधिक धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) से (ग). मै० रैनबैक्सी सहित कंपनियों द्वारा सूत्रयोगों के अधिक मूल्य लेने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आये हैं। ये मामले जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

2105. **श्री राम नरेश सिंह**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार में सचिव/अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव और अवर सचिव जैसे विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पृथक-पृथक रूप से कितने अधिकारी थे;

(ख) क्या विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का प्रतिशत क्रमशः 15 और 7.5 तक पहुंच गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) 31.3.92 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार में अवर सचिव से सचिव स्तर के पदों को धारण करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:

पदों का स्तर निम्नलिखित है	31.3.92 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या	प्रतिशतता
सचिव	125	2	1.6	1	0.8
अपर सचिव	101	3	3.0	2	22.0
संयुक्त सचिव	383	13	3.4	3	0.8
निदेशक	350	27	7.7	9	2.6
उप सचिव	506	66	13.0	20	4.0
अवर सचिव	707	65	9.2	12	1.7
कुल योग	2172	176	8.1	47	2.2

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारत सरकार में उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि अधिकारियों का चयन उपलब्धता, उपयुक्तता तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत किया जाता है। तथापि, अब उक्त पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सुपर फास्फेट की मांग और पूर्ति

2106. **श्री सुशील चंद्र वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में सुपर फास्फेट की कुल मांग और वास्तविक पूर्ति कितनी थी तथा इस वर्ष (1992) खरीफ की फसल के लिए राज्यों द्वारा इसकी कितनी मात्रा की मांग की गई है तथा उन्हें वास्तविक रूप में कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ख) क्या सुपर फास्फेट के उत्पादन के लिए आवश्यक रॉक फास्फेट का भारत में पर्याप्त रूप से खनन

नहीं हो रहा है, और यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान रॉक फास्फेट की कितनी मात्रा आयात की गयी और वर्ष 1992-93 में इसकी कितनी मात्रा आयात की जाएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) वर्ष, 1991-92 और 1992-93 (खरीफ मौसम) के दौरान देश में सिंगल सुपर फास्फेट (एस एस पी) की सकल अपेक्षा और वास्तविक उपलब्धि निम्न प्रकार रही है:

(आंकड़े लाख मी० टनों में)

वर्ष	सकल अपेक्षा	वास्तविक उपलब्धि
1991-92	41.01	34.44
1992-92 (खरीफ, 1992 अनुमानित)	19.76	6.23 (30.6.92 तक)

चालू खरीफ मौसम के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली एस एस पी की संभावित मात्रा शेष खरीफ अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करेगी।

(ख) स्वदेशी रूप से उत्पादित राक फास्फेट देश में इसकी पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राक फास्फेट की निम्नलिखित मात्रा 1990-91 और 1991-92 वर्षों के दौरान आयात की गयी थी।

(आंकड़े लाख मी० टनों में)

वर्ष	राक फास्फेट की मात्रा
1990-91	33.66
1991-92	26.02

1.3.1992 में देश में राक फास्फेट का आयात असरणीबद्ध कर दिया गया है और उर्वरक उत्पादक अपनी अपेक्षा के अनुसार खुले बाजार से विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करके राक फास्फेट का आयात करने के लिए स्वतंत्र है। अतः, 1992-93 के दौरान उर्वरक उत्पादक एककों द्वारा आयात की जाने वाली राक फास्फेट की मात्रा इंगित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

तंजौर में उर्वरक एकक

2107. **श्री एन० डेनिस:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड, तमिलनाडु के तंजौर जिले में एक लघु उर्वरक एकक स्थापित करने की सम्भाव्यता का पता लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) क्या ऐसे उद्यमों में इक्विटी शेयरों में जन-सहभागिता पर विचार किया जाएगा?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

2108. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संयंत्र पर कितना व्यय होने की सम्भावना है तथा प्रत्येक संयंत्र की स्थानवार सम्भावित क्षमता कितनी है; और

(ग) इन संयंत्रों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की सम्भावना है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी हां।

(ख) सैंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (सी ई एल) को उत्तर प्रदेश में 100 के डब्ल्यू पी के दो सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए अपारम्परिक ऊर्जा विकास एजेंसी (नेडा), उत्तर प्रदेश से आर्डर प्राप्त हुए हैं। ये दो संयंत्र बिना बिजली वाले गांवों जिला अलीगढ़ के कल्याणपुर और जिला मऊ के सराय सादी में लगाए जा रहे हैं। इन संयंत्रों से घरेलू रोशनी, सड़क रोशनी और कुछ कृषि पंप सेटों को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके अलावा, प्रकाशवोल्टीय विद्युत का कुछ भाग प्रयोगात्मक आधार पर ग्रिड को भी दिया जाएगा। उपरोक्त दो संयंत्रों के लिए नेडा द्वारा सी ई एल को दिए गए आदेशों का मूल्य क्रमश: 150.59 लाख रुपये और 151.47 लाख रुपये है। प्रकाशवोल्टीय माड्यूलों की सप्लाई और कुछ सिविल कार्य नेडा द्वारा अलग से किए जा रहे हैं।

(ग) उपरोक्त विद्युत संयंत्र जनवरी, 1993 तक लगा दिए जाने की सम्भावना है।

केरल में सौर ऊर्जा का उत्पादन

2109. **श्री टी० जे० अंजलोज:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस योजना में शामिल किए गए गांवों की जिलावार संख्या कितनी है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, जिनसे सूर्य की रोशनी से सीधे ही विद्युत का उत्पादन किया जाता है, के प्रदर्शन और उपयोग का एक देशव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, सौर तापीय युक्तियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम और सौर कुकर कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम केरल में भी चलाए जा रहे हैं।

(ख) केरल में स्थापित की गई अधिकांश सौर तापीय युक्तियां शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। इस राज्य में केरल सरकार की अपारंपरिक ऊर्जा और ग्रामीण प्रौद्योगिकी एजेंसी द्वारा 1991 के अंत तक 91 गांवों

में सड़क रोशनी, घरेलू रोशनी और टेलीविजन जैसे अनुप्रयोगों के लिए प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां स्थापित की गई हैं। इन गांवों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण "क" में दिया गया है।

विवरण-क

	जिला	उन गावों की संख्या जहां सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां उपलब्ध कराई गई
1	2	3
1.	तिरूअनंतपुरम	3
2.	कोल्लाम	6
3.	पातनमतिट्टा	1
4.	एर्नाकुलम्	2
5.	इडुक्की	13
6.	त्रिसुर	9
7.	पलक्कड	27
8.	मालापुरम्	1
9.	कोजीकोड	1
10.	वीनाद	16
11.	कसारगौड	9
12.	त्रिवेन्द्रम	1
13.	त्रिचूर	1
14.	अलापुझा	1

इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्यात

2110. **कुमारी पुष्पा देवी सिंहः** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड अपने उत्पादन के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन **वर्षों** के दौरान वर्षवार इसने कुल कितने मूल्य का निर्यात किया; और

(ग) इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने उत्पादन के निर्यात हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन) (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई पी सी एल के उत्पादों के निर्यात की कुल एफ ओ बी कीमत नीचे दी जाती है:

वर्ष	रुपए लाखों में
1989-90	98.97
1990-91	454.49
1991-92	1905.26

(ग) आठवीं योजना के दौरान आई पी सी एल द्वारा अपने उत्पादों के निर्यात के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डालर का लक्ष्य रखा गया है।

भारवाही पशु विद्युत केन्द्रों की स्थापना

2111. **श्री गुमानमल लोढा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में घोसी सहित विभिन्न राज्यों में अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित प्रौद्योगिकीयों का विकास करने हेतु अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) क्या लखनऊ में चिनहट स्थित केन्द्र का अनेक वर्षों से उपयोग नहीं हो रहा है;

(ग) क्या योजना आयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारवाही पशु विद्युत केन्द्र की स्थापना करने पर तैयार हो गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक की उपलब्धियां क्या हैं; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारवाही पशु विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) अपारम्परिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रम राज्य सरकारों/नोडल अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित किए जाते हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/विश्वविद्यालयों जैसी विभिन्न संस्थानों को सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लखनऊ में चिनहट में एक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा विकास केन्द्र स्थापित किया है। केन्द्र में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान सुविधाओं का पूर्णतः उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की सहायता से घोसी में एक प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित कर रही है।

राजस्थान राज्य में प्रौद्योगिकी तथा कृषि इंजीनिरी महाविद्यालय, उदयपुर में वायोमास, बायोगैस तथा उन्नत चूल्हा के संबंध में अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय एक बायोमास अनुसंधान केन्द्र, क्षेत्रीय बायोगैस विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र और उन्नत चूल्हा तकनीकी बैक-अप यूनिट को समर्थन दे रहा है। इसके अलावा, विशिष्ट अनुसंधान परियोजना को भी सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ): योजना आयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारवाही पशु शक्ति के लिए एक केन्द्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गया था । यह केन्द्र धन उपलब्ध न होने के कारण स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि पूरी सातवीं योजना के लिए केवल 2.54 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई जबकि प्रस्तावित केन्द्र

पर 18 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा कार्टमन, बंगलौर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में भारवाही पशु शक्ति के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को उपलब्ध निधियों के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है। इसके अलावा केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल द्वारा पशु शक्ति से चलने वाले कृषि उपकरणों के अच्छे डिजाइनों के विकास और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की सहायता से राज्य सरकारों/एजेंसियों के दौरान भारवाही पशु शक्ति पर आधारित कुछ उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन को भी शुरू किया गया है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश को ए० आर० डब्ल्यू एस० पी० के अंतर्गत धनाबंटन

2112. **श्री धर्मभिक्षमः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश को ए० आर० डब्ल्यू एस० पी० के अंतर्गत कितनी केन्द्रीय सहायता जारी की गई;

(ख) इसमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कितना व्यय किया गया; और

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए उक्त कार्यक्रम राज्य को कितना धन आवंटित किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच०पटेल): (क) 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 25.47 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित किये गये 28.45 करोड़ रुपये के खर्च में से अनुसूचित जातियों के लाभ के लिये 3.85 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 1.43 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे।

(ग) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के तहत वर्ष 1992-93 के लिये राज्य को 25.47 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विरुद्ध अदालती मामले

2113. **श्री राम नाईक:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विरुद्ध विभिन्न अदालतों में कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस मुकदमेंबाजी पर कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) अनावश्यक मुकदमेंबाजी और खर्च को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

व्यापार में सुधार

2114. **श्री पी० शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापारिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में शुरू किये गये नये सुधारों से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों के रूख में परिवर्तन लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ताकि संगठनों को उनका पूरा सहयोग मिल सके?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) (क): शुरू किये गये नये आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था में चहुंमुखी (आल राउन्ड) सुधार होने की संभावना है। हालांकि, सुधारात्मक उपायों के पूरे नतीजे सामने आने में समय लगेगा, फिर भी महत्वपूर्ण प्रगति पहले ही प्राप्त कर ली गई है। सबसे अधिक उल्लेखनीय विश्वास पुनः स्थापित कर दिया गया है, विदेशी मुद्रा भंडार का एक उपधान पुनः स्थापित कर दिया गया है। मुद्रा स्फीति में भी अगस्त, 1991 में करीब-करीब 17% के शिखर से 27 जून, 1992 को 11.3% (अनंतिम) तक की गिरावट आई है। औद्योगिक उत्पादन की कमी में मोड़ आया है और फरवरी तथा मार्च, 1992 में सकारात्मक वृद्धि रिकार्ड की गयी है।

(ख) : श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव तथा संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित की गयी है। समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार, त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों अर्थात् कपड़ा जूट, रसायन, इंजीनियरिंग, विद्युत उत्पादन एवं वितरण तथा सड़क परिवहन को इन उद्योगों में रूग्णता की समीक्षा करने तथा सूचना के आदान-प्रदान और आपसी विचार-विमर्श के बाद उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए सक्रिय बनाया गया है। नई औद्योगिक नीति पर, विशेषतौर से श्रम पर इसके प्रभाव के संदर्भ में, विभिन्न श्रम परामर्शदात्री मंचों में विचार-विमर्श किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में की गई नियुक्तियों की समीक्षा

2115. **श्री प्रकाश वी० पाटिल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मार्च, 1991 से जून, 1991 के दौरान की गई नियुक्तियों के मामलों की समीक्षा की गई है;

(ख) क्या सरकार ने अब तक सभी मामलों की समीक्षा कर ली है;

(ग) क्या इन उपक्रमों के शीर्ष मंत्रालय इसके संबंध में सरकारी फैसले को लागू करने की उपेक्षा कर रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एंव सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) सरकार दिनांक 19.4.91 तथा 30.6.91 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों के पदों पर की गई नियुक्तियों की समीक्षा करती रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास हेतु संस्थान

2116. **श्री परसराम भारद्वाज:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास हेतु अब तक कितने संस्थानों की स्थापना की गई है; और

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी): (क) और (ख) हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है, अनुसंधान आयोजित करता है तथा परामर्दशायी सेवाएं मुहैया कराता है।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को दिया गया अनुदान

2117. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त अनुदानों में वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राय मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) केन्द्र सरकार देश में के०वी०आई० क्षेत्र के विकास और उन्नयन हेतु ऋण और अनुदान के जरिये खादी ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) को निधियां उपलब्ध कराती है। के०वी०आई०सी० इसके बाद अलग-अलग राज्य/संघ शासित क्षेत्र के के०वी०आई० बोर्डों तथा सीधे सहायता प्राप्त संस्थानों को निधियां प्रदान करता है। अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान के०वी०आई०सी० द्वारा दिये गये अनुदान संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र हेतु अनुदान की राशि (लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	139.29	169.77	184.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
3.	असम	50.70	42.26	30.10
4.	बिहार	518.57	506.24	483.52
5.	गोवा	3.72	3.99	0.24
6.	गुजरात	552.23	585.70	687.14
7.	हरियाणा	160.12	159.84	141.26
8.	हिमाचल प्रदेश	92.01	125.23	120.90
9.	जम्मू और कश्मीर	18.76	38.27	26.86
10.	कर्नाटक	218.23	283.17	238.62
11.	केरल	206.99	268.67	175.44
12.	मध्य प्रदेश	169.65	169.85	85.14
13.	महाराष्ट्र	203.46	301.60	342.23
14.	मणीपुर	37.72	—	58.23
15.	मेघालय	3.93	11.61	16.99
16.	मिजोरम	18.21	56.89	43.73
17.	नागालैंड	12.86	14.15	20.40
18.	उड़ीसा	49.40	88.92	43.99
19.	पंजाब	204.41	223.96	242.02
20.	राजस्थान	379.48	568.09	441.82
21.	सिक्किम	2.73	5.70	15.79
22.	तमिलनाडु	811.62	652.82	897.22
23.	त्रिपुरा	16.77	1.66	2.37
24.	उत्तर प्रदेश	1544.43	1627.81	1779.80
25.	पश्चिम बंगाल	158.62	199.86	113.86
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	—	2.84	3.09
27.	चंडीगढ़	—	—	0.02
28.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—
29.	दिल्ली	191.58	197.56	137.63
30.	दमन और दियू	—	—	—
31.	पांडिचेरी	1.34	1.39	0.30
32.	विभागीय	254.06	1175.61	1386.94
33.	अन्य योजनाएं	236.86	365.41	311.04
	योगः	6257.75	7846.87	8031.08

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को धनराशि का आवंटन

2119. **श्री छेदी पासवान:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ख) क्या राज्य में उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका की समीक्षा की गई है; और

(ग) राज्य को पूरी वित्तीय सहायता उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) 1991-92 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को 10361.80 लाख रुपये की राशि (केन्द्रीय एवं राज्य अंश) आबंटित की गई थी। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8881.29 लाख रुपये का उपयोग किया।

(ख) राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने में बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा समीक्षा की गई है।

(ग) 5180.900 लाख रुपये के केन्द्रीय अंश में से बिहार की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 1991-92 में 3325.01 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी। प्रस्तावों के निर्धारित तारीख से बाद में प्राप्त होने, उपलब्ध निधियों का कम उपयोग होने, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पास अत्यधिक आदि-शेष रहने आदि जैसे कारणों से कम राशि रिलीज की गई थी।

खादी संस्थानों में वित्तीय संकट

2120. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक खादी संस्थानों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संस्थाओं के वित्तीय संकट दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) से (ग) वित्तीय संस्थाओं से अपर्याप्त ऋणों, कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत आदि के कारण कार्यशील पूंजी की कमी के बारे में सरकार को खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थानों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। सरकार अनुदानों तथा ऋणों के रूप में खादी और

प्रमोद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तथापि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की कमी के कारण इस क्षेत्र पर चालू वर्ष का परिव्यय वही रखा गया है जो पिछले वर्ष था। सरकार इस क्षेत्र को और अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए वित्तीय संस्थानों तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग पर भी दबाव डाल रही है।

सरकारी क्षेत्र के एककों में कम उत्पादन होना

(अनुवाद)

2121. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उन एककों का पता लगाया है जिनमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना में इन एककों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एंव सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) और (ख): वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक के लोक उद्यम सर्वेक्षणों (खंड-I) में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी उद्यमों के उत्पादन के रूख को दर्शाया गया है। विगत 5 वर्ष तक के आंकड़ों के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1987-88 (खंड-I) की पृष्ठ संख्या 177 (अंग्रेजी संस्करण), लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1988-89 (खंड-I) की पृष्ठ संख्या 277 (अंग्रेजी संस्करण) तथा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1989-90 (खण्ड-I) की विवरणी पृष्ठ संख्या 145 (एस—145, अंग्रेजी संस्करण का अवलोकन किया जाए।

(ग): सरकारी उद्यमों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सरकार एवं सरकारी उद्यमों के बीच समझौता ज्ञापन, आवधिक कार्य-निष्पादन समीक्षा, निदेशक मंडल को अधिकाधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन उत्पाद-मिश्र का विविधीकरण, प्रोद्योगिकी उन्नयन, बेहतर अनुरक्षण प्रबन्ध पद्धतियां आदि सामान्य तौर पर किये गये उपाय हैं।

रोजगार के अवसर पैदा करने की योजनाएं

2122. **श्री बापू हरि चौरे:**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे और लघु औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने की योजनाऐं बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में राज्यवार कितने युवकों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ग) रोजगार आठवीं योजना में एक महत्व दिया जाने वाला क्षेत्र है। योजना में

क्षेत्रकों, उप-क्षेत्रकों तथा क्षेत्रों जहां पर रोजगार सृजन की गति बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक रोजगार की संभावनाएं हैं, उनके त्वरित विकास के साथ उच्च आर्थिक विकास दर की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। लघु तथा बड़े पैमाने पर विनिर्माण के तीव्र विकास को योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुखी विकास कार्यनीति के मूलभूत तत्वों में से एक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है, बहुत छोटे या माईक्रो उद्यम क्षेत्रक के लिए प्रवर्धनकारी नीतियों को भी वांछित समझा गया है। इसके अलावा आठवीं योजना में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार हेतु चालू स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव है। योजनावधि के दौरान समग्र अर्थव्यवस्था में औसतन प्रतिवर्ष 80 से 90 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के पैदा होने की संभावनाएं हैं। योजनावधि के दौरान संभावित रूप में सृजित होने वाले रोजगार के आयु वर्ग वार तथा राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक इकाइयां

2123. **श्री जितेन्द्र नाथ दास:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में विभिन्न औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के बारे में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों के बारे में क्या कार्रवाई की है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989 से जून 1992 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा औद्योगिक विकास निगम से आशय-पत्रों की मंजूरी के लिए 15 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 6 आशय-पत्र जारी किये गये थे, 7 आवेदन नामंजूर किए गए अन्यथा निपटाये गये और शेष 2 आवेदनों पर कार्यवाही हो रही है।

[हिन्दी]

पाईराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

2124. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाईराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में राजभाषा नीति को लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पी पी सी एल द्वारा हर संभव प्रयास किए गए हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज यथासंभव द्विभाषी रूप से जारी किए जा रहे हैं। सभी फार्म, प्रपत्र द्विभाषी रूप में तैयार किए गए हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का हिन्दी में उत्तर दिया जाता है। सभी रबड़ की मोहरें, नामपट्ट द्विभाषी रूप में तैयार किए गए हैं। हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित इसके कार्यालयों के साथ पत्राचार अधिकतम सीमा तक हिन्दी में किया जा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गयी हैं और उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाएं तथा हिन्दी सप्ताह आयोजित किए जाते हैं।

यह स्वीकार किया जाता है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कमियां हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा आरम्भ की

गयी प्रोत्साहन योजनाओं, टंककों/आशुलिपिकों के प्रशिक्षण, कार्यशाला के आयोजन तथा हिन्दी के उपयोग में की गयी प्रगति का आवधिक पुनरीक्षण जैसी विभिन्न योजनाओं से कम्पनी में हिन्दी के प्रयोग में और सुधार लाने में अंशदान देना चाहिए।

गुजरात में बंद मिलें

2125. **श्री काशीराम राणा:**
श्री छीतूभाई गामीत:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में कई फैक्टरियां और मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी फैक्टरियों/मिलों की संख्या कितनी है और इससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ग) ये मिलें कब से बंद पड़ी हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन मिलों को फिर से चालू करने के लिए क्या प्रयास किए हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ग) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.5.1992 की स्थिति के मुताबिक 39 कारखाने तथा 33 मिलें बंद पड़ी हैं, जिनका 56531 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है। ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(घ) बंद मिलों को चालू करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 का अधिनियम और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) का गठन, पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया गया निर्देश, राज्य स्तरीय अंतर-संस्थानिक समिति (एस एल आई आई सी) का गठन, केन्द्र द्वारा प्रायोजित मार्जिन मनी योजना का संचालन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस आई डी वी आई) की स्थापना, एक विशेष त्रिपक्षीप समिति का गठन और औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित करना शामिल है।

विवरण—I

क्रम संख्या	कारखाने का नाम	बंद होने की तारीख	प्रभावित श्रमिक
1	2	3	4
1.	पैंटल आर्गेनिक्स प्रा॰ लि॰ 192/1, जी॰आई॰ डी॰सी॰ वापी, जिला वलसाड़	1.1.1991	21
2.	अहमदाबाद कैमिकल्स प्रा॰ लि॰ 107/जी, जी आई डी सी, वातवा अहमदाबाद	22.1.1991	10
3.	प्रसेल्स इंजिनियर्स, 262, जी वी आर इस्टेट, ओधाव, अहमदाबाद	1.2.1991	8

1	2	3	4
4.	स्वीच गियर कार्पोरेशन, 303/18, जी आई डी सी, काकरपाड़ा, बड़ौदा	25.2.1991	19
5.	एम० के० स्पीडल मै० प्रा० लि० डाकघर कुवेर नगर नरोदा, अहमदाबाद	7.3.1991	3
6.	आटोमेटिक इन्टरमेडियेटर एन्ड कैमिकल्स (2) एम्को		9
	डायस्टक, 74/1, जी आई डी सी,		11
	वातवा, अहमदाबाद	6.3.1991	20
7.	लिक्वीड गैस कं० गूदल रोड मै० एस० टी० वर्कशोप राजकोट	10.4.1991	11
8.	नन्दी इंजिनियरिंग वर्क्स, जी० आई डी सी वातवा अहमदाबाद	26.4.1991	7
9.	सीको फूड इन्डस्ट्रीज, 202/204, जी आई डी सी उपरेठ जिला खोड़ा	15.5.1991	15
10.	विवेकानन्द पोलिक्लीनिक एण्ड नर्सिंग होम रायपुर, दरवाजा अहमदाबाद	1.5.1991	14
11.	हाई लाइफ मशीन टूल्स प्रा० लि० मै० आई० टी० आई० नरोदा, अहमदाबाद	2.6.1991	37
12.	पारामाउण्ट मीटर्स प्रा० लि०, किसान रोड, जामनगर	30.6.1991	36
13.	नन्दसारी रसायन प्रा० लि०, 22/4 जी आई डी सी नन्दसारी एण्ड बडोदरा	1.6.1991	30
14.	इल्कौन मशीन प्रा० लि०, 270, जी आई डी सी मार्कापुर वडोदरा	31.8.1991	18
15.	एलाइड इंजिनियरिंग कार्पोरेशन, 1216/30, फेज-II जी आई डी सी, नरोदा अहमदाबाद	11.8.1991	17
16.	अमून इन्डस्ट्रीज, जी आई डी सी, मार्कापुर वडोदरा	16.9.1991	6
17.	नवसारी प्रोसेसर, उद्योगनगर, नवसारी जिला वलसाड़	22.7.1991	68
18.	द गुजरात सिनेमा एण्ड एक्सीवीटर्स एसोसियेशन, आश्रम रोड, अहमदाबाद	21.10.1991	2
19.	ओसवाल प्रोडक्टस 2/8, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट गोरवा रोड बड़ोदरा	26.10.1991	4
20.	नेशनल टावरपैक इन्डस्ट्री, 434, जी आई डी सी, मार्कापुर बडोदरा	30.11.1991	8
21.	ट्रेन्ड सेटर्स, ए/6, मोहन इस्टेट, अनुपम सिनेमा के सामने, अहमदाबाद	5.11.1991	24
22.	गुजरात इलैक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल कार्पोरेशन 465, जी आई डी, इस्टेट मार्कापुर बडोदरा	20.11.1991	11
23.	सम्यक उद्योग, 124/1, जी आई डी सी, नन्द सारी जिला बडोदरा	30.11.1991	8
24.	राजस्थान मैटल एण्ड इंजिनियरिंग वर्क्स 25-28, गांधी धाम कच्छ	1.11.1991	35

1	2	3	4
25.	ए आर्ती लेदर्स प्रा० लि०, ग्राम ओरान टैपराटीज, जिला सवरकखा, डाकघर वादवारा	11.12.1991	67
26.	द सन्तोष कैमिकल्स वर्क्स, बापू नगर, अहमदाबाद	26.6.1992	13
27.	लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज, एस० टी डिपो के सामने, मातर जिला खेड़ा	30.1.1992	10
28.	इन्डस्ट्रीयल पेस्ट कंट्रोल एण्ड सर्विसेज, 115, के० पी० शॉपिग सैन्टर, करालीवंग, बड़ोदा	1.1.1991	7
29.	एसोसियेटेड रबर इन्डस्ट्रीज लि०, भावनगर	31.1.1992	327
30.	इन्द्र स्टील रोलिंग मिल, जीआईडीसी नरोदा अहमदाबाद	19.1.1992	117
31.	मै० के० एम० शाह, 37, अमर स्टेट, नरोदा रोड, अहमदाबाद	31.1.1991	16
32.	आसजा मैटल एण्ड ट्यूब प्रा० लि०, ब्लाक नं० 525, नीरमा के सामने, छत्राल जिला महसान	27.2.1992	15
33.	एसोसियेटेड रबर इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, पो० वसानी मुकाम वस्का, टी०ए० कलोल, जिला पंचमवाल	27.3.1992	69
34.	महादेवी इंजि० एण्ड ट्रेडिंग प्रा० लि०, 505, जीआईडीसी, वातवा, अहमदाबाद	1.4.1992	73
35.	राजकमल, रीरोलिंग मिल्स, जीआईडीसी, नरोदा, अहमदाबाद	9.4.1992	70
36.	गोपाल कुसा डेयरी प्रा० लि०, संख्या-2, हानी नगर, अहमदाबाद	13.4.1992	60
37.	सूरू इन्डस्ट्रीज, 411, जीआईडीसी, ओधाव अहमदाबाद	11.5.1992	22
38.	गुजरात पोलिक्रेट प्रा० लि०, 17 व्रजवाड़ी, जीतलपुर रोड, बडोदरा	1.5.1992	14
39.	गुजरात मिनि स्टील लि०, वातवा, अहमदाबाद	1.5.1992	100

स्रोत—गुजरात सरकार

विवरण—II

क्रम संख्या	मिलों का नाम	बंद होने की तारीख	प्रभावित कर्मकार
1	2	3	4
1.	मानिक चौक तथा अहमदाबाद मैन्यु० कं० लि० अहमदाबाद	1-5-77	1075
2.	भालकीया मिल्स, अहमदाबाद	8-3-82	2579
3.	हर्सदन मिल्स, अहमदाबाद	19-10-82	2900
4.	महारापुरा मिल्स, पोरबन्दर	12-2-83	2966
5.	मान्डवी स्पि० मिल्स, मान्डवी	2-9-83	250

1	2	3	4
6.	नवज्योत मिल्स, मादी	1-1-84	900
7.	तरूण कमर्शियल मिल्स, अहमदाबाद	7-3-84	2446
8.	अभय मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	1-4-84	1650
9.	आबाद कॉटन मैन्यु० कं० लि० नं० 1, अहमदाबाद	7-7-84	1423
10.	बन्सीधर स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, अहमदाबाद	25-9-85	1345
11.	द कमर्शियल आबाद मिल्स कं० लि०, भुज	28-10-85	250
12.	द सॉकमैन मिल्स लि०, विलमोरे	11-6-86	2128
13.	गांधीधाम स्पि० मैन्यु० गांधीधाम, कच्छ	25-7-86	596
14.	न्यू गुजरात सिन्थेटिक लि० नं० 1 अहमदाबाद	10-8-86	2500
15.	न्यू गुजरात सिन्थेटिक लि० नं० 2 अहमदाबाद	12-9-86	1617
16.	ओमेक्स इन्वेस्टर्स लि०, अहमदाबाद	12-9-86	1339
17.	भारत सूर्योदय मिल्स, अहमदाबाद	10-11-86	2136
18.	नवजीवन मिल्स, कलौल	13-11-86	801
19.	आर्योदय स्पि० एण्ड वीविंग मैन्यु० कं०, अहमदाबाद	18-11-86	1170
20.	प्रसाद मिल्स, अहमदाबाद	11-12-86	500
21.	पी०जी० टेक्सटाइल्स मि०, बडोदरा	21-2-87	900
22.	अहमदाबाद जुबली मिल्स, अहमदाबाद	9-3-87	2450
23.	अहमदाबाद रामकिशन मिल्स, अहमदाबाद	31-3-87	1991
24.	श्री विवेकानन्द मिल्स, अहमदाबाद	13-4-87	1388
25.	आर्योदय जिनिंग मिल्स, अहमदाबाद	24-7-87	1900
26.	जमुना मिल्स, बडोदरा	26-8-87	670
27.	केलिको मिल्स, कलौल	6-10-87	1663
28.	अजीत मिल्स, अहमदाबाद	20-11-87	1400
29.	विजय मिल्स, अहमदाबाद	26-1-88	2000
30.	श्री अम्रुता मिल्स, अहमदाबाद	1-11-90	2260
31.	अरूण मिल्स, अहमदाबाद	28-11-91	3158
32.	नूतन मिल्स, अहमदाबाद	20-1-92	2734
33.	कॉन्टिनेन्टल टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	2-2-92	2128

स्रोत—गुजरात सरकार

[अनुवाद]

अन्टार्कटिका में भारत के कार्यकलाप

2126. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्टार्कटिका में भारत की उपस्थिति और कार्यकलापों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि अभी भी कारगर है; यदि हां, तो वर्तमान सन्धि के बारे में भारत की स्थिति क्या है;

(ग) क्या "दक्षिण गंगोत्री" और "मैत्री" सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने अन्टार्कटिका में अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई और खोज कार्य शुरू किये हैं;

(ङ) क्या सरकार को मैत्री से दक्षिणी ध्रुव तक भू-अभियान चलाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम): (क) भारत ने अब तक अंटार्कटिक को 11 भारतीय वैज्ञानिक अभियान भेजे हैं, एवं एक स्थायी केन्द्र "मैत्री" का रख-रखाव भी करता है जिसका निर्देशक 70° 45′ 39.4″ .008 दक्षिण तथा 11°44′ 48.6″ पूर्व है।

वायुमंडलीय विज्ञान तथा मौसमविज्ञान, भूविज्ञान, भूभौतिकी तथा भूचंबकत्व, जीवविज्ञान एवं समुद्री विज्ञान तथा पर्यावरणीय शरीर क्रिया विज्ञान की विद्याओं में वैज्ञानिक अन्वेषण किए जा रहे हैं।

अंटार्कटिक को 12वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान दिसम्बर 1992 में भेजना निर्धारित है।

(ख) जी हां, श्रीमान । 1959 की अंटार्कटिक संधि लागू है। भारत संधि का एक सदस्य है तथा परामर्शक की हैसियत रखता है।

(ग) जी हां, श्रीमान। दक्षिण गंगोत्री ग्रीष्म कैम्प सहित आपूर्ति आधार के रूप में कार्य कर रहा है जबकि मैत्री केन्द्र वर्ष भर स्थायी स्टेशन के रूप में कार्य कर रहा है।

(घ) भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिक सर्वेक्षण अंटार्कटिक में मैत्री क्षेत्र से दूर हम्बोल्ट तथा बोल्थाट क्षेत्रों में किया जा रहा है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लाना

2127. **श्री गोविन्दराव निकाम:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत लाये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक, वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 सार्वजनिक, सहकारी, संयुक्त या निजी क्षेत्रों द्वारा किसी प्रतिफल के लिए भाड़े पर दी गई सभी सेवाओं पर लागू होता है। अतः एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइंस द्वारा दी गई सेवाएं उक्त अधिनियम के तहत आती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कुओं का निर्माण

2128. **श्री यशवंतराव पाटिल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों में कुओं का निर्माण करने का अनुरोध किया है जहां कृषि-क्षेत्र बहुत फैला हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वैंकटस्वामी): (क) जी हां।

(ख) दस लाख कुओं की योजना के नाम से जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब, छोटे तथा सीमांत किसानों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को सिंचाई के खुले कुएं निशुल्क उपलब्ध कराना है। जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटित संसाधनों में से 20 प्रतिशत संसाधन दस लाख कुओं की योजना के लिये निर्धारित किये जाते हैं। राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कुओं द्वारा सिंचाई की संभाव्यता वाली असिंचित कृषि भूमि के संदर्भ में जिलों को दस लाख कुओं की योजना के संसाधनों का आबंटन करती है।

चालू वित्त वर्ष (1992-93) के दौरान महाराष्ट्र सरकार को दस लाख कुओं की योजना के लिए 1.4.1992 को 3187.33 लाख रुपये रिलीज किये जा चुके हैं। राज्य सरकार ने जरूरतमंद जिलों को 796.83 लाख रुपये के अपने मैचिंग अंश के साथ इस राशि को आवंटित कर दिया है।

आर्थिक स्थिरता कार्यक्रम

2129. **डा० जयंत रंगपी:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे;

(ख) क्या आर्थिक स्थिरता कार्यक्रम के पहले वर्ष में लगभग 22.5 मिलियन अतिरिक्त लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं जैसा कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद् के अध्ययन से पता चला है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस रुख को रोकने के लिए आर्थिक स्थिरता कार्यक्रम में कुछ संशोधन करने का सरकार का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) योजना आयोग गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या का उन वर्षों के लिए अनुमान लगाता है जिनके लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय पर किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हों। नवीनतम वर्ष जिनके लिए डाटा उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं:— 1977-78, 1983-84 और 1987-88 गरीबी रेखा के नीचे की संख्या के अनुमान छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी का रूझान दर्शाता है। इन वर्षों के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन से वाकिफ हैं जिसमें कुछ परिकल्पनाएं करते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम के पहले वर्ष के दौरान देश में लगभग 22.5 मिलियन व्यक्ति गरीबी समूह में जुड़ जाएंगे। यह अध्ययन एक बहुत कमजोर पद्धति और तथ्यों पर आधारित है जो सांख्यीकीय दृष्टि सत्यापनीय नहीं है। ये परिणाम केवल अंदाज किस्म के और अनुमानिक हो सकते हैं। कार्यक्रम के प्रभाव के वास्तविक मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम आरंभ करने से पहले और बाद में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों की आवश्यकता होती है जो इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों में 1977-78, 1983-84 और 1987-88 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति

(लाखों में)

क्र०सं०	राज्य	व्यक्ति		
		1977-78	1983-84	1987-88
1.	आन्ध्र प्रदेश	217.4	205.1	195.70
2.	असम	84.4	49.8	52.89
3.	बिहार	364.2	365.5	336.54
4.	गुजरात	122.1	87.6	73.25
5.	हरियाणा	29.9	21.7	18.15
6.	हिमाचल प्रदेश	10.7	6.1	4.52
7.	जम्मू और कश्मीर	18.4	10.3	9.79
8.	कर्नाटक	173.5	137.6	136.46
9.	केरल	117.1	71.5	48.98
10.	मध्य प्रदेश	285.8	254.9	224.97
11.	महाराष्ट्र	296.2	232.2	214.10
12.	मणिपुर	3.7	1.9	*
13.	मेघालय	5.8	4.0	*
14.	उड़ीसा	162.7	118.1	135.12
15.	पंजाब	25.5	24.4	13.88
16.	राजस्थान	103.5	126.2	99.54
17.	तमिलनाडु	244.4	200.2	176.85
18.	त्रिपुरा	11.2	5.1	*
19.	उत्तर प्रदेश	506.0	530.6	448.34
20.	पश्चिम बंगाल	265.5	225.1	173.45
21.	छोटे राज्य तथा सभी संघ राज्य प्रदेश	20.0	32.3	14.2
	अखिल भारतीय	3068.0	2710.0	2376.7

टिप्पणी * क्र०सं० 21 में शामिल

1983-84 और 1987-88 के लिए आंकड़े अंतिम हैं।

[हिन्दी]

बिहार में हैंडपम्प लगाना

2130. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी:**. क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपम्प लगाने हेतु 1991-92 के बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था;

(ख) क्या राज्य के आंत्रशोध से प्रभावित क्षेत्रों में 200 हैंडपम्प लगाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो 30 जून 1992 तक वहां कितने हैंडपम्प लगाए गए थे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई के लिए 1991-92 में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 29.99 करोड़ रूपये और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 50.22 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था। हैंडपम्प लगाने के लिए कोई अलग बजट प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में गोबर गैस संयंत्र

2131. **श्री प्रवीन डेका:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए गोबर गैस संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संयंत्र को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई तथा राज्य के लिए कुल क़ितना धन जारी किया गया;

(क) क्या स्थापित किए गए अनेक संयंत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं या खराब हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) असम राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजना "राष्ट्रीय बायोगैस विकास और परियोजना" के अंतर्गत 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के वर्षों के दौरान क्रमशः 1134, 982 तथा 815 पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की रिपोर्ट भेजी है। इनके अलावा, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने भी राज्य में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए हैं।

(ख) प्रत्येक बायोगैस संयंत्र केन्द्रीय आर्थिक सहायता, टर्न की शुल्क संवर्धनात्मक प्रोत्साहनों, इत्यादि के लिए पात्र हैं। हालांकि, केन्द्रीय आर्थिक सहायता की दरें संयंत्रों के आकार, लाभभोगियों की श्रेणी और क्षेत्रों

के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989-90 से 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत असम राज्य सरकार को कुल लगभग 151.41 लाख रूपए की केन्द्रीय सहायता दी गई।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1985-86 से 1989-90 के दौरान स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों का राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा हाल में किए गए एक सर्वेक्षण-अध्ययन के अनुसार, असम में लगभग 87 प्रतिशत संयंत्र काम करने की स्थिति में पाए गए। अध्ययन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि शेष संयंत्र विभिन्न तकनीकी, प्रचालनात्मक तथा सामाजिक समस्याओं के कारण काम नहीं कर रहे हैं जैसे संयंत्र में गोबर के घोल को न डालना, संयंत्रों का उचित निर्माण न होना जिससे गैस निकलती रहती है, गैस-होल्डरों तथा पाइप लाइनों को नुकसान, अंदर तथा बाहर जाने वाली पाइपों का बंद हो जाना।

केन्द्रीय भंडार की स्टेशनरी वस्तुओं का घटिया स्तर की होने संबंधी शिकायतें

2133. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को "केन्द्रीय भण्डार" और मोती नगर कोआपरेटिव स्टोर जैसे अन्य सहकारी स्टोरों को स्टेशनरी की घटिया स्तर की वस्तुओं की सप्लाई के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें केन्द्रीय भण्डार को घटिया कागज तथा स्टेशनरी वस्तुओं की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। अन्य सहकारी स्टोरों से संबंधित इस प्रकार की शिकायतों की मानिटरिंग का काम हम नहीं करते हैं।

(ख) से (घ) उपयुक्त स्तर पर इन शिकायतों की पड़ताल की गयी है तथा संबंधित सप्लायर से इन वस्तुओं की खरीद जारी न रखने तथा नितान्त ज्यादती वाले मामलों में प्रतिबंध लगाने जैसे आवश्यक उपचारी उपाय किए गए हैं।

असम में विदेशी सहयोग से उद्योग लगाना

2134. **श्री उद्धव बर्मन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम राज्य में विदेशी सहयोग में चल रहे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है; और

(क) विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं, और उनकी शेयर प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) आम तौर पर विदेशी सहयोग अनुमोदनों में सहयोग के अधीन स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं

के स्थापना-स्थल का उल्लेख नहीं होता है तथा तदनुसार, किसी विशिष्ट स्थापना-स्थल में विदेशी सहयोग से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

दियासलाई निर्माण एककों में संकट

2135. **श्री बी० राजरवि वर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिवकाशी में विभिन्न दियासलाई निर्माण एकक संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) से (ख) सरकार को शिवकाशी क्षेत्र में दियासलाई निर्माण करने वाले एककों के समक्ष आ रही परेशानियों के संबंध में, साउथ इंडिया मैच मैन्यूफैरिंग एसोसियेशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। उनका संबंध दियासलाई उद्योग में लागू उत्पाद-शुल्क के वर्तमान ढांचे से है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकास कार्य

2136. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में स्थित सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कुछ प्रमुख विकास कार्य शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में उक्त अवधि के दौरान कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) 1992-93 के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र के कितने नए उपक्रम स्थापित करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) उद्यम विशेष के विकास संबंधी कार्य विभिन्न सरकारी उद्यमों द्वारा समय-समय पर किये जा रहे हैं। बहरहाल, गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में अवस्थित पंजीकृत कार्यालयों वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के विस्तार, विकास तथा प्रतिस्थापन आदि पर खर्च किये गये पूंजीगत व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	वर्ष		
		1990-91	1989-90	1988-89
1.	इंडियन पैट्रोकैमिकल्स लि०	34472	34876	35194
2.	नेप्टेप्का० (गुजरात) लि०	68	40	13

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में नई परियोजनाएं स्थापित करने अथवा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार करने का निर्णय परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और साधनों की उपलब्धता के साथ-साथ देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है।

[हिन्दी]

औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान जमा न किया जाना

2137. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औद्योगिक उपक्रमों तथा पटसन मिलों ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता के पास कर्मचारी भविष्य निधि की वर्तमान कटौतियों की राशि तथा पिछली बकाया राशि जमा नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी हां।

(ख) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 216 (गैर छूट प्राप्त) कारखानों/प्रतिष्ठानों की तरफ 25.57 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

(ग) बकाया राशि वसूली के लिए आवश्यक कानूनी तथा दाण्डिक कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

अपारम्परिक ऊर्जा का विकास

2138. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार अपारम्परिक ऊर्जा और अपारम्परिक विद्युत उत्पादन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुख राम): अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों तथा अपारम्परिक विद्युत उत्पादन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

एसोसिएटिड टायर मशीनरी लिमिटेड को अन्यत्र ले जाना

2139. **प्रो० राम कापसे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कटवा (ठाणे) स्थित एसोसिएटिड टायर मशीनरी लिमिटेड कंपनी को वहां से हटाकर तमिलनाडु में कोयम्बटूर में स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(घ) सरकार ने इस कंपनी के बेरोजगार श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में उपभोक्ता सहकारिता संस्थाएं

2140. **प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में वर्ष 1991-92 के दौरान शहरी क्षेत्रों में कितने उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं खोली गई;

(ख) 1992-93 के लिए कितने उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या इन सहकारी संस्थाओं को चलाने के लिए बाहर से वित्तीय सहायता मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (घ) सहकारिता राज्य का विषय है। केरल सरकार से सूचना मांगी गई है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

सुपर बाजार में हेराफेरी

2141. **श्री जनार्दन मिश्र**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार की पटेल नगर नई दिल्ली शाखा में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की हेराफेरी की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) जी हां। सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि 1985 से 1992 तक की अवधि के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के निदेशक को उधार आधार माल की सप्लाई के संबंध में धनराशि के गबन का एक मामला प्रकाश में आया है। यह माल कथित रूप से जाली मांग पत्रों के आधार पर जारी किया गया था और भंडार के एक कर्मचारी द्वारा इसका गबन किया गया था। इसमें 11.77 लाख रु० की राशि अंतर्ग्रस्त है।

(ग) और (घ) जी हां। सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि 19.5.92 को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा, में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सुपर बाजार के एक कर्मचारी तथा दो अन्य कर्मचारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। सुपर बाजार के कर्मचारी को निलम्बित भी कर दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रो-रसायन कॉम्पलेक्सों की स्थापना

2142. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में छः पेट्रो-रसायन कॉम्पलैक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को इस बीच स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित किये जाने का विचार है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी गई है अथवा किसी विदेशी कंपनी को सहयोग के लिए आमंत्रित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) प्रमुख पेट्रो-रसायन कॉम्पलैक्सों को स्थापित करने की नीति का पुनरीक्षण करने के पश्चात्, हाल ही में सरकार ने परियोजनाओं को लागू करने के लिए निम्नलिखित छः पेट्रो-रसायन कॉम्पलैक्सों के प्रवर्तकों लाइसेंस-धारकों को नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं:—

		प्रस्तावित स्थापना स्थल
1.	आईपीसीएल का गंधार पेट्रो-रसायन कॉम्पलैक्स	गंधार (गुजरात)
2.	हल्दिया पेट्रो-रसायन कॉम्पलैक्स, डब्ल्यूबीआईडीसी की एक संयुक्त क्षेत्र परियोजना	हल्दिया (पश्चिमी बंगाल)
3.	गेल का औरैया पेट्रो-रसायन कॉम्पलैक्स	औरैया (उ०प्र०)
4.	यूबी पेट्रो-रसायन लिमिटेड का विजाग पेट्रो-रसायन कॉम्पलैक्स	विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश)
5.	एनओसीआईएल के पेट्रो-रसायन कॉम्पलैक्स का विस्तार	थाणे-बेलापुर रोड़ (महाराष्ट्र)
6.	एएसआईडीसी का असम पेट्रो-रसायन कॉम्पलैक्स	असम

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हल्दिया परियोजना के प्रवर्तकों के एशियाई विकास बैंक, मनीला, आईएफसी, वाशिंगटन इत्यादि से वित्तीय ऋणों के लिए सम्पर्क किया है। गंधार, हल्दिया, औरैया और एनओसीआईएल की परियोजनाओं के लिए तकनीकी जानकारी, विदेशी सहयोग की मंजूरियां दी जा चुकी हैं।

सलीमपुर एरोमेटिक काम्पलैक्स

2143. **श्री संतोष कुमार गंगवार:**
श्री सत्य देव सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सलीमपुर एरोमेटिक काम्पलैक्स, उत्तर प्रदेश के लिए तकनीकी सहयोग तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वीकृति का मामला इस समय किस चरण में है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग

मार्च, 1992 में स्वीकृत कर दिया गया है। पूंजीगत वस्तुओं का आयात-निर्यात आयात नीति, 1992—1997 के उदारीकृत उपबन्धों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

राजस्थान में ग्रामीण विकास

2144. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सरकार को प्रत्येक ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी सहायता राशि रदान की गई;

(ख) राज्य सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य में रोजगार के लिए कितने पदों का सृजन किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के संबंध में 1992-93 के दौरान राजस्थान सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता की राशि निम्न प्रकार है:—

	मुख्य कार्यक्रम	सहायता की राशि (लाख रुपये में)	रिलीज की गई राशि (लाख रुपये में)
(1)	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3118.00*	758.00
(2)	जवाहर रोजगार योजना	9991.41*	4561.96
(3)	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	4183.00	2092.00
(4)	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	514.00*	128.49
(5)	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	3800.00	1697.50

*केन्द्र तथा राज्य अंश सहित

(ख) (1) वर्ष 1992-93 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गये विस्तृत कार्यों और उन पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(2) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई गतिविधियां भूमि, जल और वन संसाधनों के विकास से संबंधित हैं। इन कार्यों में से प्रत्येक पर क्रमशः 7.82 लाख रुपये, 10.19 लाख रुपये और 10.09 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ग) मुख्य रूप से दो रोजगार कार्यक्रम अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान राजस्थान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के कार्य सृजित करने वाली परिसम्पत्तियों द्वारा कुल 1,31,986 परिवारों को सहायता दी गई थी और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, रोजगार के कुल 387.63 लाख श्रमदिन सृजित किए गए हैं।

कृषि व्यवसाय संघ

2145. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि तथा संबंद्ध कार्यकलापों की विविधता तथा व्यापारीकरण के माध्यम से पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु तैयार की गई परियोजना के अन्तर्गत लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ को नीतियां योजनाएं तथा अन्य विवरण तैयार करने हेतु सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कहां तक सहायता देने के लिए सहमति हो गई है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं द्वारा कुल कितना रोजगार पैदा होगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "प्लानिंग फॉर फुल एम्प्लायमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर दी स्माल फारमर्स एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम" नामक परियोजना 13.3.92 को यू एन डी पी द्वारा अनुमोदित की गई है। एम० एस० स्वामीनाथ्न फाउण्डेशन, मद्रास सरकारी कार्यान्वयन ऐजेंसी है तथा योजना आयोग कार्यपालक एजेंसी है। कुल यू एन डी पी निवेश राशि 200,000 डालर है।

(घ) परियोजना का विकास उद्देश्य उन जिलों में लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है, जहां यह परियोजना प्रचालित होगी।

उत्प्रवास कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के आरोप

2146. **श्री रूप चन्द मुरमु:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालय, मुम्बई के मूल कर्मचारियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जांच कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह धाटोवार): (क) जी, हां।

(ख) यह सूचना प्राप्त होने पर कि उत्प्रवास संरक्षी का कार्यालय (पी०ओ०ई०), बम्बई के अधिकारी उत्प्रवासियों के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न ट्रेवल एजेन्टों से गैर कानूनी घूस प्राप्त कर रहे थे, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 10 फरवरी, 1992 को उस कार्यालय की अचानक जांच की। अचानक की गयी जांच के दौरान, यह पाया गया कि अनेक भर्ती एजेन्ट इतना धन लेकर आये थे जिसे अभिकथित रूप से उत्प्रवास संरक्षी कर्मचारियों के अनुदेशों के अनुसार बताये गये एजेन्टों/दलालों को दिया जाना था। मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांचाधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड द्वारा विदेशी कंपनियों के साथ किए गए समझौते

2147. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड ने तीन विदेशी कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेलों आदि के वायदा व्यापार पर अध्ययन

2148. **श्री सुधीर गिरि:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायदा विपणन आयोग ने खाद्य तेल, तिलहन तथा खल के वायदा व्यापार को फिर से शुरू करने के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन कराया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को रिपोर्ट दे दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (घ) जी नहीं। वायदा बाजार आयोग ने अपने सामान्य प्रशासनिक कार्य के एक अंग के रूप में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें कुछ प्रमुख तिलहनों, खाद्य तेलों तथा उनकी खलियों में वायदा व्यापार शुरू करने का सुझाव दिया गया है। सरकार ने इन सुझावों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

भारत को जापान की सहायता

2149. **श्री साईमन मरान्डी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योगपतियों का एक दल जापान गया था और उसने जापानी उद्यमियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल ने जापानी उद्यमियों को क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया;

(ग) जापानी उद्यमियों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जापान द्वारा भारत को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिये जाने वाले ऋण / सहायता का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री के साथ गया था, जिन्होंने 8 अप्रैल से 12 अप्रैल, 1992 तक जापान का दौरा किया था। भारतीय उद्योगपतियों के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने भारत-जापान स्थायी समिति की 15वीं संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए 21 जून से 24 जून, 1992 तक जापान का दौरा किया था। इन दौरों के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने भारत सरकार द्वारा घोषित हाल के नीतिगत सुधारों का विशेष उल्लेख किया था और जापानी उद्यमियों को भारत में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया था, जिस पर उनकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई।

(घ) जापान सरकार ने समिति की बैठक में कुल 111.9 बिलियन यैन राशि का वचन दिया है।

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादों के लिए लाइसेंस प्रणाली पुनः शुरू करना

2150. **श्री नवल किशोर रायः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का लाइसेंस समाप्त करने संबंधी अपनी नीति पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों जिनके लिए पुनः लाइसेंस दिया गया है, के अलावा किन्हीं अन्य मदों के लिए भी पुनः लाइसेंस दिये जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) नई औद्योगिक नीति के तहत् दूध तथा दूध से बने उत्पादों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। ये लाइसेंसमुक्त ही बने रहेंगे।

(ग) और (घ) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत् जारी किए गए दूध तथा दूध से बने उत्पादों संबंधी आदेश के अधीन दूध तथा दूध से बने उत्पादों से संबंधित एककों को एक निश्चित मात्रा के पश्चात् पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

भारतीय पेटेंट अधिनियम में परिवर्तन

2151. **प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्यः**
श्री मृत्युंजय नायकः
श्रीमती सुशीला गोपालनः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय पेटेंट अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्पादों और फार्मास्यूटीकल अनुसंधान की प्रक्रियाओं को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों में सम्मिलित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981

2152. **श्री अन्ना जोशी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है और व्यापारियों की परेशानी में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत कितने मामले दायर किये गए, कितने मामलों में मुकदमे चले और कितने व्यक्ति दोषी पाए गए; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत वर्ष 1990 और 1991 के दौरान की गई कार्रवाई निम्नवत है:—

	1990	1991
मारे गए छापों की संख्या	134002	166049
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	5984	5754
उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया	4866	6735
दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	603	291
जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रु० में)	2887.2	2576.06

(ग) इस मंत्रालय में सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक तथा अन्य मामलों के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

"कृभको" लिमिटेड द्वारा नये उर्वरक कारखाना शुरू करना

2154. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स "कृभको" लिमिटेड देश में कुछ उर्वरक कारखाने खोलने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई सर्वेक्षण किया गया है और कारखाने खोलने के लिए स्थलों के चयन को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) क्या इस कारखाने को देश के दक्षिणी भागों में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) कृभको द्वारा निम्नलिखित उर्वरक परियोजनाओं की आयोजना की जा रही है:

(I) त्रिपुरा में अमोनिया/यूरिया परियोजना

दो सम्भव स्थानों की पहचान की गयी है, एक अगरतला के पास रामचन्द्रनगर में और दूसरा कुमारघाट के समीप। इन दो स्थानों का विस्तृत पर्यवेक्षण व्यवहार्यता अध्ययन के भाग के रूप में किया जाएगा।

(II) हजीरा में नाइट्रोफास्फेट परियोजना

कृभको ने अपने हजीरा फर्टिलाइजर कम्पलैक्स में एक नाइट्रोफास्फेट परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह हजीरा कम्पलैक्स से उपलब्ध होने वाले रॉक फास्फेट और फालतू अमोनिया पर आधारित होगा।

(III) एच॰बी॰जे॰ पाइपलाइन पर अमोनिया/यूरिया संयंत्र

यह परियोजना जो 1350 टन प्रतिदिन अमोनिया और 2200 टन प्रतिदिन यूरिया के उत्पादन के लिए है, के लिए गैस का आबंटन नहीं किया गया है।

(ग) मैसर्स कृभको का दक्षिण भारत में कोई उर्वरक कारखाना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा का ईंधन के रूप में उपयोग

2155. **श्री राम पूजन पटेल:**
डा॰ सुधीर राय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सौर ऊर्जा का उपयोग करके गैस आधारित ईंधन् तथा पेट्रोल की खपत को कम करने का प्रयत्न कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में सौर ऊर्जा को किस सीमा तक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी, हां। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय विभिन्न प्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के सौर तापीय तथा सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों और युक्तियों के विकास, प्रदर्शन तथा प्रचार-प्रसार को सहायता दे रहा है जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के पारम्परिक ईंधनों जैसे गैस, मिट्टी के तेल भट्टी-तेल, कोयला, जलावन लकड़ी की खपत में कमी हो रही है।

(ख) और (ग) सौर तापीय कार्यक्रम के अंतर्गत 2.22 लाख वर्गमीटर सौर संग्राहक क्षेत्र 31.3.1992 तक स्थापित किया गया जिसमें सौर जल तापन प्रणालियां, सौर वायु तापन प्रणालियां, सौर काष्ठ भट्टियां, सौर शुष्कन प्रणालियां और सौर आसवन प्रणालियां शामिल हैं। इसके अलावा, सम्पूर्ण देश में इसी अवधि में 2.27 लाख सौर कुकरों की व्यवस्था की गई है।

सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन तथा उपयोग कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 31.3.1992 तक लगभग 6,550 स्थिर प्रकाश यूनिटें तथा करीबन 2,500 सौर लालटेनें लगाई गई हैं। इसके अलावा, केन्द्रीकृत सौर प्रकाशवोल्टीय संयंत्रों से अनुमानतः लगभग 200 परिवारों को घरेलू प्रकाश कनेक्शन दिए गए जिसके फलस्वरूप मिट्टी के

तेल की बचत हुई है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, दूर-संचार विभाग, रेल विभाग तथा सीमा सुरक्षा बल भी विभिन्न प्रयोगों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत प्रणालियों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे डीजल की बचत हो रही है।

[अनुवाद]

खानों के मुहानों पर कोयले का भण्डार

2156. **श्री महेश कनोडिया:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खान के मुहानों पर कितना कोयला जमा है; और

(ख) इसे हटाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार उनकी कोयला खानों के पिटहैडों पर 43.549 मिलियन टन संचित कोयले का स्टाक विद्यमान है।

(ख) इन पिटहैड स्टाकों का परिसमापन करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(1) रेल लदान के लिए कोयले का उपलब्धता में, रेलवे साइडिंग से 3 कि०मी० से अधिक की दूरी पर स्थित पिटहैडों को कोयले के स्टाकों की रेलवे साइडिंगों तक परिवहन करके वृद्धि किया जाना।

(2) ग्रहीत संसाधनों के जरिए जैसे रोप-वे, बैल्ट्स और मेरी-गो-राउंड पद्धति द्वार कोयले का प्रेषण करके वृद्धि की जा रही है।

(3) चूंकि सड़क संयोजित कोलियरियों से बड़ी मात्रा में कोयले का स्टाक उपलब्ध है, अत: बड़े उपभोक्ता जैसे विद्युत उपयोगिताओं द्वारा सीमेंट यूनिटों को ऐसे स्रोतों से उपलब्ध कोयले का सड़क द्वारा उठान करने की सलाह दी गई है।

(4) सभी उपभोक्ताओं के लिए पिटहैडों से 20 मि० टन कोयले को जारी करने की एक योजना शुरू की गई है, जिसमें बिना किसी प्रयोजन के वास्तविक उपभोक्ताओं को तरजीह दी जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

2157. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद कोई गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के लिए धन देने वाले संस्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) कार्यक्रम की प्रायोजक एजेंसी का नाम क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद औद्योगिक इंजीनियरिंग, संयंत्र इंजीनियरिंग, औद्योगिक प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण जैसे विभिन्न विषयों पर दो-वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा "पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय प्रमाणपत्र परीक्षा" शीर्षक से एक पत्राचार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन कर रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद इन कार्यक्रमों को प्रायोजित कर रही है और इन पर होने वाला व्यय इसके गैर-योजना तथा योजनागत बजट प्रावधानों से पूरा किया जाता है।

चावल की भूसी से विद्युत

2158. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश चावल की भूसी से विद्युत उत्पादन करने में सफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विधि से विद्युत उत्पादन करने हेतु किन राज्यों में इन संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है और इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) इन संयंत्रों की स्थानवार स्थापना कब तक होने की सम्भावना है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) जी, हां। मैसर्ज ओसवाल एग्रो फुराने लिमिटेड द्वारा 1990 में पंजाब में धूरी स्थित अपने कारखाने में 10.5 मे०वा० का एक चावल भूसी आधारित कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया था। फालतू चावल पुआल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले 10 मे०वा० का एक फ्लूडाइज्ड वेड कम्बश्चन (एफ०बी०सी०) प्रायोगिक विद्युत संयंत्र पंजाब में पटियाला के निकट जलखेड़ी में स्थापित किया गया। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० और इस मंत्रालय के एक संयुक्त प्रयास के रूप में यह स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास परियोजना विश्व में इस प्रकार की पहली परियोजना है जो विद्युत उत्पादन के लिए चावल के पुआल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस प्रायोगिक परियोजना को अभी हाल में चालू कर दिया गया और इस पर 8.8 मे०वा० का विद्युत उत्पादन हुआ और उसके बाद कानूनी निरीक्षणों के लिए उसे बन्द कर दिया गया। नवम्बर, 1992 में धान की आगामी फसल के बाद यह संयंत्र पूरी तरह से चलने लगेगा और उसके बाद संयंत्र के कार्यनिष्पादन और उसके लिए पुआल इकट्ठा करने, उसके गट्ठे बांधने, भण्डारण करने और उसे लाने-ले जाने सम्बन्धी प्रणालियों के कार्य के साथ उसे व्यापक तौर से चलाया जाएगा।

(ग) और (घ) ऐसी परियोजनाओं की प्रतिकृति के लिए फिलहाल केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। यह राज्य सरकारों और उद्योग पर निर्भर है कि वे सम्बन्धित क्षेत्र में चावल भूसी/पुआल की उपलब्धता तथा प्रयोग के आधार पर इसी प्रकार की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लें।

पत्रकारों के लिए पेंशन योजना

2159. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को पत्रकारों के लिए पेंशन योजना के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने पत्रकारों सहित कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए एक उपयुक्त पेंशन स्कीम आरम्भ करने की सिफारिश की है। बोर्ड की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। योजना में अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति मृत्यु, स्थायी रूप से विकलांगता आदि मामले में मासिक पेंशन की अदायगी के लिए प्रावधान है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली स्टेट न्यूजपेपर इम्पलाइज फैडरेशन, इण्डियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट इत्यादि ने "तृतीय लाभ" के रूप में पेंशन की मांग की है। सरकार के विचाराधीन पेंशन योजना अंशदायी भविष्य निधि के बदले में है। इसलिए यह मांग केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिश के क्षेत्र से बाहर है।

[अनुवाद]

परियोजना विशेष बांड

2160. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना विशेष बांड जारी करने के लिए योजना आयोग की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का अंतिम लक्ष्य 70.61 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाना है। इस सिंचाई क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत, जिसका अनुमान 1962 में लगाया गया था, सातवीं योजना के अंत तक लगभग 4620 करोड़ रुपये के निवेश द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार शेष 4800 करोड़ रुपये की लागत में से प्रतिवर्ष 300-350 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराती है। प्रस्ताव के अनुसार वैकल्पिक उपायों के द्वारा जैसे कि सार्वजनिक ऋणों से, संसाधनों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। महाराष्ट्र सरकार का विचार है कि आठवीं योजना के दौरान कम से कम 750 करोड़ रुपये जुटाने होंगे तथा नौवीं योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए 1500 करोड़ रुपये या इतनी राशि और बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों के लिए बाजार ऋण कार्यक्रम के लिए निवेश योग्य

कुल संसाधन सीमित हैं। यहां तक कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों को खपाने के लिए बाजार प्रतिरोध विकसित हो रहा है इसलिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्कीम के अंतर्गत शामिल करना भी कठिन हो गया है। तथापि, यदि एक अतिरिक्त क्षेत्र तथा परियोजना विशिष्ट स्कीम आरंभ की जा सके तो ऐसे बांडों को जारी करने की मांग पर विचार किया जा सकता है।

गुजरात में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से गांवों का विद्युतीकरण

2161. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में जिला-वार कितने गावों का गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा और इसके लिए राज्य को कितना आवंटन दिया गया है; और

(ग) राज्य में सौर, पवन, जल आदि गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन का जिलेवार ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) गुजरात में तीन गांवों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूर्णतया विद्युतीकृत किया गया है। इनमें से दो गांव खेड़ा जिले में और एक गांव पंचमहल जिले में है। इसके अलावा, 1991 के अंत तक 374 गांवों को सौर प्रकाश वोल्टीय सड़क रोशनी उपलब्ध कराई गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है;

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से स्थापित की गई उत्पादन क्षमता की जिलावार स्थिति विवरण "क" में दी गई है।

विवरण

गुजरात राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से स्थापित उत्पादन क्षमता की जिलावार स्थिति

क्र० सं०	जिला	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	स्थापित उत्पादन क्षमता (मे०वा०)
1.	जामनगर	पवन	13.905
2.	कच्छ	पवन	2.295
3.	जूनागढ़	पवन	0.005
4.	राजकोट	बायोमास गैसीकरण	0.1
5.	भावनगर	बायोमास गैसीकरण	0.01
6.	बड़ौदा	बायोमास गैसीकरण	0.06

क्र॰ सं॰	जिला	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	स्थापित उत्पादन क्षमता (मे॰वा॰)
7.	बलसाढ़	बायोमास गैसीकरण	0.109
8.	खेड़ा	सौर प्रकाश वोल्टीय	0.012
9.	पंचमहल	सौर प्रकाशवोल्टीय	0.002
		योग	16.588

डाईजेस्टर (बायोगैस) इंजन प्रयोग में लाना

2162. **श्री के॰ तुलसिऐया वान्डायार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ईंधन बचाने तथा विद्युत के वैकल्पिक स्रोत के रूप में डाइजेस्टर (बायोगैस) इंजनों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि बायोगैस इंजनों में ईंधन की खपत कम होती है तथा इनसे प्रदूषण भी कम होता है;

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इन इंजनों को बाजार में लाने की पेशकश की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन इंजन् निर्माताओं को कोई राज सहायता/विशेष रियायतें देने का है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) दुहरे-ईंधन (बायोगैस) इंजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक रूपान्तर किट और लगभग 3 से 4 घन मीटर बायोगैस रखने की क्षमता वाले 2 या 3 गुब्बारों की 50 प्रतिशत लागत, परन्तु प्रति मामला अधिकतम कुल 2800/- रुपए की पूर्ति की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा, दुहरे-ईंधन वाले इंजनों के चलाने के लिए और अधिक क्षमता वाले संयंत्रों अर्थात् 8 से 15 घनमीटर प्रतिदिन गैस उत्पादन क्षमता वाले संयंत्रों की स्थापना के लिए अधिकतम 5000/- रुपए की राशि तक की केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) देश में इस समय लगभग 3 मुख्य निर्माता दुहरे-ईंधन (बायोगैस) वाले इंजनों का विपणन कर रहे हैं।

(घ) सरकार बायोगैस इंजनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की लेवी से पूरी छूट दे रही है। तथापि, इन इंजनों के विनिर्माताओं को कोई आर्थिक सहायता दिए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा रूस के एस०यू०-27 लड़ाकू विमानों की खरीद

2163. **श्री राम सागर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में पाकिस्तान द्वारा रूस से एस०यू०-27 लड़ाकू विमानों की खरीद के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनंदन लाल भाटिया): (क) जी हां।

(ख) सरकार उन सभी घटनाओं पर निरन्तर निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो और उसकी हिफाजत के लिए आवश्यक उपाय करती है।

सरकारी नौकरों को मानदेय

2164. **डा० जी० एल० कनोजिया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त ड्यूटी के लिए मानदेय स्वीकृति करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, और

(ख) क्या प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी भी मानदेय के हकदार हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) मूल नियम 46 (ख) में निरूपित मानदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सरकार सरकारी कर्मचारी को, ऐसे काम के लिए जो कि कभी-कभार किया जाने वाला हो या आन्तरायिक प्रकार का हो या उतना श्रमसाध्य हो या फिर ऐसा विशेष योग्यतापेक्षी हो जिसके लिए विशेष पुरस्कार न्यायोचित है, पारिश्रमिक के रूप में मानदेय प्रदान कर सकती है या मानदेय प्राप्ति के लिये अनुमत कर सकती है।

(ख) जी, हां।

इंजीनियरों और डाक्टरों का सिविल सेवाओं में जाना

2165. **श्रीमती गिरिजा देवी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियरों और डाक्टरों में सिविल सेवाओं में जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने इंजीनियरों और डाक्टरों ने सिविल सेवाओं में प्रवेश किया है; और

(ग) व्यावसायिक व्यक्तियों के सिविल सेवा में आने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) तथा (ख) बड़ी संख्या में सिविल सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के जरिए की जाती है। निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी विषय के स्नातक

परीक्षा में बैठ सकते हैं। वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित इंजीनियरों तथा डाक्टरों की संख्या निम्नानुसार है:—

विषय	परीक्षा वर्ष		
	1987	1988	1989
डाक्टर	38	31	30
इंजीनियर	175	233	244

(ग) कोई वृति या उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है। अतः इंजीनियरों तथा डाक्टरों को अपनी पसन्द की वृति चुनने का अधिकार है और उन्हें अपने सांविधानिक अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता।

रोजगार के लिए विदेश गए व्यवसायी

2166. **डा० बसंत पवारः** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान व्यवसाय-वार और देशवार कितने व्यवसायी रोजगार के लिए विदेश जाकर 'बस गये; और

(ख) ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों का उत्प्रवास रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) श्रम मंत्रालय उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को लागू करता है जो विदेशों में संविदाकार आधार पर श्रमिकों को भेजने को विनियमित करता है। उत्प्रवास अनुमति उनको प्रदान की जाती है जिनके पासपोर्ट पर "उत्प्रवास जांच आवश्यक" का पृष्ठांकन होता है। व्यवसाइयों अर्थात डाक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आदि के लिए उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उनके पासपोर्ट पर "उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं" का पृष्ठांकन होता है। इसलिए उन व्यवसाइयों के आंकड़े, जो नियोजन के लिए विदेशों में चले गये हैं, इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बैक्टिरिया के नष्ट होने की युक्ति

2167. **श्री जार्ज फर्नांडीजः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लखनऊ के इन्डस्ट्रियल टोक्सिकलाॅजी रिसर्च सेन्टर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी इलेक्ट्राॅनिकी युक्ति विकसित की है जो पेयजल के बैक्टिरिया और वायरस को 15 मिनटों में खत्म कर देता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आइटीआरसी) लखनऊ मे पीने के पानी में 90,000 एमपीएन

(अधिकतम संभव संख्या) बैक्टीरिया (कोलीफॉर्म) प्रति सौ मिलीलीटर तक और छह विभिन्न प्रकार के वायरसों के विसंक्रमण के लिए एक इलैक्ट्रोनिक जुगत (युक्ति) (वेक्ट-ओ-किल) का विकास किया गया है।

विशेषरूप से अभिकल्पित इलेक्ट्रोड्स वाला यह इलेक्ट्रोनिक जुगत एनोडिक आॅक्सीडेशन के सिद्धान्त पर आधारित है। जब धारा इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से प्रवाहित होती है तो आयन अभिगमन के कारण पैदा होने वाली एनोडिक आॅक्सीजन बैक्टीरिया और वायरसों को समाप्त कर देती है। इससे 8—10 लीटर पानी में बैक्टीरिया के विसंक्रमण के लिए लगभग 7—10 मिनट और 500 मिलीलीटर पानी में वायरस के विसंक्रमण के लिए 15—20 मिनट का समय लगता है।

पंजाब में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स

2168. **श्री कमल चौधरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना कहां स्थापित की जायेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) से (ग) पंजाब में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स की स्थापना करनाल रिफाइनरी की स्थापना से जुड़ी हुई है। फीडस्टॉक की उपलब्धता और अन्य तकनीकी आर्थिक पहलुओं के ध्यान में रखते हुए 9वीं योजना अवधि में ऐसे काम्पलैक्स की स्थापना का विचार करना संभव हो सकता है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का क्षेत्र

2169. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों के क्षेत्र का विस्तार करने तथा उपभोक्ता सामान की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभागों) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) और (ख) 2 अप्रैल, 1991 की गजट अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 232 (अ) के अनुसार, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ लघु औद्योगिक उपक्रमों के संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में स्थाई परिसंपत्तियों में निवेश की सीमा को 35 लाख रु॰ से बढ़ाकर 60 लाख रु॰ कर दिया है और सहायक औद्योगिक उपक्रमों में 45 लाख रु॰ से बढ़ाकर 75 लाख रु॰ कर दिया है। 6.8.91 को संसद के समक्ष रखे गये लघु अति लघु तथा ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने से संबंधित नीतिगत उपायों में लघु औद्योगिक एककों के लिए अनेक प्रोत्साहनों और सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। इन उपायों का आशय भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली एककों समेत लघु औद्योगिक एककों को प्रोत्साहन देने तथा उनका कार्य क्षेत्र बढ़ाना है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिकी आयोग

2170. **श्री चेतन पी०एस० चौहान:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी के आयात के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी आयोग के सुझावों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) प्रौद्योगिकी के आयात को सरकार द्वारा दिनांक 24.7.1991 को घोषित औद्योगिक नीति द्वारा विनियमित किया जाता है। चूंकि इलैक्ट्रॉनिकी आयोग को मई, 1989 में समाप्त कर दिया गया, अतः इस आयोग के विचार जानने का प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा के लिए विशेष सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करना

2171. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में ऐसे किन्हीं जनजातीय क्षेत्रों का पता लगाया गया है जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक राजसहायता पर खाद्य तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) से (ग) त्रिपुरा में सभी 18 विकास ब्लाक आंशिक रूप से समेकित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल हैं। समेकित आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों में गेहूं और चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य की तुलना में 54 रु० प्रति क्विंटल कम की दरों पर जारी किया जाता है। यह राजसहायता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही सामान्य राज सहायता के अलावा है। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के अन्तर्गत, त्रिपुरा सरकार ने 32 अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोली हैं और 17,995 अतिरिक्त राशन कार्ड जारी किए हैं, ताकि समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में वस्तुएं पहुंचाने के कार्य में सुधार किया जा सके और उसके अन्तर्गत अधिक लोगों को लाया जा सके।

ब्याजधारी बॉंड योजना

2172. **श्री अजय मुखोपाध्याय:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई आर्थिक नीति के कारण छंटनी किये जाने की संभावना वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए विशेष ब्याजधारी बॉंड योजना शुरू करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु क्या उपाय करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) विशेष ब्याजधारी बांड को जारी करने के किसी विशिष्ट प्रस्ताव के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) 24 जुलाई 1991 की नई आर्थिक नीति पर वक्तव्य में यह कहा गया है कि सरकार श्रमिकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करेगी, उनके कयाण कार्यों में वृद्धि करेगी और प्रौद्योगिकी परिवर्तन की अपरिहार्यता से सभी प्रकार से निपटने के लिए उन्हें उपस्कर उपलब्ध कराएगी। श्रमिकों को उन्नति और खुशहाली में समान भागीदार बनाया जाएगा। प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। रूग्ण कंपनियों को ठीक करने संबंधी तैयार किए गए पैकेजों में श्रमिक सहकारिताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। गहन प्रशिक्षण, कौशल विकास और दर्जा बढ़ाने के कार्यक्रम शुरू किये जाएंगे।

बंगला देश के साथ रेल सम्पर्क पुनः आरंभ करना

2173. **डा० सुधीर राय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगला देश की प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान बंगला देश के साथ रेल सम्पर्क पुनः आरंभ करने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या उनकी यात्रा के दौरान गंगा और ब्रह्मपुत्र सम्पर्क नहर (लिंग कनाल) के निर्माण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस मसले पर विशेष रूप से चर्चा नहीं हुई थी। तथापि, दोनों प्रधान मंत्रियों ने जैसा कि संयुक्त विज्ञप्ति में बताया गया है, इस बात के लिए सहमति व्यक्त की कि गंगा, तीस्ता और अन्य बड़ी नदियों के जल प्रवाह के बंटवारे के लिए आपसी चर्चाओं के जरिये की जाने वाली उचित दीर्घावधिक और व्यापार व्यवस्था से दोनों देशों के लोगों के हित अच्छे तरीके से सध सकेंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से छूट

2174. **श्री एम० रमन्ना राय:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से छूट देने संबंधी नीति क्या है;

(ख) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के, राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार नाम क्या हैं जहां पर श्रमिक संघों ने कर्मचारी राज्य बीमा से छूट के लिए अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिये प्रबंधन द्वारा समुचित सरकार के पास एक औपचारिक आवेदन देना अपेक्षित

है। छूट के बारे में ट्रेड यूनियन के अभ्यावेदन पर केवल तभी विचार किया जाता है जब उसका संबंधित प्रबंधन द्वारा समर्थन किया जाता है। कारखानों/प्रतिष्ठानों को तभी छूट प्रदान की जाती है, यदि उनके कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये लाभों के समान या उच्चस्तरीय लाभ प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राज्य सरकार से छूट प्राप्त करना अपेक्षित है। अतः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जहां से ट्रेड युनियनों ने छूट प्राप्त करने के लिये अभ्यावेदन दिए हैं, के नाम उपलब्ध नहीं है। जहां तक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संबंध है, अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पेंसलीन की अनुपलब्धता

2175. **श्री हरि किशोर सिंह:**
डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव:
श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंसलीन की अनुपलब्धता के कारण एंटीबायोटिक बनाने वाले अनेक एककों को बन्द होने के लिए विवश कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) इस प्रकार का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों को बारी-बारी से नियुक्त करना

2176. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों को समय-समय पर बारी-बारी से नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा: (क) से (ग) जी, नहीं। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में सदस्यों को समय-समय पर एक न्यायपीठ से दूसरे न्यायपीठ में स्थानान्तरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 5 (4) (ख) के उपबंधो के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष को एक न्यायपीठ से दूसरे न्यायपीठ में सदस्यों को स्थानान्तरण करने की शक्ति प्राप्त है।

कूटनीतिक संबंध

2177. **डा० रमेश चन्द तोमर:**
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के कूटनीतिक संबंध किन-किन देशों के साथ नहीं हैं;

(ख) क्या भारतीय पासपोर्ट धारकों को इन देशों की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान भारत ने किन-किन देशों के साथ कूटनीतिक संबंध पुनः स्थापित किये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनन्दन लाल भाटिया): (क) भारत के निम्नलिखित देशों के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं:

1. फिजी
2. माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य
3. होन्डूरास
4. लाइकेन्स्टीन
5. मार्शल द्वीपसमूह
6. दक्षिण अफ्रीका

(ख) जी हां, भारतीय पासपोर्ट धारक इन देशों में जा सकते हैं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) किसी के साथ नहीं।

गुजरात में हैंड पम्प लगाने के लिए धनराशि

2178. **श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हैंड पम्प लगाने के लिए धनराशि देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां अब तक कितने हैंड पम्प लगाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी हां।

(ख) अनुसूचित जातिंबों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2127 हैंड पम्प लगाने के लिए 5.32 करोड़ रुपए के अनुरोध के मुकाबले केन्द्रीय सरकार ने डा० बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 1991-92 में 1500 हैंड पम्प लगाने के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है। सूखा

प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में राज्य सरकार ने सूखा राहत सहायता के लिए प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ 2258 गांवों में पेयजल हेतु 3473 हैंड पम्पों के लिए 7.56 करोड़ रुपए की राशि का अनुरोध किया था। यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा इस खर्च को आपदा राहत निधि तथा सामान्य योजना कार्यक्रम की निधियों से पूरा किया जाए।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों को पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत 242 हैंड पंप तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 2529 हैंड पम्प लगाए गए हैं।

भारतीय उर्वरक निगम का तालचेर एकक

2179. **श्री एस॰ बी॰ थोरात:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन मैनेजमेंट इरेंगुलर पावर सप्लाई—एफ॰सी॰ आईज "तालचेर यूनिट फेसिज क्लोजर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के अन्य उर्वरक एककों का ब्यौरा क्या है जिनके बन्द होने की संभावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय करने का प्रस्ताव है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) जी, हां।

(ख) तलचर संयंत्र आरम्भ से ही अनेक कारणों, जिसमें उपस्कर एवं डिजाइन असंतुलन, कोयले की घटिया किस्म, विद्युत की कमी तथा विद्युत आपूर्ति की निम्न कोटि आदि शामिल है, की वजह से संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहा है। तलचर संयंत्र को बन्द करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा रामागुण्डम एकक के लिए कोई विशेष सहायता नहीं दी गयी है।

(ग) इस तरह का कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।

(घ) दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि॰ (एफ सी आई) ने तालचर सहित विभिन्न एककों के नवीकरण/पुनर्वास के संबंध में तथा कम्पनी की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। तथापि, इन प्रस्तावों का अंतिम परिणाम उनकी वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता, बजटीय स्रोतों के जरिये निधि के आबंटन तथा रसायन उद्योग पर त्रिपक्षीय समिति के विचारों पर भी निर्भर करेगा। कम्पनी ने अपने मामले को बोर्ड फार इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंसियल रिस्ट्रक्चरिंग (बी आई एफ आर) को भी भेजा है। कम्पनी को रामागुण्डम और तालचर एककों के संबंध में इन एककों के पुरानेपन की दृष्टि से प्रतिधारण मूल्य-सह-आर्थिक सहायता योजना के तहत प्राप्त मानदण्डों और क्षमता उपयोगिता में अतिरिक्त भत्ता दिया गया है। कम्पनी को इसके बकाया आर्थिक सहायता का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

2180. **श्री माणिकराव होडल्या गावीः**
श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डीः

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नीति को लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसको कब तक लागू किया जायेगा?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) योजना आयोग ने केरल के मुख्य मंत्री श्री के० करूणाकरण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के बारे में सुझाव देने और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वित करने और उसमें सिफारिश की गई कार्यनीतियों की निरन्तर समीक्षा और निगरानी करने हेतु उपयुक्त कार्यविधियों की पहचान और उनकी सिफारिश करने के लिए जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति का गठन किया है। जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति की सिफारिश को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं

2181. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधायें प्रदान करने के संबंध में वेतन प्रतिबन्ध हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) जी, हां।

(ख) चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में दिनांक 31.12.87 को इस आशय के आदेश जारी किए गए थे कि सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बिना किसी वेतन सीमा के दिनांक 1.12.87 से बाल शिक्षा भत्ता/शिक्षण शुल्क और छात्रावास आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं बशर्ते कि वे इन रियायतों की मंजूरी को विनियमित करने वाली सभी शर्तें पूरी करते हों।

धातु भंडारों का निष्कर्षण

2182. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सागर-तल में पड़ी धातु मॉड्यूल के बड़े भंडार को निकालने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सागर-तल से धातु-भंडार निकालने हेतु अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या धातु निकालने के पहले चरण में देरी हो गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ड्रेजिंग आदि उपकरण बेकार रहे हैं अथवा उपयोग नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिक तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम): (क) जी हां, श्रीमान। भारत को वर्ष 1987 में, मध्य हिन्द महासागर में एक अनन्य खान स्थल आवंटित किया गया। बहुधात्विक

पिण्डिकाओं के लिए इस स्थल का सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य और उनकी दुलाई के लिए गहरी समुद्र संस्तर खनन प्रणाली के विकास के प्रारंभिक चरण का कार्य तथा इन पिण्डिकाओं से ताम्बा, कोबाल्ट और निकल को प्राप्त करने के लिए प्रक्रम प्रौद्योगिकियों का कार्य प्रगति पर है।

(ख) उपयुक्त पैरा (क) में उल्लिखित कार्यकलापों को सहयोग प्रदान करने के लिए 31-3-1992 तक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों पर 39.49 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान।

1991-92 के लिए क्षेत्र-वार योजना परिव्यय

2183. **श्री रतिलाल वर्मा:**
श्री नरेश कुमार बलियान:

क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के लिए क्षेत्र-वार योजना परिव्यय और पिछले साल के राज्य-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) उक्त योजना में कृषि और औद्योगिक उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) कितना विकास दर प्राप्त किया गया हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) ब्यौरे 1991-92 एवं 1990-91 के वार्षिक योजना दस्तावेजों में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

(ग) वर्ष 1991-92 से सम्बद्ध आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

रोजगार में हेरा-फेरी

2184. **श्री जीवन शर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1992 के इण्डियन एक्सप्रेस में "एस०सी० विरटेंस बंगलिंग इन एम्प्लामेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित प्रमुख बातें क्या हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकारी विभागों में धोखाधड़ी/नकली भर्ती के मामले विगत में कुछ समय पहले प्रकाश में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने रोजगार कार्यालय से नैमित्तिक मजदूरों के नाम प्राप्त किए बिना उन्हें नियुक्त करने तथा बाद में उनकी सेवाओं को नियमित करने की गैर-कानूनी प्रथा की भर्त्सना की है। मौजूदा नीति निर्णय के अनुसार है तथा इस पर कोई और कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है। चूंकि मंत्रालयों/विभागों में ऐसे मामलों में भर्ती विकेन्द्रीकृत है, इसलिए धोखाधड़ी, नकली भर्ती, यदि कोई हुई हो तो उससे संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

उचित दर की दुकानों के लाइसेंस

2185. **श्री मुमताज अंसारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में 1500 उचित दर की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में ऐसा अभियान शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी दुकानों के लाइसेंस रद्द किये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश में कालेबाजार में सामान बेचने वाली दुकानों के लाइसेंस रद्द करने की कोई योजना तैयार करने का है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें उचित दर दुकानें खोलने के बारे में निर्णय लेने, उचित दर दुकानों को लाइसेंस देने, उचित दर दुकानों को रद्द करने व उनका निरीक्षण करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उपबंधों को लागू करने का कार्य शामिल है। राज्य सरकार के अधिकारी, उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण पर नजर रखने तथा उचित दर दुकानधारियों द्वारा की जाने वाली अनुचित व्यापार पद्धतियों को नियंत्रित करने व सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को खुले बाजार में भेजे जाने से रोकने के लिए नियमित रूप से उचित दर दुकानों का निरीक्षण करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस वर्ष के दौरान उचित दर दुकानों के रद्द किए गए लाइसेंसों के बारे में सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

बन्द मिलें

2186. **डा० परशुराम गंगवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घाटा उठाने वाली मिलों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) सरकार का राज्यवार ऐसी कितनी मिलों को पुनः अर्थक्षम बनाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) से (ग) फिलहाल सरकारी क्षेत्र के किसी भी एकक को बन्द किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के ऐसे 54 औद्योगिक एकक अभिज्ञात किये हैं जिन्हें रुग्ण एककों के

रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन उद्यमों के लिए पुनरुद्धार / पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं बनाने हेतु उन्हें रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना है।

कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लोगों हेतु आरक्षित पद

2187. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपोरेशन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों को भर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बाकी पदों को शीघ्र भरने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम): (क) तथा (ख) सीएमसी लिमिटेड में 1.4.1991 से 31.3.1992 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति (एस सी) तथा अनुसूचित जनजाति (एस टी) के लिए आरक्षित पदों को भरने में कमी आई है। ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:—

श्रेणी	पदों की संख्या	वास्तविक भर्ती	शेष
अनुसूचित जाति	54	3	51
अनुसूचित जनजाति	27	2	25

(ग) से (ङ) सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार छूट तथा रियायतें देने के बावजूद, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अपेक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। किन्तु, भर्ती में होने वाली इस कमी को कम से कम संभव समय के अन्दर पूरा करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन, कैंप में ही साक्षात्कारों का आयोजन जैसे विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

उड़ीसा में भूमि सुधारों के लिए सहायता

2188. **श्री श्रीकान्त जेना:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में भूमि सुधारों के लिए विशेष सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) और (ख) भूमि सुधार योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उड़ीसा राज्य को वर्ष 1991-92 के दौरान अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 24.00 लाख रुपए तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने और भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की योजना के अन्तर्गत 55.215 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई। उड़ीसा को विशेष सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में लघु पन बिजली परियोजनाएं

2189. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुख राम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कटौती

2190. **श्री जे० चोक्का राव:**
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी कटौती करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रस्तावित कटौती पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा खाद्य पर अलग-अलग अब कितनी राजसहायता दी जा रही है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1991-92 में खाद्य राजसहायता के लिए अनुमानत: 2850 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई है। कुछ राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए और राजसहायता देती हैं। उनके द्वारा वहन की जाने वाली राजसहायता का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

सुपर बाजार

2191. **डा० सी० सिलवेरा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या सुपर बाजार ने दिल्ली की सभी कालोनियों में और दिल्ली से बाहर भी अपनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1992 को दिल्ली और दिल्ली से बाहर ऐसे स्थानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ और शाखाएं खोलने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो चुने गए स्थानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन शाखाओं में राशन की तथा सामान्यतया अनुपलब्ध सभी वस्तुएं बेची जानी चाहिए; और

(च) यदि हां, तो इन शाखाओं द्वारा इस समय बेची जा रही वस्तुओं के नाम क्या हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) जी नहीं। सुपर बाजार, दिल्ली की सभी बस्तियों में अपनी शाखाएं नहीं खोल सका है। लेकिन उसने सभी रिहायशी कालोनियों में कम से कम एक दुकान खोलने की योजना बनाई है, परन्तु यह बात भूमि / बने बनाए परिसर उपलब्ध न होने को कारण, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है, सम्भव नहीं हो सकी है। 30.6.92 को सुपर बाजार की दिल्ली तथा उसके बाहर स्थित शाखाओं की एक सूची अनुबंध पर दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। सुपर बाजार का दिल्ली की विकसित / विकासशील कालोनियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए उसे उचित शर्तों पर उपयुक्त जगह उपलब्ध कराई जाए।

(ङ) और (च) जी नहीं। कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुएं उपलब्ध हो सकें इस दृष्टि से भारत सरकार ग्राहकों को ये वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए समय-समय पर सुपर बाजार को भी यह जिम्मेदारी सौंपती है। इस समय पामोलीन, आटा, प्याज तथा आलू जैसी वस्तुएं सुपर बाजार की विभिन्न शाखाओं के जरिए बेची जा रही हैं।

सुपर बाजार की शाखाओं की सूची 30.6.92 की स्थिति के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित शाखाएं

क्रम सं० नाम और पता, दूरभाष	क्रम सं० नाम और पता, दूरभाष
1. सुपर बाजार (3310163 से 67) कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।	4. सुपर बाजार (5713924 व 5734355), ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।
2. सुपर बाजार (4627104), आई०एन०ए० मार्किट, किदवई नगर, नई दिल्ली।	5. सुपर बाजार (8314412) लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, (इर्विन हॉस्पिटल), नई दिल्ली।
3. सुपर बाजार (दवाईयों की दुकान) आई०एन०ए० मार्किट, किदवई नगर, नई दिल्ली (4627104)।	

क्रम सं॰	नाम और पता, दूरभाष
6.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान) लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, (इर्विन हॉस्पिटल), नई दिल्ली।
7.	सुपर बाजार (352240) राम मनोहर लोहिया अस्पताल, (विलिंग्डन हॉस्पिटल) नई दिल्ली।
8.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान) राम मनोहर लोहिया अस्पताल (विलिंग्डन हॉस्पिटल), नई दिल्ली।
9.	सुपर बाजार, दुकान नं॰ सी-4, वसंत विहार, नई दिल्ली।
10.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान) दुकान नं॰ सी-4, वसंत विहार, नई दिल्ली।
11.	सुपर बाजार (661773), जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, महरौली रोड, नई दिल्ली।
12.	सुपर बाजार (671816 पी॰ पी॰), दुकान नं॰ 61, यशवंत प्लेस (एन॰डी॰एम॰सी॰ मार्किट), चाणाक्य पुरी, नई दिल्ली।
13.	सुपर बाजार (दिल्ली विश्वविद्यालय शाखा, दुकान नं॰ 2,3,5,6, व 7 रैदास लाईन, दिल्ली-7 (239990)।
14.	सुपर बाजार (3782893) विट्ठल भाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
15.	सुपर बाजार (239360) ए-2, कमला नगर, मेन जी॰टी॰ रोड़, शक्ति नगर चौक के नजदीक, दिल्ली-7।
16.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान) डी॰टी॰सी॰ कालोनी, (पुलिस स्टेशन, पटेल नगर, शादी-पुर डिपो, नई दिल्ली के नजदीक (5703419)।
17.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान) ए-2 कमला नगर, मेन जी॰टी॰ रोड़, न्यू शक्ति नगर चौक, दिल्ली, (239360)।
18.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान) डी॰टी॰सी॰ कालोनी, (पुलिस स्टेशन) पटेल नगर, शादी-पुर डिपो, नई दिल्ली के सामने (5703419)।
19.	सुपर बाजार (668316-पी) दुकान नं॰ 20, डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली।
20.	सुपर बाजार (5506305 व 581924), बी-1, ब्लाक, डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, जनक पुरी, नई दिल्ली।
21.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान) बी-1, ब्लाक, डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, जनक पुरी, नई दिल्ली।
22.	सुपर बाजार (662506) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
23.	सुपर बाजार, पार्लियामेंट एनेक्सी, न्यू पार्लिल या-मेंट हाऊस, नई दिल्ली।
24.	सुपर बाजार (2213912-पी) इंडियन इंस्टी-ट्यूट आॅफ टैक्नालॉजी, हौज खास, नई दिल्ली।
25.	सुपर बाजार (662501-पी), खिचड़ीपुर (पोस्ट आॅफिस के नजदीक), दिल्ली।
26.	सुपर बाजार (6462003) पी पी दक्षिण पुरी (नीयर मदनगीर), नई दिल्ली।
27.	सुपर बाजार 19-20, गवर्नमेंट क्वाटर्स, पुनर्वास कालोनी, दिल्ली।

क्रम सं॰	नाम और पता, दूरभाष
28.	सुपर बाजार (7223494), ए-बी-1, (आजाद पुर मंडी के पीछे), जी॰टी॰ रोड़, जहांगीर पुरी, दिल्ली।
29.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान), ए-बी-1 (आजादपुर मण्डी के पीछे), जी॰टी॰ रोड़ जहांगीर पुरी, दिल्ली।
30.	सुपर बाजार (5411690 पी पी) जे-3 / 14, राजौर गार्डन, (राजौरी गार्डन पोस्ट आफिस के नजदीक), नई दिल्ली।
31.	सुपर बाजार (679164) दुकान नं॰ 20 से 22, डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर आनन्द निकेतन, नई दिल्ली।
32.	सुपर बाजार (663152, 664491) जे-ब्लॉक, लोकल शॉपिंग सेंटर, मालवीय नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली।
33.	सुपर बाजार (7222896), दुकान नं॰ 12, सी / 1, फेज-II, डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर अशोक विहार दिल्ली।
34.	सुपर बाजार, 223 / 1, रेलवे कालोनी, किशन गंज (ओल्ड रोहतक रोड), दिल्ली।
35.	सुपर बाजार, डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, गुरु-नानक कोआप॰ हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली।
36.	सुपर बाजार (6843727 पी पी) डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, ए-ब्लॉक, ईस्ट आॅफ कैलाश, नई दिल्ली।
37.	सुपर बाजार इंडियन एयर लाइंस कालोनी वसंत विहार, नई दिल्ली।
38.	सुपर बाजार (662231), शॉप नं॰ बी ए 2,3,4 व बी सी-1, डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, मुनिरका, नई दिल्ली।

क्रम सं॰	नाम और पता, दूरभाष
39.	सुपर बाजार (5554330) दुकान नं॰ 10, डेसू कालोनी, पंखा रोड़, जनकपुरी नई दिल्ली।
40.	सुपर बाजार (728098) क्वार्टर नं॰ 5—98, रेलवे कालोनी, शकुरबस्ती, दिल्ली।
41.	सुपर बाजार, विजय चौक, ब्लॉक नं॰ 79, क्वार्टर नं॰ ए-1, रेलवे कालोनी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली।
42.	सुपर बाजार (5454177) गुरुद्वारा श्री गुरू सिंह सभा (रजि॰) ई-ब्लाक, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-27
43.	सुपर बाजार (5454104), डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, एल॰आई॰जी॰ फ्लैट, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन के नज़दीक, नई दिल्ली-27.
44.	सुपर बाजार (5554398), डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, सी-4 / ई, मार्किट, पाकेट-8, जनकपुरी, नई दिल्ली।
45.	सुपर बाजार गैरेज नं॰ 5,6 प्रोवीडेंट फंड कालोनी, नई दिल्ली।
46.	सुपर बाजार (667504) दुकान नं॰ 7, डी॰डी॰ए॰, शॉपिंग सेंटर, एम॰एम॰टी॰सी॰ / एस॰टी॰सी॰, कालोनी, नई दिल्ली।
47.	सुपर बाजार (6436523-पी), डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, दुकान नं॰ 1, ई ब्लाक, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली।
48.	सुपर बाजार (2200364-पी), दुकान नं॰ 7-8, बी-ब्लाक, कनवीनिएंट शॉपिंग सेंटर (राम मन्दिर के नजदीक) विवेक विहार, दिल्ली।

क्रम सं०	नाम और पता, दूरभाष
49.	सुपर बाजार (7222410), फेज नं० 1,डी-ब्लाक, अशोक विहार (वजीरपुर) दिल्ली-52
50.	सुपर बाजार (5584221-पी), ए ब्लाक, दुकान नं० 4, डी०डी०ए० शॉपिंग सेंटर, पश्चिमपुरी, दिल्ली।
51.	सुपर बाजार (535363-पी), दुकान नं० 4, डी०डी०ए० शॉपिंग सेंटर, मादीपुर, दिल्ली।
52.	सुपर बाजार (5454102), कम्यूनिटी सेंटर (एमसीडी), मोती नगर, नई दिल्ली।
53.	सुपर बाजार (5411690-पी), जी-8, राजौरी गार्डन, डी०डी०ए० शापिंग सेंटर, मायापुरी, नई दिल्ली।
54.	सुपर बाजार (515961), दुकान नं० 33, दिल्ली प्रासन शॉपिंग सेंटर गुलाबी बाग, दिल्ली।
55.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान), दुकान नं० 33, दिल्ली प्रशासन शॉपिंग सेंटर, गुलाबी बाग, दिल्ली (515961)
56.	सुपर बाजार (5554242-पी) दुकान नं० 11, डी-1 /ए, डी डी ए शॉपिंग सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली।
57.	सुपर बाजार (5454481), दुकान नं० 6, जी-8, एरिया, एल०आई०जी० फ्लैट, हरि नगर, नई दिल्ली-64.
58.	सुपर बाजार (2281141-पी), बी-77, मान-सरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली-32
59.	सुपर बाजार (7223659-पी), सी / 5-6, मार्किट दुकान नं० 3, लारेंस रोड़, दिल्ली-35
60.	सुपर बाजार (2246386, 2248449-पी), 341 / 4 जी / 1ए, कान्ति नगर, आजाद नगर, शाहदरा, दिल्ली-32
61.	सुपर बाजार (666861), दुकान नं० 27, जे ब्लाक डी०डी०ए० शॉपिंग सेंटर, मालवीय नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली।
62.	सुपर बाजार (6433923) पी पी, दुकान नं० 4 व 5, कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, शेख सराय, फेज-II नई दिल्ली-17
63.	सुपर बाजार (690986), दुकान नं० 275 व 277, डिफेंस कालोनी फ्लाईओवर मार्किट (नार्थ), नई दिल्ली-24
64	सुपर बाजार (5506290) बी ए ब्लाक, डी०डी०ए० शॉपिंग सेंटर (शिव नगर) जेल रोड, नई दिल्ली।
65.	सुपर बाजार (7222321), दुकान नं० 8, पाकेट-जे (पूर्वी) कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, पीतमपुरा, दिल्ली-52.
66.	सुपर बाजार (534015), दुकान नं० 9 व 10, सी०एस०सी० नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया (पायल सिनेमा के नजदीक) नारायणा, नई दिल्ली।
67.	सुपर बाजार (234758), खैबर पास (आर्मी प्रेस के पीछे), दिल्ली-54
68.	सुपर बाजार, शॉपिंग सेंटर, नं० 1, सुव्रतो पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली।
69.	सुपर बाजार (2213912-पी) दुकान नं० 1,2,3, कल्याण वास हाउसिंग काम्पलेक्स, खिचड़ीपुर, दिल्ली-91

क्रम सं॰	नाम और पता, दूरभाष
70.	सुपर बाजार (7274306) दुकान नं॰ 21 से 24, कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, सरस्वती विहार (पीतमपुरा), दिल्ली।
71.	सुपर बाजार (6830966-पी) दुकान नं॰ 16 व 17, सी-ब्लाक, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली।
72.	सुपर बाजार (630803-पी), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (बदरपुर डिवीजन), नई दिल्ली।
73.	सुपर बाजार, (दवाइयों की दुकान), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (बदरपुर डिवीजन), नई दिल्ली-44 (630803-पी)
74.	सुपर बाजार, दुकान नं॰ डी-5 / 1,2, सुल्तानपुरी पुनर्वास कालोनी, मदर डेयरी बूथ के नजदीक, सुल्तानपुरी, दिल्ली-41
75.	सुपर बाजार (2246397-पी) प्लाट नं॰ 8, कृष्णा नगर एक्सटेंशन, शिव पुरी, दिल्ली-51.
76.	सुपर बाजार (6441018-पी), दुकान नं॰ 11, डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, मस्जिद मोठ, फेज-II, नई दिल्ली।
77.	सुपर बाजार (605921-पी), 3-4, नार्थ वैस्ट मोती बाग, नई दिल्ली।
78.	सुपर बाजार (3074610), 41, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली।
79.	सुपर बाजार (7223574), 9-10, ए डी ब्लाक, डी॰डी॰ए॰ शॉपिंग सेंटर, शालीमार बाग, दिल्ली-33.
80.	सुपर बाजार (234990) दुकान नं॰ 6,7 व 8 मीना बाग (जी॰ एफ॰) रोशनारा रोड़, दिल्ली-7
81.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान) स्वास्थ्य विहार, दिल्ली-92 (2248022-पी)
82.	सुपर बाजार (5597228) दुकान नं॰ 2 व 4, एम-ब्लाक बोडेल्ला (विकास पुरी), नई दिल्ली-18
83.	सुपर बाजार (239671), प्लाट नं॰ 1333, टाइप-II तिमारपुर, दिल्ली-7
84.	सुपर बाजार (5584221-पी) दुकान नं॰ 2 व 3 (बी-4), पश्चिम विहार, नई दिल्ली।
85.	सुपर बाजार (677742-पी), एम-14, पालिका भवन, सेक्टर-XIII, आर॰के॰पुरम, नई दिल्ली।
86.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान), एम-14, पालिका भवन, सेक्टर XIII, आर॰के॰पुरम, नई दिल्ली।
87.	सुपर बाजार (663154), (जे॰एन॰यू॰ II ब्रांच), शॉपिंग सेंटर, न्यू कैम्पस, जे॰एन॰यू॰, नई दिल्ली-67
88.	सुपर बाजार (385669-पी), एन॰डी॰एम॰सी॰ शॉपिंग काम्पलेक्स, तिलक लेन, नई दिल्ली।
89.	सुपर बाजार (239672), क्वार्टर नं॰ 1383, (ग्राउंड फ्लोर) 103, टाइप-I, डबल स्टोरी ब्लाक (तिमारपुर II शाखा), तिमारपुर, दिल्ली।
90.	सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान), बाड़ा हिन्दू राव हॉस्पिटल, पुरानी सब्जी मंडी, दिल्ली-7 (231679)।
91.	सुपर बाजार (2281945), क्वार्टर नं॰ 22 व 23, नन्द नगरी, दिल्ली-93।
92.	सुपर बाजार (5586426-पी) मीरा बाग, आउटर रिंग रोड़, दिल्ली-1
93.	सुपर बाजार, एयर फोर्स स्टेशन पालम, ए॰एम॰एस॰ई॰, रक्षा मंत्रालय, पालम, नई दिल्ली।
94.	सुपर बाजार (7223470) (शालीमार बाग-II शाखा), ए एल ब्लाक, दुकान नं॰ 31, 32, शालीमार बाग, दिल्ली-33

क्रम सं० नाम और पता, दूरभाष

95. सुपर बाजार, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दुकान नं० 9, एस०यू० ब्लाक, पीतमपुरा, दिल्ली-34
96. सुपर बाजार, दुकान नं० 3, बी-2 ब्लाक, लारेंस रोड़, दिल्ली-35
97. सुपर बाजार, क्वार्टर नं० 7, खसरा नं० 13 / 24, भारत नगर, न्यू फ्रैंड्स कालोनी, नई दिल्ली।
98. सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान) कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नई दिल्ली।
99. सुपर बाजार (6442012-पी), दुकान नं० 6, अलकनन्दा, कालकाजी, नई दिल्ली।
100. सुपर बाजार (6462063-पी), दुकान नं० 7 से 12, सी ब्लाक (डी०डी०ए० स्लम फ्लैट के नज़दीक) कालकाजी, नई दिल्ली।
101. सुपर बाजार (6834767-पी), दुकान नं० 4 से 8, सी एस सी नेहरू नगर (स्लम) आश्रम (फ्लाई ओवर के नज़दीक), रिंग रोड़, नई दिल्ली।
102. सुपर बाजार (2248022-पी), दुकान नं० 9 से 10, सी एस सी, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली।
103. सुपर बाजार (676958-पी), डी०डी०ए० कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर (डीयर पार्क के सामने), हरमुख मार्ग, सफदरजंग इन्क्लेव,नई दिल्ली।
104. सुपर बाजार (2216796-पी) डी०डी०ए० कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, मयूर विहार, पाकेट-II, दिल्ली-91.
105. सुपर बाजार (5454254), सी-ब्लाक, 3ए तथा 4ए, डी०डी०ए० स्लम फ्लैट्स, तिलक विहार, नई दिल्ली।
106. सुपर बाजार (5454498), ए-9ए, ए-10ए, डी०डी०ए० स्लम फ्लैट्स (होली चाइल्ड स्कूल के नजदीक) रघुवीर नगर, नई दिल्ली।

क्रम सं० नाम और पता, दूरभाष

107. सुपर बाजार (6830966-पी), फ्लैट नं० 111, व 113, डी०डी०ए० स्लम फ्लैट्स, सी-ब्लाक, गढ़ी (ईस्ट ऑफ कैलाश) नई दिल्ली।
108. सुपर बाजार (5597229), दुकान नं० 5, डी०डी०ए० शॉपिंग सेंटर, विकास कुंज (बोडेल्ला) (आउटर रिंग रोड़), विकास पुरी, नई दिल्ली-18
109. सुपर बाजार (2281409-पी), दुकान नं० 27 व 28, डी०डी०ए० कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, बी-5 ब्लाक, यमुना विहार, दिल्ली।
110. सुपर बाजार (5431646-पी), दुकान नं० 18 व 19 (आदर्श भवन), डी०डी०ए० शॉपिंग सेंटर, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली।
111. सुपर बाजार (2286262-पी), गुरु तेग बहादुर हास्पिटल कम्पलेक्स, शाहदरा, दिल्ली।
112. सुपर बाजार (दवाइयों की दुकान) जी०टी०बी० हॉस्पिटल काम्पलेक्स, शाहदरा, दिल्ली-(2286262-पी)।
113. सुपर बाजार (2242296-पी) दुकान नं० 14 व 15, डी०डी०ए० कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर मधुबन, दिल्ली।
114. सुपर बाजार (2240077-पी) दुकान नं० 33 व 34, डी०डी०ए० कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, निर्माण विहार, दिल्ली।
115. सुपर बाजार (7223470), डेसू कालोनी, शालीमार बाग, दिल्ली।
116. सुपर बाजार (7282028), 2153-डी, बवाना रोड़, नरेला, दिल्ली।
117. सुपर बाजार (665860), (केवल दवाई की दुकान) सफदरजंग अस्पताल कम्पाउंड, नई दिल्ली।

क्रम सं॰ नाम और पता, दूरभाष

118. सुपर बाजार (5506040-पी), डी॰डी॰ए॰ कम्यूनिटीज फेसलिटीज कम्पलेक्स, दुजाना हाऊस, (मोती महल के नजदीक) दिल्ली-6।
119. सुपर बाजार (3270057), डी एस॰सी॰, जे-ब्लाक (जे जी-2), विकास पुरी, नई दिल्ली।
120. सुपर बाजार (2216796-पी), डी॰डी॰ए॰ सी एस सी, मयूर विहार, फेज-II, दिल्ली 91
121. सुपर बाजार (2216728-पी), डी डी ए सी एस सी, आनन्द विहार, दिल्ली-92
122. सुपर बाजार, डी॰डी॰ए॰ कम्युनिटीज फेसिलीटीज कम्पलेक्स (पहला तल), चन्द्र शेखर आजाद कालोनी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली-7
123. सुपर बाजार (519510-पी), डी॰डी॰ए॰ कम्युनिटी फेसिलीटीज कम्पलेक्स, (ग्रांउड फ्लोर), गली रवि दास, तेलीवाड़ा, दिल्ली-6।
124. सुपर बाजार, त्रि नगर (आंकोर नगर), दिल्ली-35।
125. सुपर बाजार, डी॰डी॰ए॰सी॰एस॰सी॰, दुकान नं॰ 5, वैशाली पीतमपुरा, दिल्ली-34।
126. सुपर बाजार (7127341), डेसू कालोनी, त्रिपोलिया (राणा प्रताप सिंह के नजदीक) नई दिल्ली।
127. सुपर बाजार (601353-पी), बसंत एन्कलेव, डी॰डी॰ए॰ पाकेट, दुकान नं॰ 5, नई दिल्ली।
128. सुपर बाजार (6444659-पी), कालकाजी II, डी॰डी॰ए॰ मार्किट, नई दिल्ली।
129. सुपर बाजार (6839410-पी), बी टी पी पी कालोनी, बदरपुर थर्मल पावर कालोनी, नई दिल्ली।

क्रम सं॰ नाम और पता, दूरभाष

130. सुपर बाजार, नार्थ एवेन्यू 183, एम॰पी॰ फ्लैट, नई दिल्ली।
131. सुपर बाजार (7212874), विजय नगर ब्रांच, राजपुर छावनी, गुड़ की मण्डी, विजय नगर, दिल्ली।
132. सुपर बाजार, एयर फोर्स स्टेशन, पालम।
133. सुपर बाजार (दवाई की दुकान), आर॰पी॰ ब्लाक, पीतमपुरा, नई दिल्ली-34
134. सुपर बाजार, पहाड़गंज शाखा, प्रापर्टी नं॰ 9090 (पहला तल), गली नं॰ 2, मुलतानी ढांड़ा, पहाड़गंज, नई दिल्ली-55
135. सुपर बाजार, उत्तम नगर, डब्ल्यू॰ जैड-137, बी-ब्लाक, नई दिल्ली।
136. सुपर बाजार, पी॰ एंड टी॰ कालोनी, देव नगर, टाइप-II, क्वार्टर नं॰ 36, नई दिल्ली-5
137. सुपर बाजार, पालम कालोनी, राज नगर, 261, महरौली रोड, नई दिल्ली।
138. सुपर बाजार, आयुर्विज्ञान नगर, डाइनिंग मैस, 256 नं॰ क्वार्टर के सामने, टाइप-II
139. सुपर बाजार, रोहिणी, फ्लैट नं॰ 9, पाकेट नं॰ 9, सेक्टर-15, ब्लाक नं॰ ई-1, दिल्ली।
140. सुपर बाजार, सूरज मल बिहार कम्युनिटी सेंटर, ब्लाक-बी (टीचर्स कालोनी)।

दिल्ली से बाहर नौएडा (उ०प्र०) में स्थित शाखाएं

1. सुपर बाजार, नौएडा, सेक्टर-20, जी-ब्लाक, दुकान नं० 24,
2. सुपर बाजार, नौएडा, सेक्टर-22, एच-362
3. सुपर बाजार, नौएडा, सेक्टर-17, दुकान नं० 2, 3, 4

[हिन्दी]

यात्री कारों का निर्माण

2192. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया): क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कारों का निर्माण करने वाली प्रत्येक कंपनी ने कितनी-कितनी यात्री कारों का निर्माण किया है;

(ख) प्रत्येक निर्माता ने स्वदेशी बाजार में कितनी ऐसी कारें बेची; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक निर्माता ने कितनी कारों का निर्यात किया?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) भारतीय मोटरगाड़ी निर्माता संघ और कार निर्माताओं द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, प्रत्येक कार बनाने वाली कंपनी के उत्पादन, बिक्री तथा निर्यात संबंधी ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

		उत्पादन	स्वदेशी बिक्री	निर्यात
1.	मै० हिन्दुस्तान मोटर्स	16,043	17,245	18
2.	मै० मारुति उद्योग लि०	1,16,697	95,162	22,921
3.	मै० प्रिमियर आटो लि०	32,563	30,844	43
4.	मै० सिपानी आटो	नहीं	नहीं	नहीं

मारुति उद्योग लिमिटेड में घाटा

2193. **श्री रामेश्वर पाटीदार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कुल कितना घाटा हुआ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशाखापतनम में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स

2194. **डा० विश्वनाथम कैनिथी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विशाखापतनम में पेट्रो-रसायन काम्प्लैक्स की स्थापना का मामला किस स्थिति में है और इसमें कब तक उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): यू०बी० पेट्रो केमिकल्स विशाखापतनम में नैफ्था आधारित क्रैकर इकाई स्थापित करने के लिये 30.10.89 को एक आशयपत्र दिया गया था। क्रैकर की डाउनस्ट्रीम इकाइयों के लिये कास्टिक सोडा और क्लोरिन के लिये एक और आशय पत्र नवम्बर, 1991 में जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, एचडीपीई/एलएलडीपीई, पीवीसी और पालीप्रपिलीन अब लाइसेंस की सीमा से बाहर है और कंपनी को इन इकाइयों के लिये औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

लाइसेंस धारकों से परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति बताने के लिये कहा गया है।

मजदूर संघों की सदस्यता

2195. **श्री वी० धनन्जय कुमार:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मजदूर संघों की सदस्यता का आंकलन करने के लिये हाल ही में कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मजदूर संघों को मान्यता देने का आधार क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ख) भारत सरकार ने गणना करने की तारीख अर्थात् 31.12.89 से केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता का आकलन करने की सामान्य जांच करने का निर्णय किया है। 13 केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों ने अपनी सदस्यता के दावे भेजे हैं। उन पर प्राप्त दावों और आपत्तियों को जांच के लिये क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) को भेजा गया है।

(ग) उन व्यवसाय संघ संगठनों, जिनकी 5 लाख और उससे अधिक की जांच शुदा सदस्यता है और जो कम से कम चार राज्यों और चार उद्योगों (जिसमें कृषि भी शामिल हो) में फैले हुये हैं, उन्हें सरकार द्वारा केन्द्रीय व्यवसाय संघ/संगठनों के रूप में मान्यता दी जायेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कर्नाटक में चल वाहनों की खरीद

2196. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने के लिये चल वाहनों की खरीद हेतु वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धन-राशि दी गई;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सहायता से कर्नाटक सरकार द्वारा कितने चल वाहन खरीदने गये; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान चल वाहनों की खरीद के लिये कर्नाटक सरकार ने कितनी धन-राशि की मांग की है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) कर्नाटक सरकार को मोबाइल वैन खरीदने के लिये 1991-92 में 25.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस सहायता से 1991-92 के दौरान कोई मोबाइल वैन नहीं खरीदी गई थी।

(ग) राज्य सरकार ने 1992-93 के दौरान मोबाइल वैन खरीदने के लिये 50.00 लाख रुपये की सहायता मांगी है।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे निगम

2197. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में घाटे में चलने वाले कुल कितने निगम हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रहे इन निगमों को बंद करने का है;

(ग) यदि हां, तो इन निगमो में पुनर्वास के लिये क्या योजनायें बनाई गई हैं और इनमें कितने श्रमिक नियोजित हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार घाटे में चलने वाले निगमों को निजी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से निगम हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) से (ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 109 उद्यमों ने घाटा उठाया था। इनमें से 54 रुग्ण औद्योगिक कंपनियां हैं, जिनके लिये उपयुक्त पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी पैकेज तैयार करने हेतु, रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अधीन, इन्हें औद्योगिक एवं पुर्नगठन मंडल को सौंपा जाना अपेक्षित है। अभी तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम को बंद नहीं किया गया है अथवा उसका निजीकरण नहीं किया गया है। इससे प्रभावित कामगारों को क्षतिपूर्ति करने, पुनप्रशिक्षण दिलाने तथा पुननियोजन के लिये राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना कर दी गई है।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में वित्तीय संकट

2198. **प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन स्थित फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड भावी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संकट को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) से (ग) आर्थिक सहायता के भुगतान में विलम्ब के कारण फैक्ट को मुख्यतः वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा था जो अब जुलाई, 1992 में सरकार द्वारा दी गयी 104 करोड़ रुपये की सहायता से अंशतः कम हो गयी है।

हाल में, आयातित कैप्रोलैक्टम पर आयात शुल्क में कमी को ध्यान में रखते हुये फैक्ट द्वारा उत्पादित कैप्रोलैक्टम के विपणन में भी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फैक्ट ने सरकार को आयातित कैप्रोलैक्टम पर लगाये गये सीमा शुल्क की पुनरीक्षा के लिये अभ्यावेदन दिया है।

[हिन्दी]

"आसियान" एसोसियेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन्स देशों के साथ संयुक्त उद्यम

2199. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत और "आसियान" देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन देशों के साथ संयुक्त औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(घ) ऐसे संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) आसियान देशों समेत अन्य देशों के साथ निरंतर आर्थिक सहयोग का विस्तार करने की दिशा में भारत सरकार विभिन्न उपाय कर रही है। इन उपायों में विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श करना, व्यापार उद्योग शिष्ट मंडलों का विनिमय, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों आदि में भाग लेना शामिल है।

(ग) और (घ) तकनॉलाजी, कच्चे माल की उपलब्धता तथा किसी देश विशेष में इसकी बाजार में मांग को ध्यान में रखकर संयुक्त उद्यमों की स्थापना समेत द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया जाता है। सरकार ने 1987 से मई 1992 तक की अवधि में आसियान देशों के साथ 36 ईक्विटी भागीदारी सहित 70 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा आसियान देशों में 73 संयुक्त उद्यम लगाने हेतु भी स्वीकृति प्रदान की है।

उर्वरक संयंत्र

2200. **श्री राजवीर सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1992 को देश में उर्वरक संयंत्र किन-किन स्थानों पर चल रहे थे और इनकी अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी थी;

(ख) इनमें से गैस पर आधारित संयन्त्र कितने हैं;

(ग) क्या गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों की उत्पादन लागत अन्य उर्वरक संयन्त्रों की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरक उत्पादित करने वाले मुख्य उर्वरक संयंत्रों की सूची तथा 1991-92 के दौरान उनकी स्थापित क्षमता तथा उत्पादन विवरण-I में दिया गया है। गैस पर आधारित संयंत्रों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) गैस पर आधारित यूरिया संयंत्र की उत्पादन लागत निम्नतम होती है। उर्वरक की वास्तविक पूंजी और लागत और उत्पादन की लागत की तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न फीडस्टाकों पर आधारित तथा विभिन्न क्षमताओं के संयंत्र अलग-अलग समय पर चालू किए गए थे।

विवरण-I

क्र॰ सं॰	एकक का नाम	स्थान (राज्य)		स्थापित क्षमता (000 मि॰ टन)		1991-92 में उत्पादन (000 मि॰ टन)	
				एन	पी	एन	पी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰	नांगल-I	पंजाब	80	—	48.3	
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰	नांगल-II	पंजाब	152	—	145.9	
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰	भटिण्डा	पंजाब	235	—	249.1	
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰	पानीपत	हरियाणा	235	—	213.7	
5.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰	विजयपुर	मध्य प्रदेश	334	—	410.6	
6.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि॰	उद्योगमण्डल	केरल	68		54.6	29.1
				30	30		
7.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि॰	कोचीन-I	केरल	152	—	92.4	
8.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि॰	कोचीन-II	केरल	12	30	109.0	121.0
				84	84		
9.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰	ट्राम्बे	महाराष्ट्र	45	45	77.9	50.5
				45			
10.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰	ट्राम्बे-4	महाराष्ट्र	75	75	57.3	57.3
11.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰	ट्राम्बे-5	महाराष्ट्र	152	—	112.1	
12.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰	थाल	महाराष्ट्र	683	—	593	
13.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो॰ लि॰	नामरूप-I	आसाम	21	—	0.1	
14.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो॰ लि॰	नामरूप-II	आसाम	152	—	35.9	
15.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो॰ लि॰	नामरूप-III	आसाम	177	—	90.1	
16.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो॰ लि॰	दुर्गापुर	प॰ बंगाल	152	—	49.9	

17.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०	बरौनी	बिहार	152	—	33.9	
18.	फर्टिलाइजर कारपो० आफ इण्डिया लि०	सिंदरी	बिहार	67		105.6	
				152			
19.	फर्टिलाइजर कारपो० आफ इण्डिया लि०	गोरखपुर	उ० प्र०	131		—	
20.	फर्टिलाइजर कारपो० आफ इण्डिया लि०	रामागुण्डम	आन्ध्र प्रदेश	228		88.1	
21.	फर्टिलाइजर कारपो० आफ इण्डिया लि०	तलचर	उड़ीसा	228		53.4	
22.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	मद्रास	तमिलनाडु	82			
				76	76	149.1	133.6
				18	36		
23.	नेवेली लिग्नाइट कारपो० लि०	नेवेली	तमिलनाडु	70		62.2	
24.	पारादीप फास्फेट्स लि०	पारादीप	उड़ीसा	130	331	115.4	295.0
	सहकारी क्षेत्र						
1.	इण्डियन फारमर्स फर्टि० कोआपरेटिव लि०	कलोल	गुजरात	182		188.3	
2.	इण्डियन फारमर्स फर्टि० कोआपरेटिव लि०	कांडला	गुजरात	40	104	134.6	349.9
				35	93		
				45	113		
3.	इण्डियन फारमर्स फर्टि० कोआपरेटिव लि०	फूलपुर	उ० प्र०	228		232.6	
4.	इण्डियन फारमर्स फर्टि० कोआपरेटिव लि०	आंवला	उ० प्र०	334		390.8	
5.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि०	हजीरा	गुजरात	668		782.1	
	संयुक्त क्षेत्र						
1.	मंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	मंगलोर	कर्नाटक	156		147.1	67.5
				25	63		
2.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लि०	बरोदा	गुजरात	169		294.0	82.6
				48			
				19	50		
3.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स क० लि०	सिक्का	गुजरात	59	150	64.9	165.6
4.	साउथर्न पैट्रोकेमिल्स इण्ड० कारपो० लि०	टूटीकोरिन	तमिलनाडु	237	—	382.6	219.2
				75	191		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स क० लि०	सिक्का	गुजरात	59	150	64.9	165.6
4.	साउथर्न पैट्रोकेमिल्स इण्ड० कारपो० लि०	टूटीकोरिन	तमिलनाडु	237	—	382.6	219.2
				75	191		
5.	गुजरात नर्मदा वैल्ली फर्टिलाइजर्स लि०	भरौंच	गुजरात	273	—		
				34	—	374.1	28.1
				33	33		
6.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि०	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	54	138	61.4	157.7
	निजी क्षेत्र						
1.	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि०	विजाग	आंध्र प्रदेश	70	70	103.9	107.8
				14	34		
2.	श्रीराम फर्टि० एंड केमि० लि०	कोटा	राजस्थान	152	—	167.5	
3.	जुआरी एग्रो केमि० लि०	गोवा	गोवा	129	—		
				27	69		
				28	28	254.6	120.5
				14	14		
4.	इण्डो गुल्फ फर्टिलाइजर्स एंड केमि० कारपो०	जगदीशपुर	उ० प्र०	334	—	329.5	—
5.	हिन्दुस्तान लिवर लि०	हल्दिया	प० बंगाल	29	71	27.5	70.6
6.	ईआईडी पैरी	इन्नौर	तमिलनाडु	15	19	16.5	20.6
7.	आईसीआई इण्डिया	कानपुर	उ० प्र०	310	—	292.7	—
8.	पंजाब नेशनल फर्टि० एंड केमिकल्स	नंगल	पंजाब	16	—	11.1	—
9	टूटीकोरिन अल्कालाइन्स लि०	टूटीकोरिन	तमिलनाडु	16	—	17.4	—
10.	दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पैट्रोकेमिकल्स लि०	तलोजा	महाराष्ट्र	53	53	3.8	436.0

विवरण-II

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

क्रमांक	कम्पनी का नाम	संयंत्र का स्थान
1.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०	नामरूप-I, II और III
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	विजयपुर
3.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	थाल और ट्राम्बे
4.	इंडियन फामर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि०	कलोल और आंवला
5.	कृषक भारती कोआपरेटिव कम्पनी लि०	हजीरा
6.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लि०	बड़ौदा
7.	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि०	जगदीशपुर

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर द्वारा पासपोर्ट जारी करना

2201. **श्री जी० माडेगौडा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1992 और 30 जून, 1992 के बीच पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर को संयुक्त सचिव के स्तर और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों से प्राप्त सत्यापन प्रमाण-पत्र सहित पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) कितने पासपोर्ट जारी किए गए और इन पासपोर्टों को जारी करने में कितना समय लगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनंदन लाल भाटिया): (क) संयुत सचिव उनके ऊपर के वर्ग के अधिकारियों द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्रों सहित बंगलौर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को जनवरी, 1992 से 30 जून, 1992 तक पासपोर्टों के लिए प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या 8721 थी।

(ख) जनवरी, 92 से 30 जून, 1992 के बीच जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या, जिनके संबंध में सत्यापन प्रमाण पत्र दिए जा चुके थे, 6564 थी। ऐसे मामलों को निपटाने में औसतन 30 से 40 दिन का समय लगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना

2202. **श्री के० प्रधानी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए राज्य-वार, खास कर उड़ीसा के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि नियत की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ख) इस विषय की प्रकृति ऐसी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोकप्रियकरण की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी। लगभग सभी

विज्ञान और सम्बद्ध विभागों जैसे परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण, शिक्षा, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, अंतरिक्ष, वैज्ञनिक और औद्योगिक अनुसंधान आदि के विभागों के विशेषकर उनके अपने अपने क्षेत्रों में विज्ञान लोकप्रियकरण संबंधी कार्यक्रम हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एन०सी०एस०टी०सी०) जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में स्थित है तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अधीन एक सवशासी निकाय) विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए देश भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही, राज्य स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रयासों से लगभग प्रत्येक राज्य (इसमें उड़ीसा राज्य भी शामिल है) और संघ शासित क्षेत्र में अब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें विद्यमान हैं जिनका काम अपने-अपने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। प्रत्येक परिषद् के लिए विज्ञान लोकप्रियकरण एक विशिष्ट विषय है।

(ग) विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रमों के बारे में आठवीं योजना के ब्यौरे इस समय उपलब्ध नहीं हैं। तथापि विभिन्न राज्यों में विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रमों के लिए वैज्ञानिक सेवाओं और अनुसंधान संबंधी योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इन आवंटनों का राज्यों द्वारा पुनर्विनियोजन किया जा सकता है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	लाख रुपये में
1. आंध्र प्रदेश	290.00
2. अरूणाचल प्रदेश	033.00
3. असम	081.00
4. बिहार	040.00
5. गोआ	105.00
6. गुजरात	060.00
7. हरियाणा	020.00
8. हिमाचल प्रदेश	075.00
9. जम्मू और कश्मीर	025.00
10. कर्नाटक	200.00
11. केरल	350.00
12. मध्य प्रदेश	205.00
13. महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं
14. मणिपुर	091.00

राज्य/संघ शासित प्रदेश		लाख रुपये में
15. मेघालय		012.00
16. मिजोरम		018.00
17. नागालैंड		019.50
18. उड़ीसा		175.55
19. पंजाब		070.00
20. राजस्थान		085.00
21. सिक्किम		020.00
22. तमिलनाडु		240.00
23. त्रिपुरा		130.00
24. उत्तर प्रदेश		560.00
25. पश्चिम बंगाल		108.00
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		027.00
27. चंडीगढ़		004.00
28. दादर एवं नागर हवेली		उपलब्ध नहीं
30. दमन एवं दीव		005.00
31. लक्षद्वीप		013.00
32. पांडिचेरी		025.00
	कुल	3117.05

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

2203. **श्री लाल बाबू राय:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले उद्योगों में लागू श्रम कानूनों और सुरक्षा प्रबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों/कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों के कार्यकरण की समीक्षा की है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

2204. **श्री अरविन्द नेताम**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 107 का सदस्य है जिसने यह शर्त रखी है कि सम्बद्ध आबादी को उनके भू-प्रदेश से उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अधिवेश-प्राप्त जन जातीय लोगों को अपने भू-प्रदेश से हटाये जाने की स्थिति में उनसे सहमति प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी हां, भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय सं०-107 का अनुसमर्थन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि जनजाति जनसंख्या को राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय आर्थिक विकास के हित में या उक्त जनसंख्या के स्वास्थ्य से संबंधित कारणों के लिये बनाये गये राष्ट्रीय कानूनों या विनियमनों के अनुरूप को छोड़कर उनके भू-प्रदेशों से उनकी स्वतंत्र सहमति के बिना नहीं हटाया जायेगा।

(ख) और (ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये हैं कि विकास परियोजनाओं के कारण अपने भू-प्रदेशों से विस्थापित व्यक्तियों को समुचित रूप से पुनर्वासित किया जाये। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ विस्थापित व्यक्तियों के लिये अधःसंरचनात्मक सुविधाओं सहित वैकल्पिक स्थान देना, एक उचित समय सीमा के भीतर पर्याप्त प्रतिपूर्ति करना आदि शामिल है।

उड़ीसा में कोयला संसाधनों का विकास

2205. **श्री सुबास चन्द्र नायक**: क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला संसाधनों के विकास के लिए दीर्घकालीन उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपायों को कब तक प्रभावी बनाया जाएगा;

(ग) क्या उड़ीसा में कोयला संसाधनों के विकास के लिए भी ऐसे ही उपाय करने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड): (क) से (घ) देश में कोयले के संसाधनों का विकास किया जाना एक निरंतर स्वरूप की प्रक्रिया है। अस्थायी दीर्घावधि प्रक्षेपण के अनुसार देश में कोयले का उत्पादन 8वीं योजना के अंत में लगभग 306 मि० टन हो जाएगा। उड़ीसा में कोयले का उत्पादन वर्तमान में 20.70 मि० टन (1991-92) के स्तर से बढ़कर 1996-97 तक लगभग 36 मि० टन होने का अनुमान है। उत्पादन में वृद्धि वर्तमान खानों, चालू परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं में उत्पादन करके हासिल की जाएगी।

1990-91 और 1991-92 वर्ष के दौरान सरकार ने उड़ीसा में चार नई कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। ये परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:—

नाम	क्षमता
1. लिंगराज	5 मि०ट० प्रति वर्ष
2. अजन्ता	4 मि०ट० प्रति वर्ष
3. लखनपुर	5 मि०ट० प्रति वर्ष
4. कलिंगा परियोजना	8 मि०ट० प्रति वर्ष

ये सभी परियोजनाएं आठवीं योजना अवधि के दौरान काफी मात्रा में उत्पादन करेंगी।

कोयला कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत भूमि

2206. **श्री के०पी० सिंह देव:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के ढेकोनाल जिला में विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा कितनी हेक्टेयर कृषि भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) अधिग्रहीत भूमि के लिए प्रत्येक भू स्वामियों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या कोयला कंपनियों और उन किसानों के बीच जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है, यह समझौता हुआ था कि उनके प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को उपयुक्त नौकरी दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते को लागू कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड): (क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने 1986—92 की अवधि के दौरान उड़ीसा के धेनकनाल जिले में 1244.945 है० पट्टेदारी भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(ख) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण की गई भूमि के भू-स्वामियों को 69.45 लाख रु० की राशि दी गई थी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण की गई भूमि के भू-स्वामियों को मुआवजे की अदायगी किए जाने के लिए राज्य सरकार के पास 792.55 लाख रु० की राशि जमा की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन

2207. **श्री चन्दूभाई देशमुख:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात् कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से नियमों में तदनुसार संशोधन करने को कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने नियमों में पहले ही संशोधन कर लिया है;

(घ) किन-किन राज्यों ने नियमों में अभी तक संशोधन नहीं किया है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि सभी राज्य सरकारें इस प्रकार के नियम बनाएं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ङ) कारखाना अधिनियम, 1948 को पिछली बार 1987 में संशोधित किया गया था। अधिनियम के अंतर्गत, नियम बनाने का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों का है कारखाना अधिनियम के संशोधित उपबन्धों के अन्तर्गत मॉडल नियमों को श्रम मंत्रालय वार वर्ष 1988 में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को परिचालित किया गया था। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना नियमों के अन्तर्गत इन नियमों को अधिसूचित करने सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हरियाणा में नाभिकी ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा केन्द्र

2208. **श्री अवतार सिंह भडाना**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना के बाद से परमाणु ऊर्जा में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हरियाणा में ऐसे ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 और 2 जिसकी वर्तमान क्षमता 320 मेगावाट है, की स्थापना के बाद में, कुल 1180 मेगावाट क्षमता के 6 विद्युत रिएक्टर यूनिट (राजस्थान, कलपाक्कम-तमिलनाडु और नरोरा-उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जगह पर दो-दो यूनिट) चालू किए गए हैं, जिससे परमाणु बिजली के उत्पादन की इस समय कुल स्थापित क्षमता 1500 मेगावाट हो गई है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में हरियाणा में किसी परमाणु विद्युत परियोजना पर कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार द्वारा अब तक अनुमोदित किए गए स्थलों के आधार पर, उत्तरी विद्युत क्षेत्र में राजस्थान 3 और 4 (2 × 220 मेगावाट) निर्माणाधीन है तथा राजस्थान 5 और 6 (2 × 500 मेगावाट) के निर्माण का भी प्रस्ताव है। केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं होने के कारण, इन बिजलीघरों से पैदा होने वाली बिजली उत्तरी विद्युत क्षेत्र के लाभभोगी राज्यों, जिनमें हरियाणा भी शामिल है और जिसे नरोरा परमाणु बिजलीघर से भी हिस्सा मिल रहा है, में बांटी जाएगी।

पंजाब के औद्योगिक एककों को राज्य से बाहर स्थापित किया जाना

2209. **श्री चन्द्रजीत यादव:**
श्री रामविलास पासवान:
श्री शरद यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण राज्य के औद्योगिक एककों को अन्यत्र स्थापित किये जाने के संबंध में कोई अध्ययन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) जी, नहीं। उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु विद्युत संयंत्र

2210. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु स्थानों के चयन के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत कितनी है और इसकी पक्वनावधि कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा स्थापित नवीनतम परमाणु संयंत्र कौन-सा है; और

(घ) इसकी कुल पूंजीगत लागत कितनी है, इसमें किस प्रकार का रिएक्टर है और कौन-सा ईंधन प्रयुक्त होता है, इस संयंत्र की क्षमता कितनी है तथा इसके द्वारा उत्पादित प्रति यूनिट विद्युत की लागत कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री रंगराजन कुमारमंगलम (क) परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए स्थलों का चयन करते समय जो मानदंड अपनाए जाते हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में मूल्यांकन करना भी शामिल है:

(i) भूमि, पानी, पहुंच मार्ग, संयंत्र को चालु करने के लिए आवश्यक बिजली की उपलब्धता, अनुकूल भौमिका और बुनियादी स्थितियां।

(ii) संयंत्र स्थल और आस-पास के क्षेत्र में भूकम्पनीयता, हवा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक घटनाएं।

(iii) हवाई पत्तनों, उद्योगों, रसायनों और विस्फोटक पदार्थों के भंडारों जैसी जगहों के निकट संयंत्र स्थल होने की वजह से घटने वाली मानव प्रेरित घटनाओं पर विचार करना।

(iv) भूमि का उपयोग, मौसम विज्ञान, जनसंख्या का विभाजन तथा पर्यावरण संबंधी पहलू।

(v) क्षेत्र में बिजली की मांग तथा विद्युत-निर्वात के लिए संचरण प्रणाली क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के वास्ते ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों के विकल्पों की उपलब्धता भी एक

महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। देश में अलग-अलग विद्युत क्षेत्रों के आधार पर स्थलों के संबंध में विचार किया जाता है। किसी स्थल पर संयंत्र स्थापित करने के लिए उस स्थल के संबंध में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से सुरक्षा की दृष्टि से और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरण की दृष्टि से अनुमति लेना, धनराशि उपलब्ध होना तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।

(ख) सन् 1991 की कीमतों के आधार पर बिजली की स्थापित क्षमता की पूंजीगत लागत लगभग 3 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट (विद्युत) है जिसमें निर्माण कार्य के दौरान कीमतों की बढ़ोत्तरी तथा ब्याज शामिल नहीं है। परियोजना के लिए वित्तीय संस्वीकृति मिलने से लेकर यूनिट के क्रांतिकता प्राप्त करने तक तैयार होने की अवधि नए यूनिटों के मामले में 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले यूनिटों के लिए 7 वर्ष और 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले यूनिटों के लिए 8 वर्ष निर्धारित की गई है।

(ग) आखिरी में चालू किया गया परमाणु बिजलीघर नरोरा परमाणु बिजलीघर है।

(घ) नरोरा में 2×220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले परमाणु बिजलीघर की अनुमानित पूंजीगत लागत 745 करोड़ रुपए है (645 करोड़ रुपए + निर्माण काल के दौरान ब्याज के 100 करोड़ रुपए)। यह परमाणु बिजलीघर दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर वाला है जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार इस बिजलीघर से उत्पन्न बिजली की बिक्री दर 1.1.1992 से 118.68 पैसे/प्रति किलोवाट घंटा (प्रस्तावित) है।

रूग्ण एककों का आकलन

2211. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एककों की भावी स्थिति के संबंध में निर्णय लेने से पहले एक एकक से दूसरे एकक के आधार पर उनकी वित्तीय, प्रबन्धकीय और तकनीकी स्थिति तथा कमी का आकलन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (ग) श्रम राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित कर दी गई है। यह समिति क्षेत्रीय स्तर के साथ-साथ एकक स्तर पर रूग्णता के सभी मामलों की जांच कर रही है ताकि सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों और इनमें कार्यरत कामगारों के भविष्य के बारे में, विभिन्न प्रभावित पक्षों में सहमति हो सके। उपयुक्त योजनाएं बनाने से पूर्व, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन मंडल, वित्तीय प्रबन्धकीय तथा तकनीकी स्थितियों तथा कमियों को भी ध्यान में रखता है।

[हिन्दी]

"सावित" कीटनाशक की मांग

2212. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "सावित" कीटनाशक की वर्ष में औसत कुल मांग कितनी है और इसका कुल उत्पादन कितना होता है, और

(ख) देश में "सावित" कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली फैक्टरियां किन-किन स्थानों में स्थित हैं और सरकार का विचार इसकी मांग और उत्पादन के बीच अंतर को किस प्रकार दूर करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) "सेविन" एक ब्रांड नाम है जो यूनियन कारबाइड द्वारा कारब्राइल नामक तकनीकी कीटनाशी को दिया गया है। इस मद का निर्माण कंपनी द्वारा अपने भोपाल स्थित संयंत्र में किया जाता था। संयंत्र के बन्द हो जाने के बाद भारत में "सेविन" का निर्माण नहीं किया जाता है। 1991-92 के दौरान कारब्राइल तकनीकी की आवश्यकता 1600 टन प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया गया था। इस समय इस कीटनाशी की सम्पूर्ण आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जा रही है।

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड" (आर०सी०एफ०) द्वारा प्रदूषण

2213. **श्री राम नाईक:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले वर्ष "राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड" पर मुकदमा चलाया था;

(ख) यदि हां, तो मुकदमा चलाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) आर०सी०एफ० द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है;

(घ) क्या अब प्रदूषण अनुमत्य सीमा में है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी, हां।

(ख) इसका कारण यह था कि सितम्बर, 1990 में कभी-कभी आर०सी०एफ० ने अपने पुराने निट्रिक एसिड संयंत्र से नाइट्रोजन के आक्साइड के निस्त्राव की मात्रा आंशिक रूप से बढ़ा दी थी।

(ग) निस्त्राव की निगरानी के लिए आर०सी०एफ० के पास स्वतः चालित पद्धति है। अनुमेय सीमा से अधिक निस्त्राव होने पर तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है जिससे आवश्यकता पड़ने पर संयंत्र को बन्द करना भी शामिल है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में रेअर अर्थ सैंड संबंधी उद्योग

2214. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में 'रेअर अर्थ सैंड' आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) इल्मेनाइट, रूटाइल, जर्कन, मोनाजाइट आदि जैसे खनिजों का उत्पादन करने के लिए आंध्र प्रदेश में भिमिलिपट्नम के समीप एक खनन और खनिज पृथक्करण यूनिट स्थापित करने की संभाव्यता के बारे में प्रारम्भिक अध्ययन किए जा रहे हैं। इस परियोजना की स्थापना तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता तथा इससे संबद्ध उद्योगों द्वारा इल्मेनाइट के उपयोग पर निर्भर करेगी।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

झरिया में आग

2215. **श्री सनत कुमार मंडल:**
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी क्षेत्र में झरिया तथा अन्य कोयला खदानों में पिछले 20 वर्षों से लगी आग को बुझाने की परियोजना इस समय किस स्थिति में है;

(ख) आग बुझाने में इस समय कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) इस आग को बुझाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने आग बुझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता लेने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) से (ग) आगों से संबंधित मुख्यतः भारत कोकिंग कोल लि० के झरिया कोयला क्षेत्र में विद्यमान है। कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बहुत पहले से 17.32 कि०मी० के क्षेत्र के अंतर्गत झरिया कोलफील्ड्स में 70 आगें लगी हुई हैं। इस कोलफील्ड में पहली आग की सूचना 1916 में मिली थी।

वर्ष 1971 में कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद भारत कोकिंग कोल लि० ने झरिया कोयला क्षेत्र में बड़ी आगों से निपटने के लिए 22 योजनाएं निष्पादित की हैं। इन योजनाओं के लिए कुल 114.57 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 73 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं और यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अधीन है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 5 आगों को पूर्णतः बुझा लिया गया है। इसके अतिरिक्त 3 स्थलों पर आगों से निपटने के लिए अपेक्षित सुरक्षात्मक उपायों को पूरा कर लिया गया है और इन आगों को पूर्णतः बुझाए जाने में कुछ और समय लगेगा। 13 अन्य स्थलों पर भी आगों पर रोक लगा दी गई है और इन आगों को पूर्णतः बुझाए जाने संबंधी कार्य प्रगति पर है। आग परियोजनाओं के आग संबंधी क्रियाकलापों के नियंत्रण की प्रभावकारिता में सुधार किए जाने के लिए कार्य की प्रगति पर प्रभावी

रूप में निगरानी रखी जा रही है। झरिया कोलफील्डस की आगों की समस्या बहुत बड़ी होने के कारण इन आगों से निपटने के लिए आवश्यक निधियों के लिए सही राशि का उल्लेख किया जाना कठिन है।

भारत कोकिंग कोल लि० के झरिया कोलफील्ड्स में आगों के अतिरिक्त ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०, पूर्वी क्षेत्रों में कुछ छोटी-मोटी आगें लगी हुई हैं। इनमें से कुछ आगों से प्रभावकारी ढंग से पहले ही निपटा जा चुका है और शेष बची आगों पर भी नियंत्रण पाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) और (ङ): कोयला क्षेत्र की आगों से निपटने के लिए एक परियोजना यू०एन०डी०पी० की सहायता के लिए प्रस्तुत की गई है जिसका उद्देश्य आगों को बुझाने की प्रणाली को विनिर्दिष्ट करना है।

जीवन सूचकांक का वास्तविक स्वरूप

2216. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश के विभिन्न भागों में जीवन सूचकांक के वास्तविक स्वरूप के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस सूचकांक में किन घटकों/सूचकों को शामिल किया गया है तथा उन्हें कितनी महत्ता प्रदान की गई है; और

(ग) इस सूचकांक का विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में क्या महत्व है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

2217. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय औद्योगिक श्रमिकों के लाभ के लिए किन्ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को अद्यतन बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक कर्मकारों को निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाते हैं:—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(iii) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(iv) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

(v) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) पर दर्शाए गए अधिनियम केवल उन कतिपय प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जो निर्धारित संख्या में व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और केवल उनहीं व्यक्तियों को इनका लाभ मिलता है जो संबद्ध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक वेतन लेते हैं। उपर्युक्त (iv), (v) पर उल्लिखित अधिनियमों पर ऐसी कोई शर्त लागू नहीं है। सामाजिक सुरक्षा लाभों में चिकित्सा लाभ (पूर्ण चिकित्सा देखभाल), बीमारी लाभ, (नकद लाभ), भविष्य निधि, परिवार पैंशन, जमा संबद्ध बीमा, नियोजन के कारण हुई मृत्यु/चोट के लिए मुआवजा, सेवानिवृत्ति पर उपदान और वेतन के साथ प्रसूति लाभ शामिल हैं।

(ग) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सामान्यतः त्रिपक्षीय आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है और जब कभी आवश्यक होता है, इनमें संशोधन किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उद्योग लगाना

2218. **श्री जिनेन्द्र नाथ दासः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अनिवासी भारतीयों ने पश्चिम बंगाल में उद्योग स्थापित करने संबंधी कुछ प्रस्ताव भेंजे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) सामान्यतः विदेशी सहयोग हेतु अनुमोदनों में सहयोग के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का उल्लेख नहीं होता है इसलिए केन्द्र विदेशी सहयोग प्रस्तावों/अनुमोदनों, विशेषतः स्थापना-स्थल का ब्यौरा नहीं रखता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेन्ट इन्डिया लिमिटेड में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

2219. **श्री तारा चन्द्र खण्डेलवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इन्डिया लिमिटेड द्वारा सभी करार, अनुबन्ध और निविदाएं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी आमन्त्रित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) पी०डी०आई०एल० के अधिकांश करार संविदाएं और निविदाएं अंग्रेजी में होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पी०डी०आई०एल० एक शोध और डिजाइन संगठन है और इसके अधिकांश कार्य तकनीकी प्रकृति के हैं। तथापि मानक संविदा प्रपत्रों और करारों/संविदाओं के मानक धाराओं/अनुच्छेदों के हिन्दी अनुवाद के माध्यम से करार तथा संविदा निष्पादन तथा निविदा आदि जारी करने में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

"भेल" का फाउंड्री फोर्ज संयंत्र

2220. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) स्थित केन्द्रीय फाउंड्री फोर्ज संयंत्र ने 1991-92 के दौरान कुल कितना कारोबार किया और इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या था;

(ख) यह 1990-91 के दौरान किये गये कारोबार से कितने प्रतिशत अधिक है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या है; और अब तक इसकी कहां तक पूर्ति हुई है?

उद्योग मंत्रालय (भारत उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) हरिद्वार स्थित केन्द्रीय फाउंड्री फोर्ज का 1991-92 के दौरान का कारोबार और उसकी तुलना में लक्ष्य निम्न प्रकार है:—

वर्ष	लक्षित कारोबार	वास्तविक कारोबार
1991-92	56 करोड़ रुपये	67 करोड़ रुपये

(ख) 1991-92 का कारोबार वर्ष 1990-91 के कारोबार की तुलना में 20% अधिक रहा।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए कारोबार का लक्ष्य 69 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है तथा जून, 1992 तक लक्ष्य का 13% प्राप्त कर लिया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान विकास केन्द्र

2221. श्री एन० डेनिस: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान विकास केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में कोई सॉफ्टवेयर तथा विकास केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम नामक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली स्वायत्त पंजीकृत संस्था में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण तथा विकास केन्द्र (एस०टी०डी०सी०) की स्थापना की गई है, जो आई०बी०एम० मेनफ्रेम पर आधारित देश का पहला केन्द्र है। एस०टी०डी०सी० आधुनिकतम आई०बी०एम० कम्प्यूटर ई०एस० 9000 से सुसज्जित है। यह केन्द्र सॉफ्टवेयर कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी, 1992 से आरम्भ हुआ है।

ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना

2222. श्री सैयद शाहाबुद्दीन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्व-नियोजन के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण का कुल परिव्यय और प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या इसके आरंभ से अब तक वर्ष-वार क्षेत्र-वार और राज्य-वार कितना है;

(ख) क्या ट्राईसेम द्वारा पैदा किए गए स्व-रोजगार तथा मजदूरी रोजगार की स्थिति का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अब सर्वेक्षण कराने का है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई ह० पटेल): (क) ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राईसेम) के अंतर्गत 1979 से इसके आरंभ होने के लेकर 1989-90 तक खर्च को जिला स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आवंटनों में से पूरा किया जाता था। ट्राईसेम के लिए 1990-91 से अलग प्रावधान करना शुरू किया गया था। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए राज्यवार और वर्षवार परिव्यय एवं प्रशिक्षार्थियों की संख्या को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के लिए प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र में सृजित स्व-रोजगार मजदूरी रोजगार को दर्शाने वाली राज्य/संघशासित क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत की गई भौतिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है

विवरण-I

प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अंतर्गत 190-91 तथा 1991-92 के दौरान राज्यवार परिव्यय तथा प्रशिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	आवंटन (केन्द्रीय अंश)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	आवंटन (केन्द्रीय अंश)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	130.63	15020	265.70	18106
अरुणाचल प्रदेश	7.71	355	26.9	221
असम	83.03	6487	77.10	9152
बिहार	264.89	21794	631.90	32598
गोवा	21.2	3546	6.50	2578
गुजरात	135.36	15681	228.60	24192
हरियाणा	26.06	2453	45.80	4402
हिमाचल प्रदेश	7.22	1350	17.10	1912
जम्मू व कश्मीर	24.68	907	5.40	2053
कर्नाटक	137.84	9970	269.40	12956
केरल	92.91	5657	104.90	7126
मध्य प्रदेश	206.17	23212	273.00	28921
महाराष्ट्र	177.53	18016	234.30	17587
मणिपुर	1.98	599	6.30	322
मेघालय	3.45	47	6.50	155
मिजोरम	13.16	750	9.10	1713
नागालैंड	8.25	138	9.50	738
उड़ीसा	169.68	12726	180.00	25194
पंजाब	41.08	10287	45.90	5003
राजस्थान	80.49	4007	161.80	9908
सिक्किम	0.66	101	4.10	63
तमिलनाडु	195.55	9725	321.20	9233
त्रिपुरा	7.16	347	7.30	1185
उत्तर प्रदेश	421.96	57195	800.70	70430
पश्चिम बंगाल	161.47	14916	313.40	17828
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.52	474	12.50	338
चंडीगढ़	0.21	—	0.20	—

1	2	3	4	5
दादर व नगर हवेली	0.36	36	1.20	47
दिल्ली	11.83	886	16.00	834
दमन एवं दीव	1.04	110	2.30	123
लक्षद्वीप	1.12	18	1.60	38
पांडेचेरी	6.71	272	10.80	383
अखिल भारत	244.96	236177	4157.00	305339

विवरण-II

1991-92 के दौरान ट्राइसेम योजना की भौतिक प्रगति

क्रमांक	राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र	माह	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	स्वरोजगार में लगे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	प्रतिशत	मजदूरी रोजगार में लगे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	प्रतिशत	रोजगार में लगे कुल प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	18106	6516	35.99	1828	10.10	8344	46.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	221	184	83.26	0	0.00	184	83.26
3.	असम	3	9152	2835	24.54	236	2.89	3071	27.43
4.	बिहार	3	32598	10842	33.26	1877	5.76	12719	39.02
5.	गोवा	3	2578	1864	72.30	1132	43.91	2996	116.21
6.	गुजरात	3	24192	5820	24.06	2457	10.16	8277	34.21
7.	हरियाणा	3	4402	1700	38.62	710	16.13	2410	54.75
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1912	802	41.95	499	26.10	1301	68.04
9.	जम्मू व कश्मीर	1	2053	186	9.06	15	0.73	201	9.79
10.	कर्नाटक	3	12956	1981	15.29	486	3.75	2437	18.81
11.	केरल	3	7126	1713	24.04	3279	46.01	4992	70.05
12.	मध्य प्रदेश	3	28921	13463	46.55	5386	18.62	18849	65.17
13.	महाराष्ट्र	3	17587	7269	41.33	2693	15.31	9962	56.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मणिपुर	12	322	112	34.78	0	0.00	112	34.78
15.	मेघालय	3	155	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16.	मिजोरम	3	1713	289	16.87	184	10.74	473	27.61
17.	नागालैंड	3	738	143	19.38	54	7.32	197	26.69
18.	उड़ीसा	3	25194	12643	50.18	9921	39.38	22564	89.56
19.	पंजाब	3	5003	3286	65.68	329	6.58	3615	72.26
20.	राजस्थान	3	9908	3078	31.07	2578	26.02	5656	57.09
21.	सिक्किम	2	63	0	0.00	8	12.70	8	12.70
22.	तमिलनाडु	3	9233	1849	20.03	3866	41.87	5715	61.90
23.	त्रिपुरा	3	1185	260	21.94	26	2.19	286	24.14
24.	उत्तर प्रदेश	3	70430	31909	45.31	6618	9.40	38527	54.70
25.	पश्चिम बंगाल	3	17828	10023	56.22	2946	16.54	12971	72.76
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3	338	92	27.22	0	0.00	92	27.76
27.	दमन व दीव	3	123	74	60.16	—	0.00	74	60.16
28.	दादर व नगर हवेली	3	47	4	8.51	—	0.00	4	8.51
29.	दिल्ली	3	834	358	42.93	20	2.40	378	54.32
30.	लक्षद्वीप	3	38	36	94.74	—	0.00	36	94.74
31.	पांडीचेरी	3	383	137	35.77	102	26.63	239	62.40
	अखिल भारत		305339	119468		47252		166690	

बिहार के उद्यमियों को बैंक ऋण

2223. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **प्रधान मंत्री** 18 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित संख्या 4323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने उद्यमियों को बैंकों से ऋण दिये गये हैं;

(ख) उन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है जिनके नामों का चयन एवम् सिफारिश संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा की गई थी लेकिन उन्हें अभी तक ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है;

(ग) क्या जाले स्थित इंडियन बैंक की शाखा ने कुछ ऐसे चुने गये युवाओं को ऋण देने से बार-बार इंकार किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं कि इन युवाओं को बैंकों से ऋण मिल जाये?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में पिछले तीन वर्षों में "शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना" के तहत जिन "शिक्षित बेरोजगार युवाओं" को बैंक ऋण मंजूर हुए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है:—

क्रमांक	वर्ष	मधुबनी जिला	दरभंगा जिला
1.	1989-90	310	329
2.	1990-91	302	422
3.	1991-92	328	329

(ख) उन "शिक्षित बेरोजगार युवाओं" की संख्या जिनके लिए संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा नामों का चयन तथा सिफारिश की गई है किंतु जिनको अभी तक ऋण मंजूर नहीं हुआ है, के संबंध में सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है। यद्यपि, उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या की जानकारी, जिनकी सिफारिश तथा चयन पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा की गयी है, नीचे दी गई है:—

क्रमांक	वर्ष	मधुबनी जिला	दरभंगा जिला
1.	1989-90	347	418
2.	1990-91	416	703
3.	1991-92	475	552

(ग), (घ) और (ङ) जाले स्थित इंडियन बैंक की शाखा के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत इस मंत्रालय को नहीं मिली है। तथापि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के तहत सामान्य प्रथा यह है कि जब भी उक्त बैंक के विरुद्ध किन्हीं लाभार्थियों से शिकायतें मिलती हैं तो उन्हें आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरन्त भेज दिया जाता है।

उपग्रह प्रक्षेपण

2224. **श्री यशवन्तराव पाटिल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न विकास कार्यों के लिए सरकार का विचार कितने उपग्रहों को आगामी दो वर्षों के दौरान प्रक्षेपित करने का है;

(ख) किस प्रौद्योगिकी के लिये इन का उपयोग किया जाएगा;

(ग) क्या दूरसंचार क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए उपग्रहों का उपयोग जरूरी है; और

(घ) यदि हां, तो सिर्फ दूरसंचार क्षेत्र के लिए भविष्य में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए जायेंगे और कब तक?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) अगले दो वर्षों के दौरान तीन उपग्रहों को प्रमोचित करने का प्रस्ताव है।

(ख) जिस प्रौद्योगिकी के लिए इन उपग्रहों का उपयोग किया जायेगा, वे इस प्रकार हैं:

1. भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1ई॰ (आई॰आर॰एस॰-1ई॰)

आई॰आर॰एस॰-1ई॰ तृतीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी॰एस॰एल॰वी॰) की प्रथम विकासात्मक उड़ान के साथ प्रमोचित किया जाने वाला उपग्रह है। यह अपने साथ सुदूर संवेदन नीतभार ले जायेगा।

2. भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1सी॰ (आई॰आर॰एस॰-1सी॰)

द्वितीय पीढ़ी का सुदूर संवेदन उपग्रह, आई॰आर॰एस॰-सी॰, नब्बे-दशक के मध्य प्रौद्योगिकी विकास के परिदृश्य और सुदूर संवेदन के क्षेत्र में प्रयोक्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा। इसमें बेहतर स्पेक्ट्रमी और अवकाशीय विभेदन, ऑनबोर्ड रिकार्डिंग, त्रिविम अवलोकन, और अधिक तीव्र पुनर्गमन की व्यवस्था होगी, इस प्रकार नवीन उपयोगों के अवसरों की शुरूआत होगी, जिसमें ग्रामीण स्तर पर एकीकृत दीर्घकालीन विकास के लिए अपेक्षित घटनास्थल-विशेष के समाधान पर पहुंचना भी शामिल है।

3. भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-2बी॰ (इन्सैट-2बी॰)

यह उपग्रह स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए दूसरी पीढ़ी इन्सैट-2 श्रृंखला के उपग्रहों में से होगा, जो कि अन्ततः विदेश से प्राप्त किए गए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-1 (इन्सैट-1) श्रृंखला के उपग्रहों का स्थान लेगा तथा दूरसंचार टी॰ वी॰, मौसम-विज्ञान और अन्य सेवाओं के लिए वार्षिक तकनीकी क्षमता उपलब्ध करायेगा।

(ग) जी, हां। उपग्रहों का उपयोग तीव्र और विश्वसनीय रूप में विविध दूरसंचार सेवाओं को आरंभ करने में अत्याधिक मदद करेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं — विडियो टेलिकान्फ्रेंसिंग, सुदूर क्षेत्र संदेश और संचार,

विस्तृत क्षेत्र आंकड़ा प्रसार और मोबाइल संचार। दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए भौमिक आधारित और उपग्रह आधारित नेटवर्क का समाकलित और दीर्घकालिक विकास अनिवार्य है।

(घ) दूरसंचार क्षेत्र के लिए संवर्धित अन्तरिक्ष-खण्ड क्षमता उपलब्ध कराने के लिए अगले चार से पांच वर्षों में तीन इन्सैट-2 अन्तरिक्षयान प्रमोचित करने की योजना है। यह 10 जुलाई 1992 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किए गए इन्सैट-2ए॰ उपग्रह के अतिरिक्त है। बहुउद्देशीय उपग्रह होने के नाते इन्सैट-2 अन्तरिक्षयान प्रसारण और मौसमविज्ञानीय सेवाएं भी मुहैया करायेगा।

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाएं

2226. **श्री राम विलास पासवान:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं सभी भारतीय भाषाओं में कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में बहु-भाषीय परीक्षा माध्यम लागू करने के संबंध में डा॰ सतीश चन्द्र कमेटी के सुझावों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

केरल को ग्रामीण विकास के लिए धनराशि का आवंटन

2227. **श्री थाइल अंजलोज:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान केरल को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या केरल सरकार ने उक्त अवधि के दौरान आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान केरल को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित की गई धनराशि निम्न प्रकार है:—

	कार्यक्रम का नाम	आवंटित की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	17.60
2.	जवाहर रोजगार योजना	63.96
3.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	11.91
4.	ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)	1.90
5.	भूमि सुधार के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों को वित्तीय सहायता	0.15

(ख) (1) संविधान के अन्तर्गत, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान केरल को निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई थीं:—

	योजना का नाम	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	8.50
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	105.00
3.	राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम	40.70
4.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	38.00

ख (2) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जवाहर रोजगार योनजा के अन्तर्गत स्कूल भवनों के निर्माण पर अप्रैल, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान 32.08 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

2228. **श्री प्रकाश वी॰ पाटील:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समुचित विकास को सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान कृषि नीति को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान योजना परिव्यय का 50 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए आरक्षित रखा गया है क्योंकि कृषि और इसके सहयोगी क्षेत्र के निवेश में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुख राम): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा सिंचाई, ग्राम उद्योगों, ग्रामीण विद्यालयों, स्वास्थ्य तथा परिवद नियोजन और ग्रामीण सड़कों के लिए कार्यक्रमों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार तथा आय सृजित करने वाले कार्यक्रमों तथा कृषि की निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ख), (ग) तथा (घ) दो वर्षों अर्थात् 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान केन्द्रीय योजना में बजट संबंधी सहायता में ग्रामीण संघटक लगभग 50 प्रतिशत है। अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्रक योजना परिव्यय तथा कृषि और संबंद्ध कार्यकलापों के लिए संशोधित अनुमान पिछले दो वर्षों के दौरान बढ़े हैं तथा निम्न प्रकार है:

	वार्षिक योजना	राशि (करोड़ रु०)
अनुमोदित योजना परिव्यय	1990-91	3802.52
संशोधित अनुमान	1990-91	3395.67
अनुमोदित योजना परिव्यय	1991-92	4473.10

कर्नाटक में शीतागार

2229. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में शीतागार समूह स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने हेतु ऐसे शीतागारों की स्थापना के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) कर्नाटक सरकार ने राज्य में मछली के विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शीतागारों, बर्फ संयंत्रों आदि की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव भेजा था।

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्र से लागत का 75 प्रतिशत वहन करने का अनुरोध किया था।

(ग) प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

2230. **श्री श्रवण कुमार पटेल:**
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय कार्यनिष्पादन वर्ष 1991-92 के दौरान उत्साहवर्धक नहीं रहा है जैसा कि 11 मई, 1992 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है और किस सीमा तक यह गिरावट रही है;

(ग) किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है और किस सीमा तक; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा कितना आन्तरिक संसाधन उपार्जित किया गया?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम लेखे तैयार किये जा रहे हैं/उनकी लेखा परीक्षा की जा रही है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की वर्ष 1991-92 की वित्तीय स्थिति तथा अन्य पहलुओं के बारे में विवरण वार्षिक सर्वेक्षण के रूप में, बजट सत्र 1993 में ही संसद में प्रस्तुत किया जाना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को सूचीबद्धकरण

2231. **श्री गुरुदास कामत:**
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव:
श्री जार्ज फर्नान्डीज:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड ने सरकारी क्षेत्र विभिन्न उपक्रमों के पूंजीनिवेश को कम करने के बाद उनके शेयर खरीदे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड ने इन शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज की सूची में सूचीबद्ध की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) और (ख) जिन वित्तीय संस्थानों, सांझा कोषों तथा व्यापारिक बैंकों ने

वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार से सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के शेयर खरीदे हैं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के सम्बद्ध उपक्रम द्वारा शेयर बाजारों में शेयरों को सूचीबद्ध किया जाना है, यूनिट ट्रस्ट आॅफ इण्डिया और सांझा कोषों द्वारा नहीं।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान शेयरों की बिक्री का ब्यौरा

क्र० सं०	संस्थान का नाम	शेयरों की संख्या
1.	यूनिट ट्रस्ट आॅफ इंडिया	57,44,16,900
2.	कैनबैंक सांझा कोष	3,07,14,300
3.	साधारण बीमा निगम	9,68,97,500
4.	जीवन बीमा निगम	7,74,08,000
5.	जीवन बीमा निगम सांझा कोष	1,11,21,600
6.	पंजाब नेशनल बैंक सांझा कोष	12,07,200
7.	भारतीय स्टेट बैंक सांझा कोष	2,85,19,500
8.	भारतीय स्टेट बैंक पूंजी बाजार	84,60,300
9.	इंडियन बैंक सांझा कोष	28,66,500
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,72,37,200
11.	इलाहाबाद बैंक	62,01,100
12.	कैनबैंक वित्तीय सेवाएं	30,68,400
13.	कारपोरेशन बैंक	59,54,200
14.	बैंक आॅफ इंडिया सांझा कोष	80,54,400
	कुल	87,21,27,100

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

2232. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष बना दिया गया है;

(ख) क्या उक्त कोष को कार्यरूप देने की औपचारिकताओं के बारे में निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कोष के संचालन एजेंसी के रूप में कार्य करने वाले मंत्रालय विशेष का चयन कर लिया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त कोष के संचालन के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों और शर्तों को सम्मिलित किया जायेगा; और

(च) इस कोष के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है तथा राशि किन-किन स्त्रोतों से प्राप्त होने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि को कार्यरूप देने संबंधी औपचारिकताओं के लिए संबंधित मंत्रालयों, राय सरकारों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

(घ) जी, हां। उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निधि का प्रशासन संबंधी कार्य किया जाएगा।

(ङ) ऐसा प्रस्ताव है कि निधि के तीन प्रमुख खंड होंगे। रोजगार सृजन निधि रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली योजनाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था करेगी। राष्ट्रीय नवीकरण अनुदान निधि, रुग्ण एककों के पुनरूज्जीवन या बंद होने की स्थिति से पैदा हुई श्रमिकों की तुरंत अपेक्षाओं से निपटने संबंधी कार्य करेगी। तीसरा खण्ड, अर्थात, कर्मचारियों हेतु बीमा निधि भविष्य में औद्योगिक श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था करेगा।

(च) औद्योगिक विकास विभाग के 1992-93 के बजट में 200 करोड़ रु० की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस निधि में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, औद्योगिक एककों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि द्वारा अंशदान किया जा सकता है।

कोल इंडिया लि० द्वारा संसाधनों का उपयोग

2233. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने स्थायी अर्थक्षम और वाणिज्यिक संगठन के रूप में उभरने के लिए उपलब्ध संसाधनों का कारगर और परिणामोन्मुखी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) जी, हां,

(ख) कोल इंडिया लि० को आर्थिक रूप में सक्षम करने और वाणिज्यिक संगठन बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में, अन्य उपायों के अलावा, निम्नलिखित उपाय हैं:—

(1) वास्तविक रूप में प्रभावी नियंत्रण और उत्पादन की यूनिट लागत को कम करने के लिए अर्थात् खनन की अधिक वैज्ञानिक और उन्नत तकनीक को अपनाकर उच्च उत्पादन और उत्पादकता हासिल करके मुद्रास्फीति की दर की तुलना में कोयला उत्पादन की यूनिट लागत में वृद्धि को निम्नतम करना;

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के द्वारा, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, आदि की उपलब्धता और उपयोग में सुधार करना, भूमि अधिग्रहण को तेज करने के लिए राज्य सरकारों और उचित प्राधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखना और अल्पावधि/दीर्घावधि उत्पादन कार्यक्रम को कम किए बिना पूंजीगत व्यय में कमी करना; उन्नत परियोजना प्रबोधन के द्वारा परियोजनाओं की बढ़ती हुई लागत पर नियंत्रण रखना।

(2) भुगतान की "कैश एंड कैरी" पद्धति को शुरू करके राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य बड़े उपभोक्ताओं से बकाया देय राशि को वसूल करना/देय राशि में कमी करना;

(3) कोयला मंत्रालय द्वारा वार्षिक मूल्य संशोधन, जोकि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा अनुशंसित बढ़ोतरी फार्मूले की सिफारिश पर आधारित है;

(4) पिट-हैड स्टाकों का परिसमापन करने और माल-सूची की कमी करने के संबंध में विशेष कदम उठाए जा रहे हैं; और

(5) उच्च गुणवत्ता ग्रेड के कोयले के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया जाना।

[हिन्दी]

ग्रामीण उद्योगों का विकास

2234. **श्री राम लखन सिंह यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1992-93 में ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु आवंटन में कटौती की है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण उद्योग के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राशि में कटौती करने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) जी, नहीं। 1992-93 के दौरान इस विभाग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से प्लान योजनाओं के तहत् ग्रामीण उद्योगों के लिए 191 लाख रु० की धनराशि आवंटित की गई है। 1991-92 के दौरान, आवंटन का स्तर वही था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को आवंटित की गई धनराशि इस प्रकार है:—

	(रु० लाख में)
1989-90	17500
1990-91	18600
1991-92	19100*

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पर सान्याल समिति की रिपोर्ट

2235. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा:**
श्री दत्तात्रेय बंडारू:
श्री रामकृष्ण कुसमारिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के पुनर्वास संबंधी सान्याल समिति की रिपोर्ट इस बीच सरकार को पेश की गई है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इसमें दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है, और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) एक इंटर डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स जिसमें इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के अधिकारी और प्रबंध परामर्शदाता अर्थात् श्री एस० एस० सन्याल और श्री जे० के० शर्मा थे, ने 1986 में कंपनी के काम के विभिन्न क्षेत्रों की जांच की थी और आईडीपीए के पुनः स्थापन के लिए एक योजना तैयार की थी। यह रिपोर्ट 16 सितम्बर, 1986 को प्रस्तुत की गई थी।

(ग) और (घ) टास्क फोर्स ने जनशक्ति में कमी, उत्पादन और प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों, विपणन नीतियों, कारोबार का पुनर्गठन और कंपनी की प्रबंध-पद्धति में सुधार सहित मोटे तौर पर वित्तीय उपायों के बारे में सुझाव दिए थे। यद्यपि उत्पादन और प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों के बारे में अधिकांश सिफारिशों का स्वरूप निरन्तर जारी रहने वाला है लेकिन प्रमुख वित्तीय उपाय थे कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए नकद राशि, उस समय बकाया योजना ऋण को इक्विटी में तबदीली, ऋण पर ब्याज को छोड़ने, मूलधन की अदायगी पर ऋणस्थगन के साथ बकाया योजनेतर ऋण की बे ब्याज नए ऋण के रूप में तबदीली, सरकारी क्षेत्र के एककों से लिए गए ऋणों और उन पर ब्याज को अधिकार में लेना, ऋणदाता स्तर में कमी करना वस्तु सूची में कमी करना, जनशक्ति में कमी करना और भरती आदि पर प्रतिबन्ध लगाना।

*वास्तविक योजना आवंटन के अतिरिक्त पुनः विनियोग द्वारा 2.00 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं।

1986-87 से 1990-91 की अवधि के दौरान आईडीपीएल को कुल 61.94 करोड़ रुपए की राशि योजना/गैर योजना अन्तर निर्गम ऋण के रूप में दी गई थी। 1991-92 में योजना/गैर-योजना/अन्तर निर्गम सहायता और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए गैर-योजना सहायता के कारण कुल 19.99 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। आईडीपीएल की नगद ऋण सुविधा के लिए इसके बैंकरों के पक्ष में सरकार ने 63 करोड़ रुपए तक की गारनटी दी।

आईडीपीएल के पुनरारम्भ के लिए एक कार्य योजना जिसे समय-समय पर अद्यतन किया गया है, सहित पूंजीगत पुनर्गठन के प्रस्ताव में, पेनिसिलिन-जी की क्षमताओं का विस्तार, रिफैम्पिसिम के निर्माण के लिए नयी सुविधाएं स्थापित करने, विटामिन बी-1 और बी-2 की क्षमता का विस्तार, ऋषिकेश और हैदराबाद संयंत्रों में केप्टिव विद्युत सुविधाएं और उसे केन्द्र स्थापित करने, नवीकरण/प्रतिस्थापन, कार्य संचालन पूंजी की आवश्यकताओं और अन्तर निगमित ऋणों के भुगतान के लिए धनराशि के अतिरिक्त है, की परिकल्पना की गई है। प्रस्ताव में सरकारी ऋणों और ब्याज को बट्टे खाते डालना भी शामिल है। सरकारी ऋणों और ब्याज को बट्टे खाते डालने समेत 31.3.91 तक लगभग 530 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय का अनुमान है।

कार्य योजना सहित पूंजी पुनर्गठन निर्माण के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और इसकी व्यवहार्यता अभी निश्चित की जानी है। इस दौरान रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुपालन में कंपनी ने अपने मामले को औद्योगिक और वित्तीय पुनःनिर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेज दिया है।

आन्ध्र प्रदेश में रुग्ण एककों को बन्द करना

2236. **श्री के० वी० रेड्डेय्या यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में बन्द किये गये रुग्ण औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एककों को पुनः चलाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(ग) इस प्रकार कितने रुग्ण एककों को पुनः चलाया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सितम्बर, 1990 के अन्त में आंध्र प्रदेश राज्य में लघु क्षेत्र में 29,977 औद्योगिक एकक और गैर-लघु क्षेत्र में 128 एकक रुग्ण थे। सितम्बर, 1990 के अन्त में गैर-लघु क्षेत्र में 64 रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एकक बन्द बताए गए थे। लघु औद्योगिक एककों के बारे में ऐसी सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बताया है कि सितम्बर, 1990 को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान एक औद्योगिक एकक को पुनरूज्जीवित किया गया था।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदंडों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों को पुनःस्थापना हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिये एक पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया।

(6) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(7) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमान्त धनराशि योजना भी चला रहा है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000/- रुपये तक की जाती है।

(8) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। जीव्य-क्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

भारतीय उर्वरक संघ के शाखा कार्यालय

2237. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:**
श्री महेश कनोडिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय उर्वरक संघ के नई दिल्ली के अतिरिक्त अन्य शाखा कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में भारतीय उर्वरक संघ के शाखा कार्यालय खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संगठन को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या धनराशि के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) भारतीय उर्वरक संघ के क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी स्थित हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं, भारतीय उर्वरक संघ एक निजी संगठन है।

(घ) सरकार इस संगठन को निधियों का आवंटन नहीं करती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यूनियन कार्बाइड के एकक

2238. **श्री तेज नारायण सिंह:**
श्री राजेश कुमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीका की बहु-राष्ट्रीय कम्पनी यूनियन कार्बाइड द्वारा देश में चलाए जा रहे विभिन्न एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कम्पनी द्वारा इनमें से प्रत्येक एकक में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) क्या इन एककों में कुछ भारतीय पूंजी का भी निवेश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) मैसर्स यूनियन कार्बाइड, यू०एस०ए० द्वारा भारत में कोई एकक नहीं चलाया जा रहा है। तथापि, मैसर्स यूनियन कार्बाइन कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स कम्पनी इंक., यू०एस०ए० (पूर्व नाम यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन) का भारतीय कम्पनी-यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में ईक्विटी का 50.9% भाग है। उक्त यूनियन कार्बाइड कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स कंपनी इंक., द्वारा यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० में लगाई गई धन राशि 16,58,47,500/- रु० है जो 10 रु० प्रति शेयर 1,65,84,750 इक्विटी शेयरों का मूल्य है। उक्त यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० में शेष अंश धारिता एल०आई०सी० और यू०टी०आई०, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अन्य भारतीय कारपोरेट निकायों जैसे संस्थानों और भारतीय निवासियों का है जो विभिन्न अनुपातों में है।

[अनुवाद]

जाली पासपोर्ट

2239. श्री बलराज पासी:
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ट्रैवल एजेंटों सहित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जो गत दो वर्षों के दौरान जनता को जाली पासपोर्ट जारी करने के कार्यों में शामिल थे; और

(ख) सरकार द्वारा इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: (क) और (ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नए उद्योग

2240. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र सरकार के नए उद्योगों के पंजीकरण के कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) राज्य में जिन उद्योगों की स्थापना किये जाने की सम्भावना है, उनके नाम क्या हैं;

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जुलाई, 1991 में घोषित नयी औद्योगिक नीति के बाद कोई पंजीकरण योजना नहीं है।

(ख) आशय पत्र तथा उद्योग मंत्रालय में प्रस्तुत औद्योगिक उद्यम ज्ञापनों से स्थापित होने वाले उद्योगों में धातुकर्मी उद्योग, रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त), औषधि तथा भेषज, दूरसंचार व्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वनस्पति तेल, इलैक्ट्रोनिक उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग, कागज उत्पादों सहित कागज व लुगदी, रबड़ का सामान, परिवहन उद्योग, वाणिज्यिक कार्यालय एवं घरेलू उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण आदि शामिल हैं।

(ग) 1 जनवरी, 1992 से 30 जून, 1992 के दौरान महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना के लिए 55 आशय पत्र मंजूर किए गए थे। इसी अवधि में 447 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन भी दायर किये गये थे।

(घ) औद्योगिक लाइसेंसों के प्रस्तावों को निपटाने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमाएं हैं। तथापि, मामलों का

वास्तविक निपटान अलग-अलग मदों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपनायी जा रही नीति पर तथा इस बारे में सक्षम तकनीकी प्राधिकरणों के विचारों पर भी निर्भर करता है।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का मूल्यांकन

2241. **श्री जार्ज फर्नान्डीज:**
श्री मनोरंजन भक्त:
प्रो० राम कापसे:
श्री श्रवण कुमार पटेल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: ·

(क) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के चालू मूल्यांकन से यह पता चला है कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ का एक बड़ा भाग ऐसी श्रेणी के लोगों ने उठाया जो इसके पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को हाल ही में कुछ अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) यह कहना सही नहीं है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभ का एक बड़ा भाग ऐसी श्रेणी के लोगों को मिला है जो इसके पात्र नहीं हैं। वास्तव में जनवरी-दिसम्बर, 1989 के दौरान किए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के तीसरे दौर के द्वारा दर्शाए गए परिणामों के अनुसार यह देखा गया है कि केवल 6 प्रतिशत मामलों में ही उन परिवारों को सहायता दी गई थी जो इसके पात्र नहीं थे।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने गरीब परिवारों के सही चयन को दिए जाने वाले महत्व को मान्यता देते हुए 15 नवम्बर, 1991 को सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए थे कि वे प्रत्येक गांव में परिवारों का एक नए सिरे से सर्वेक्षण करें ताकि उन परिवारों का पता लगाया जा सके जो 11000 रुपये की संशोधित गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों का सही चयन किया जाए, कुछेक सुरक्षात्मक उपाय और प्रक्रियाएं भी स्पष्ट रूप से तैयार की गई हैं। राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों के सर्वेक्षण से संबंधित कार्य शुरू कर दिया है।

परिवहन तथा संचार के विकास हेतु धनराशि

2242. **श्री महेश कनोडिया:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार संघ तथा संघ राज्य क्षेत्रवार परिवहन तथा संचार प्रणाली के विकास हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं में परिवहन और संचार के लिए निधियों का आवंटन

(लाख रु० में)

राज्य/सं रा० क्षेत्र	परिवहन		संचार	
	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	6318	20719	0	0
2. अरूणाचल प्रदेश	5433	6927	0	0
3. असम	4927	5896	0	0
4. बिहार	15400	16050	0	0
5. गोवा	1850	3360	0	0
6. गुजरात	9125	10802	150	165
7. हरियाणा	3760	4618	0	0
8. हिमाचल प्रदेश	4662	5287	0	0
9. जम्मू व कश्मीर	4880	5196	0	0
10. कर्नाटक	5664	9313	0	0
11. केरल	5975	6885	0	0
12. मध्य प्रदेश	6799	7444	0	0
13. महाराष्ट्र	16000	21411	0	0
14. मणिपुर	2333	2699	0	0
15. मेघालय	3274	3830	0	0
16. मिजोरम	1879	2122	0	0
17. नागालैंड	2360	2472	0	0
18. उड़ीसा	6741	10711	0	0
19. पंजाब	3870	4637	0	0
20. राजस्थान	4685	6128	0	0
21. सिक्किम	1380	1730	0	0
22. तमिलनाडु	11285	9430	0	0

राज्य/सं रा० क्षेत्र	परिवहन		संचार	
	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
23. त्रिपुरा	1556	2000	25	31
24. उत्तर प्रदेश	31082	35029	0	0
25. प० बंगाल	7060	8090	0	0
कुल (राज्य):	168298	212786	175	196
संघ राज्य क्षेत्र				
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5267	10132	0	0
27. चंडीगढ़	518	273	0	0
28. दादर व नगर हवेली	158	125	0	0
29. दमन व द्वीव	239	283	0	0
30. दिल्ली	13000	13000	0	0
31. लक्ष्यद्वीप	782	716	0	9
32. पांडिचेरी	751	638	0	0
जोड़ (कुल सं० रा० क्षेत्र):	20515	25167	0	9
कुल जोड़ (राज्य व सं० रा० क्षेत्र)	188813	237953	175	205

[हिन्दी]

भारत-जापान अध्ययन समिति की रिपोर्ट

2243. श्री मृत्युंजय नायक:
श्री बारेलाल जाटव:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-जापान अध्ययन समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) भारत-जापान अध्ययन समिति एक स्थायी समिति है जिसकी बैठकें समय-समय पर होती हैं और जो पारस्परिक हित के विशिष्ट मामलों पर विचार-विमर्श करती है। इस रूकार केन्द्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2244. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में हाल के भयंकर सूखे और भुखमरी के अनुभवों को देखते हुए त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) सरकार की उसे सहायता देने के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) त्रिपुरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वृद्धि के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के एक अनुरोध पर विचार करके मानसून के मौसम का पूर्वानुमान करते हुए खाद्यान्नों का अग्रिम आवंटन किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिकों द्वारा रुग्ण एककों का पुनः चलाना

2245. **डा० सुधीर राय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न श्रमिक संघों ने देश के अनेक रुग्ण एककों को पुनः चलाने के लिए प्रस्ताव रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को अब तक कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) श्रमिक संघों के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को पुनरुज्जीवित करना रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में परिकल्पित उपायों में से एक है। ऐसे प्रस्तावों की

प्रत्येक मामले में औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड द्वारा नियुक्त संचालक अभिकरण के माध्यम से जांच की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्रमिकों द्वारा पुनरुज्जीवन के लिए 15 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिनके ब्यौरे संलगन विवरण में दिए गए हैं। 15 प्रस्तावों में से, 3 को मंजूरी दे दी गई है, 3 को अव्यवहारिक पाया गया और 1 उच्चतम न्यायालय के पास है।

विवरण

उन कंपनियों की सूची जिनके संबंध में कामगारों द्वारा पुनरुज्जीवन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं:—

क्र० सं०	कंपनी का नाम
1.	मै० एच०ई०एस० लिमिटेड
2.	मै० होइस्ट-ओ०-मैक लिमिटेड
3.	मै० आई०ए०ई०सी० लिमिटेड
4.	मै० सिओन गराज प्राइवेट लि०
5.	मै० केरा सिन्टर लिमिटेड
6.	मै० के०एम० ए० लिमिटेड
7.	मै० मफतलाल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड
8.	मै० कमानी ट्यूब्स लिमिटेड
9.	मै० न्यु सैन्ट्रल जूट मिल्स लिमिटेड
10.	मै० पावडर मैटल्स एंड एलायजं लिमिटेड
11.	मै० ए०पी० कारबाइड्स लिमिटेड
12.	मै० डब्ल्यू जी० फोर्ज लिमिटेड
13.	मै० वज बज कंपनी लिमिटेड
14.	मै० अंगुस कंपनी लिमिटेड
15.	मै० प्रिमियर केवल कंपनी लिमिटेड

इलेक्ट्रॉनिकी संबंधी नीति

2246. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नीति हेतु कुछ उद्देश्य प्रस्तावित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो नई नीति का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी के लिए अलग से किसी विस्तृत नीति की घोषणा नहीं की है लेकिन इस क्षेत्र के लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य एक प्रमुख विश्व स्तरीय संस्था के रूप में भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का विकास करना तथा देश के प्रत्येक नागरिक को इलेक्ट्रॉनिकी के लाभ उपलब्ध कराना है।

बंधुआ मजदूर प्रणाली

2247. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्य दल ने योजना आयोग को बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) योजना आयोग ने इन सुझावों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ग) अनुसूचित जाति विकास तथा कल्याण संबंधी कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बंधुआ श्रम पद्धति को समाप्त करने के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। कार्य दल द्वारा की गयी टिप्पणियों पर सरकार समान्यतः सहमत है। सरकार ने निर्धनता उन्मूलन अन्य कार्यक्रमों के साथ बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रयोजित योजना को समेकित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं।

चकमा शरणार्थी

2248. **श्री राम सागर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश की प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान चकमा शरणार्थियों का प्रश्न उठाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: (क) जी हां।

(ख) भारत के प्रधान मंत्री और बंगला देश की प्रधान मंत्री ने पूर्ण सुरक्षा और हिफाजत के साथ सभी चकमा शरणार्थियों की तेजी से बंगला देश वापसी का इंतजाम करने के लिए सहमति व्यक्त की। इस परप्रेक्ष्य में, बंगला देशी पक्ष ने राजनीतिक स्तर की प्रतिनिधिक समिति गठित करने के लिए सहमति व्यक्त की जो शरणार्थियों को वापसी के लिए प्रोत्साहित करेगी। बंगला देश की सरकार ने हाल ही में राजनीतिक स्तर की एक समिति स्थापित की है।

वैज्ञानिकों द्वारा अपने ज्ञान का प्रचार-प्रसार

2249. **श्री गुमानमल लोढ़ा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वैज्ञानिकों को लोगों के समक्ष जाकर अपने ज्ञान का प्रचार करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न वैज्ञानिक विभागों को दिये गये निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वैज्ञानिकों को उपलब्ध करायी गयी सचिवालयीय सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी हां।

(ख) और (ग) वैज्ञानिकों को प्रेरित करने तथा उन्हें उनकी जानकारी का प्रसार करने के अवसर प्रदान करने के लिए सभी विज्ञान और संबंधित विभागों के अपने-अपने कार्यक्रम हैं। "खुला मंच", प्रदर्शिनियां और व्याख्यान जैसे क्रियाकलापों का संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में स्थित है, सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय करने के मुख्य उद्देश्य से स्थापित की गयी थी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस मौके का फायदा विज्ञान के मूल्यों प्रचारित करने के लिए उठाया जाता है। यह राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् की पहल का परिणाम है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् ऐसे वैज्ञानिकों को, जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हों तथा इसकी गतिविधियों को चलाने के इच्छुक हों, आतिथ्य फैलोशिप प्रदान करती है। उनकी पसंद के संचार माध्यम में संचार कौशलों को विकसित और पल्लिवित करने के लिए अल्पावधि फैलोशिप भी उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने में भी अपना योगदान देते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मुक्त व्यापार क्षेत्र

2250. **श्री एम०थी०वी०एस० मूर्ति:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को इलेक्ट्रानिक मुक्त व्यापार क्षेत्र खोलने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी इक्विटी की संभावना है और उनके लाभों का कितना प्रतिशत लौटेगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के संगठनों को शुल्क मुक्त इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाएं तैयार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिनमें भारत सरकार केवल विनियमन संबंधी कार्य ही करेगी। प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्टरी के लिए लाइसेंस

2251. **श्री चंदूलाल चंद्राकर:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्टरियां स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस दिए गए और ये फैक्टरियां किन-किन स्थानों में स्थापित की जाएंगी; और

(ख) यह सुनिश्चत करने के लिए कि ये फैक्टरियां प्रदूषण न फैलाएं क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) मध्य प्रदेश में विद्यमान बड़े सीमेंट संयंत्रों तथा उनके स्थापना-स्थल की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा, जुलाई 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा से पहले निम्नलिखित तीन एककों को नये औद्योगिक एकक स्थापित करने/पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति दी गई है:—

(i) मै॰ मैसूर सीमेंट्स लि॰ नरसिंहगढ़। इमलई में (जिला दमोह)

(ii) मै॰ टिस्कों लि॰, रसेदी ग्राम में (जिला-रायपुर)

(iii) मै॰ सेन्चुरी सीमेंट, बैकुंठ में (जिला रायपुर)

नयी औद्योगिकी नीति के अन्तर्गत, सीमेंट क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और केवल यह अपेक्षा है कि औद्योगिक एकक को नयी सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने/पर्याप्त विस्तार करने हेतु एक औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन दर्ज करना होगा।

(ख) सभी एककों को नयी सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने/पर्याप्त विस्तार करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

विवरण

मध्य प्रदेश में बड़ी सीमेंट फैक्टरियों की सूची

क्रम सं॰	एकक का नाम	स्थान
1	सतना सीमेंट वर्क्स	सतना
2	बिरला विकास	सतना
3	जेपी रीवा सीमेंट	जेपी नगर
4	मेहर सीमेंट	मेहर
5	ए॰ सी॰ सी॰ लि॰	किमोर
6	डायमंड सीमेंट	दमोह
7	ए॰ सी॰ सी॰ लि॰	जामुल
8	सी॰ सी॰ आई॰ लि॰	मंधार
9	संचूरी सीमेंट	टिल्डा
10	मोदी सीमेंट लि॰	भाटापारा
11	सी॰ सी॰ आई॰ लि॰	अकलतारा

क्रम सं०	एकक का नाम	स्थान
12	रेमंड सीमेंट	अकलतारा
13	विक्रम सीमेंट	जावद
14	सी० सी० आई०लि०	नीमच

पासपोर्ट जारी करना

2252. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार:**
प्रो० प्रेम धूमल:
श्री वी० धनंजय कुमार:
श्री रमेश चेन्नितला:
डा० खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पासपोर्ट कार्यालय-वार 1 जनवरी, 1992 से अब तक पासपोर्ट हेतु कितने आवेदन-पत्र मिले है; और कितने पासपोर्ट जारी किये गये;

(ख) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की घोषणा के बाद भी पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनन्दन लाल भाटिया): (क) एक जनवरी 1992 और 15 जुलाई 1992 के बीच प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की कुल संख्या 13,80,493 है। इनमें से 11,24,432 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। आवेदनों की प्राप्ति और पासपोर्ट जारी करने का पासपोर्ट कार्यालय-वार विवरण अनुबंध 'क' पर दिया गया है।

(ख) और (ग) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होने का मुख्य कारण आवेदनों की संख्या में वृद्धि और इनके मुकाबले अधिकतर पासपोर्ट कार्यालयों में स्टाफ की कमी और कुछ में पासपोर्ट पुस्तिकाओं की अपर्याप्त आपूर्ति है। सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों में स्टाफ की वृद्धि के लिए 400 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी है और भारत सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक को भी कहा है कि पासपोर्ट कार्यालयों की आवश्यकताओं और पासपोर्टों की मांग में पूर्वानुमानित वृद्धि के अनुसार पर्याप्त संख्या में पुस्तिकाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

अनुबन्ध-क

विवरण

1.1.92 से 15.7.92 की अवधि के दौरान नए पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या और जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या दिखाने वाला विवरण

पासपोर्ट कार्यालय	आवेदन प्राप्त हुए	पासपोर्ट जारी किए गए
हैदराबाद	1,22,319	1,33,672
जयपुर	71,318	67,371
मद्रास	79,213	39,188
बरेली	43,796	34,440
भोपाल	14,680	14,223
पटना	25,244	16,721
नागपुर	7,330	6,471
अहमदाबाद	77,671	71,935
चंडीगढ़	65,129	41,780
कलकत्ता	33,660	25,472
बंगलौर	63,785	49,545
दिल्ली	79,439	55,450
पणजी	11,480	11,742
कोचीन	1,05,125	1,18,711
त्रिवेन्द्रम	83,904	18,291
कोजीकोडे	1,19,612	82,490
त्रिची	90,474	65,483
भुवनेश्वर	6,908	5,224
जालन्धर	68,306	38,450
गुवाहाटी	4,085	3,354
बम्बई	1,42,809	1,57,904
लखनऊ	64,295	66,515
कुल	13,80,493	11,24,432

[हिन्दी]

असम के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सहायता

2253. **श्री प्रवीण डेका:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार की ओर से राज्य के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने हेतु विशेष सहायता करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) (क) और (ख): जी नहीं। तथापि, जवाहर रोजगार योजना जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार सृजित करने के मूल उद्देश्य से असम सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है के अन्तर्गत राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1992-93 के लिए असम राज्य को केन्द्रीय अंश के रूप में 3990.69 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें से पहली किश्त के रूप में 1784.06 लाख रुपए पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

2254. **श्री राम बदन:**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यों को हाल ही में कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में केन्द्रीय सरकार और राज्यों की समान भागीदारी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों को इस प्रयोजनार्थ दी गई धनराशि और वर्ष 1992-93 के दौरान दी जाने वाली धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) (क) और (ख): जी, हां। केन्द्र ने बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने की प्रक्रिया को तीव्र करने और उनके पुनर्वास के लिये जोरदार उपाय करने के लिये राज्यों से कहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है जिसके अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये (50 : 50) के मैचिंग अनुदान के आधार पर राज्य सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 1992-93 के लिये, इस प्रयोजन से 190.00 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ङ) और (च) जी हां। 1992-93 के दौरान बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए जारी की गयी केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)			वर्ष 1992-93 के दौरान बंधुआ श्रमिकों के पुर्नवास के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य
		1989-90	1990-91	1991-92	
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	432
2	बिहार	1.37	65.59	3.28	75
3	कर्नाटक	205.10	—	—	1000
4	मध्य प्रदेश	123.41	0.23	—	22
5	उड़ीसा	55.13	34.20	—	26
6	राजस्थान	0.81	—	—	128
7	उत्तर प्रदेश	48.84	—	—	90
8	तमिलनाडु	—	—	—	544
	जोड़	444.66	100.02	3.28	2317

एशिया प्रशान्त देशों के बीच तकनीकी विकास को बढ़ावा

2255. **श्री साइमन मराण्डी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया तथा प्रशान्त के देश आपस में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में तेहरान में एकत्र हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें भारत ने भी भाग लिया था;

(ग) इसमें तकनीकी विकास के किन पहलुओं पर विचार किया गया;

(घ) भारत तथा पाकिस्तान के बीच औद्योगिक तथा व्यापार विस्तार के संबंध में किन-किन विषयों पर विचार किया गया; और

(ङ) जिन विषयों पर चर्चा की गई उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तकनीकी विकास के निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई थी:—

1. औद्योगिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु एक उपर्युक्त वातावरण बनाना;
2. औद्योगिक तथा प्राद्योगिकीय कुशलताओं का विकास; औद्योगिक प्रशिक्षण तथा तकनीकी कुशलता विकास में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाएं;
3. एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के कम से कम विकसित विकासशील देशों के द्वीपसमूह में औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय विकास के लिए सहकारिता उपाय;
4. औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास के लिए क्षेत्रीय नीति एवं कार्य योजना;

(घ) और (ङ) भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी।

[अनुवाद]

भर्ती नियम एवं विनियम

2256. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वायत्तशासी निकायों के भर्ती नियम एवं विनियम केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित स्वायत्तशासी निकायों के सम्बद्ध मंत्रालयों की पूर्व स्वीकृति से जारी किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) और (ख) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत अथवा अन्यथा गठित स्वायत्त निकायों के भर्ती नियम/सेवा विनियम अधिनियमों, उप-नियम इत्यादि के उपबंधों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इन नियमों/विनियमों में सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता तब होती है जब संगत अधिनियम अथवा उप-नियम इत्यादि में ऐसी व्यवस्था की गई हो।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केन्द्र

2257. **श्री रामेश्वर पाटीदार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) विकास केन्द्र योजना के अधीन मध्य प्रदेश को छः विकास केन्द्र आवंटित किए हैं, जिनमें से भिंड, धार, दुर्ग, गुना, रायपुर और रायसेन जिलों में एक-एक केन्द्र स्थापित किया जाना है। स्थापना-स्थल का निर्णय राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने रायसेन जिले के विकास केन्द्र को छोड़कर शेष सभी विकास केन्द्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें 1990-91 में प्रस्तुत कर दी थीं, जिनका मूल्यांकन व अनुमोदन कर दिया गया है। अनुमोदित केन्द्रों को केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त दे दी गयी है। रायसेन विकास केन्द्र (सतलापुर) की परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए भेज दी गयी है।

ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश को धनराशि का आवंटन

2258. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक जिला-वार, कार्यक्रम-वार तथा वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने कार्यक्रम का मूल्यांकन करने और अधिक बुनियादी सुविधाओं का पता लगाने हेतु कोई निगरानी एजेंसी स्थापित की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों द्वारा धन का समुचित उपयोग किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है और उसके समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किये बिना इसे जारी रखने का औचित्य क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा), जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता को जिलावार व वर्ष वार दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका कार्यान्वयन करने और उनकी निगरानी करने का काम बुनियादी स्तर और खण्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्यवन और निगरानी के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां गठित की गई हैं। खण्डों से प्राप्त मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर जिला स्तर पर निगरानी की जाती है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा भी शासी निकायों की तिमाही बैठक आयोजित की जाती है।

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समितियां भी गठित की गई हैं। इसके अलावा, सारे देश के ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी और स्वतंत्र संगठनों की सहायता से समवर्ती मूल्यांकन की एक पद्धति भी जारी है। जनवरी, 1992 से सभी राज्यों में जवाहर रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन किया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पिछला समवर्ती मूल्यांकन जनवरी-दिसम्बर, 1989 में किया गया था और मूल्यांकन का आगामी दौर शीघ्र ही आरंभ करने का प्रस्ताव है।

विवरण—I

उत्तर प्रदेश को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई जिला और वर्षवार सहायता

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	जिले का नाम	उत्तर प्रदेश को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता			
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (पहली किस्त)
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	103.64	93.218	98.464	54.52
2	अलीगढ़	154.81	134.160	136.247	64.22
3	इलाहाबाद	268.255	318.829	255.375	118.96
4	अल्मोड़ा	66.38	66.380	68.458	32.26
5	आजमगढ़	208.24	138.120	184.636	87.02
6	बदायूं	132.57	123.010	133.835	54.54
7	बहराइच	145.385	142.692	136.050	64.48

1	2	3	4	5	6
8	बलिया	172.09	103.275	139.908	55.62
9	बांदा	112.54	54.648	99.095	48.46
10	बाराबंकी	151.885	151.885	136.011	67.36
11	बरेली	122.83	94.935	103.374	48.72
12	बस्ती	152.855	140.250	144.605	68.34
13	बिजनौर	101.560	107.870	120.980	48.22
14	बुलन्दशहर	175.00	135.00	127.020	59.86
15	चमोली	51.40	43.500	42.245	19.92
16	देहरादून	48.41	45.910	43.195	20.36
17	देवरिया	204.87	172.175	218.025	102.76
18	एटा	94.04	91.150	114.705	48.72
19	इटावा	60.93	110.105	114.152	54.04
20	फतेहपुर	113.03	98.572	100.788	50.64
21	फैजाबाद	172.60	188.505	166.543	78.48
22	फिरोजाबाद	68.615	70.25	66.331	31.26
23	फर्रुखाबाद	109.545	89.330	102.990	51.86
24	गाजियाबाद	98.86	61.450	85.850	40.46
25	गाजीपुर	132.25	176.763	113.095	58.66
26	गोरखपुर	276.49	215.430	150.366	75.14
27	गौंडा	242.395	204.735	154.046	82.66
28	हमीरपुर	99.08	71.605	83.814	39.50
29	हरिद्वार	57.69	49.00	53.402	21.72
30	हरदोई	162.915	154.446	160.034	77.54
31	जालौन	71.93	73.780	69.415	32.72
32	जौनपुर	187.405	182.067	176.324	83.10
33	झांसी	67.97	37.973	52.032	33.68
34	कानपुर देहात	168.48	188.340	160.268	75.54
35	कानपुर नगर	23.65	25.988	18.445	9.74
36	खीरी (लखीमपुर)	125.49	135.725	157.435	61.78
37	ललितपुर	38.715	35.850	48.485	16.00
38	लखनऊ	86.981	61.697	94.548	44.54
39	मैनपुरी	120.525	68.870	64.457	30.54
40	मथुरा	106.915	86.915	92.05	38.54
41	मेरठ	159.52	115.830	123.270	61.08
42	मिर्जापुर	136.45	94.750	119.335	48.56

1	2	3	4	5	6
43	मुरादाबाद	155.205	190.205	189.730	68.92
44	मुजफ्फरनगर	140.44	116.940	122.275	51.86
45	महाराजगंज	*	107.035	100.700	47.46
46	मू (मऊ)	79.94	43.595	74.949	36.42
47	नैनीताल	85.175	85.325	79.155	37.84
48	प्रतापगढ़	150.325	139.325	157.256	61.78
49	पौड़ी गढ़वाल	54.415	36.031	52.565	24.78
50	पीलीभीत	66.147	58.475	61.867	25.94
51	पिथौरागढ़	58.50	67.01	54.031	25.48
52	राय बरेली	155.36	124.675	99.433	73.18
53	रामपुर	48.93	49.593	48.945	22.54
54	सहारनपुर	144.88	68.465	101.416	47.80
55	शाहजहांपुर	141.503	67.275	100.790	47.50
56	सीतापुर	92.33	136.065	144.951	81.88
57	सुल्तानपुर	178.165	178.165	167.630	79.00
58	सिद्धार्थ नगर	*	105.460	99.225	46.76
59	सोनभद्र	71.05	88.00	67.133	32.38
60	टेहरीगढ़वाल	61.305	49.394	39.660	18.70
61	उन्नाव	133.515	114.554	86.124	63.00
62	उत्तरकाशी	26.12	16.941	24.715	11.64
63	वाराणसी	213.22	213.995	271.695	98.60
	योग	7514.361	6810.906	6973.925	3265.50

*वर्ष में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां गठित नहीं की गई थी क्योंकि ये नए सृजित जिले हैं।

विवरण-II

उत्तर प्रदेश को महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा) के अंतर्गत जिलावार व वर्षवार सहायता

(लाख रु० में)

जिलों के नाम	1991-92		जिलों के नाम	1992-93	
	केन्द्रीय	यूनिसेफ		केन्द्रीय	यूनिसेफ
1.बस्ती	2.55	2.50	1. फारुखाबाद	2.55	2.50
2 इटावा	2.55	2.50	2. हरदोई	2.55	2.50
3. देवरिया	2.55	2.50	3. सुलतानपुर	2.55	2.50
4. गोरखपुर	2.55	2.50	4. नैनीताल	2.55	2.50
5. पौड़ी	2.55	2.50			
6. रायबरेली	2.55	2.50			
7. शाहजहांपुर	2.55	2.50			
8. उत्तरकाशी	2.55	2.50			
9. बाराबंकी	2.55	2.50			
10. प्रतापगढ़	2.55	2.50			
11. देहरादून	2.55	2.50			
12. आजमगढ़	2.55	2.50			
13. बलिया	2.55	2.50			
14. गाजीपुर	2.55	2.50			
15. हमीरपुर	2.55	2.50			
16. फतेहपुर	2.55	2.50			
17. मऊ	2.55	2.50			

उत्तर प्रदेश को महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा) के अंतर्गत जिलावार व वर्षवार सहायता

(लाख रु० में)

जिलों के नाम	1989-90		जिलों के नाम	1990-91	
	केन्द्रीय	यूनिसेफ		केन्द्रीय	यूनिसेफ
1. बांदा	3.00	2.95	1. बस्ती	5.10	5.00
2. इटावा	1.49	1.45	2. सुल्तानपुर	2.55	2.50
3. देवरिया	5.10	5.00	3. इटावा	0.87	—
4. इलाहाबाद	4.74	4.64	4. देवरिया	2.55	2.50
5. गोरखपुर	1.59	1.54	5. गोरखपुर	11.87	0.17
6. पौड़ी	2.55	2.50	6. नैनीताल	2.55	2.50
7. गोंडा	2.55	2.50	7. पौड़ी	2.55	2.50
8. शाहजहांपुर	2.55	2.50	8. गोंडा	2.55	2.50
9. प्रतापगढ़	5.10	5.00	9. शाहजहांपुर	2.55	2.50
10. पिथौरागढ़	5.10	5.00	10. मैनपुरी	2.55	2.50
11. देहरादून	5.10	5.00	11. हरदोई	5.10	5.00
			12. उत्तरकाशी	2.55	2.50
			13. बदांयू	2.55	2.50
			14. बाराबंकी	2.55	2.50
			15. देहरादून	2.55	2.50
			16. जौनपुर	5.10	5.00
			17. अल्मोड़ा	5.10	5.00
			18. फैजाबाद	5.10	5.00
			19. मिर्जापुर	5.10	5.00
			20. वाराणसी	5.10	5.00

विवरण—III

निम्नलिखित अवधि के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता

1	2	1989-90 3	1990-91 4	1991-92 5	1992-93 6
1.	उत्तर काशी	237.85	194.03	946.54	48.75
2.	चमोली	230.46	196.93	225.16	48.86
3.	टिहरी गढ़वाल	303.53	250.71	594.68	62.76
4.	देहरादून	226.81	194.20	241.71	48.17
5.	गढ़वाल	370.89	303.86	358.19	76.20
6.	पिथौरागढ़	283.53	251.84	257.45	61.97
7.	अल्मौड़ा	487.89	384.28	416.99	94.79
8.	नैनीताल	484.28	445.18	558.07	108.64
9.	सहारनपुर	727.64	681.91	448.27	165.65
10.	मुजफ्फरनगर	574.08	614.15	569.84	150.17
11.	बिजनौर	688.47	651.03	871.10	157.80
12.	मेरठ	710.72	664.80	516.21	161.54
13.	गाजियाबाद	449.11	432.36	408.46	104.37
14.	बुलदशहर	794.37	759.56	694.06	183.68
15.	मुरादाबाद	809.45	781.91	722.11	188.64
16.	रामपुर	259.79	246.87	223.70	95.95
17.	बदायूं	556.25	533.38	458.18	127.75
18.	बरेली	496.92	460.92	488.02	112.25
19.	पीलीभीत	290.22	277.05	308.86	67.00
20.	शाहजहांपुर	477.41	456.55	431.36	110.39
21.	अलीगढ़	891.68	844.02	632.89	204.54
22.	मथुरा	520.47	487.79	629.84	118.47
23.	आगरा	596.88	564.99	512.52	136.93
24.	एटा	537.11	505.79	379.24	208.07
25.	मैनपुरी	408.14	384.70	289.51	93.30
26.	फरूखाबाद	563.60	531.18	449.12	128.83
27.	इटावा	680.14	659.09	504.66	158.86
28.	कानपुर	790.10	746.07	801.55	180.94
29.	फतेहपुर	706.67	659.56	447.91	160.39
30.	इलाहबाद	1626.22	1520.84	1335.51	634.96
31.	जालौन	453.54	423.19	486.03	102.86
32.	झांसी	422.46	400.96	546.11	97.14

1 2	3	4	5	6
33. ललितपुर	249.91	235.77	277.56	57.18
34. हमीरपुर	684.67	606.32	593.98	149.25
35. बांदा	840.90	753.40	569.54	184.95
36. खीरी	799.36	787.18	734.61	189.08
37. सीतापुर	1076.75	1067.44	490.38	734.25
38. हरदोई	1019.42	1006.41	565.18	566.81
39. उन्नाव	826.83	811.83	777.50	195.15
40. लखनऊ	569.06	564.66	380.47	135.41
41. रायबरेली	932.18	896.83	985.46	216.54
42. बहराइच	818.28	748.53	687.88	182.85
43. गोंडा	916.23	847.05	918.88	206.42
44. बाराबंकी	843.00	830.22	696.62	250.88
45. फैजाबाद	969.88	929.18	490.09	224.61
46. सुल्तानपुर	943.60	879.34	818.86	213.88
47. प्रतापगढ़	759.90	709.81	540.22	281.84
48. बस्ती	899.85	839.14	769.71	204.08
49. गोरखपुर	1606.99	1491.35	491.86	229.63
50. देवरिया	1216.43	1127.56	1042.10	274.56
51. आजमगढ़	1123.05	1069.54	726.94	258.86
52. जौनपुर	949.17	906.29	629.67	407.80
53. बलिया	722.46	640.94	528.81	157.66
54. गाजीपुर	797.45	739.48	669.89	180.04
55. वाराणसी	1167.85	1088.87	1165.34	264.81
56. मिर्जापुर	751.50	699.83	709.66	171.72
57. सोनभद्र	464.02	436.95	654.02	106.03
58. मौनथभंजन	451.79	428.87	284.67	103.88
59. सिद्धार्थ नगर	498.14	464.78	456.24	112.97
60. हरिद्वार	309.04	289.78	295.08	70.36
61. फिरोजाबाद	308.46	289.66	306.87	70.34
62. कानपुर नगर	142.05	134.21	166.79	32.53
63. महाराजगंज	—	—	464.38	133.40
	41364.90	38830.87	35637.61	10968.39 7973.18*

*दस लाख रुओं के लिए जिलावार/रिलीज राज्य सरकार द्वारा किया है।

विवरण—IV

उत्तर प्रदेश को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत जिला एवं वर्ष-वार सहायता

(लाख रुपए में)

राज्य/जिला		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1		2	3	4	5
उत्तर प्रदेश					
1.	मिर्जापुर	83.25	83.248	15.300	7.88
2.	हमीरपुर	41.25	31.799	38.545	20.62
3.	जलौन	24.75	24.751	24.160	12.38
4.	बांदा	68.83	81.249	78.690	40.62
5.	इलाहाबाद	8.25	8.250	8.250	4.12
6.	झांसी	24.75	20.684	24.750	12.38
7.	बहराइच	107.50	99.690	107.050	53.74
8.	ललितपुर	17.50	16.110	16.820	8.75
9.	लखीमपुर खीरी	15.00	7.500	15.580	7.50
10.	सीतापुर	16.55	22.375	22.500	11.24
11.	गोन्डा	30.50	32.251	32.250	16.12
12.	चमोली	34.25	24.249	31.755	17.12
13.	पौड़ी गढ़वाल	78.00	39.000	74.625	39.00
14.	टेहरी गढ़वाल	20.36	22.500	22.500	11.25
15.	अल्मोड़ा	61.75	46.242	61.750	30.88
16.	पिथौरागढ़	38.25	28.094	38.250	19.12
17.	सोनभद्र	58.25	28.094	67.500	33.75
	योग	670.74	587.992	678.225	346.47

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

2259. **श्री परसराम भारद्वाज: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तरिक्ष विभाग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर, इस संबंध में सरकार के आदेशानुसार इन समुदायों के योग्य और उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती के लिए प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन/अन्तरिक्ष विभाग में वैज्ञानिक और तकनीकी पद अनुसंधान तथा विशिष्ट प्रौद्योगिकी और दक्षता वाले कार्यों के संचालन, आयोजन, मार्गदर्शन तथा निर्देशन के लिए अभीष्ट हैं, रु॰ 1640-2900 तथा इससे अधिक वेतनमान वाले वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को आरक्षण आदेशों के अधिकार क्षेत्र से सरकार द्वारा मुक्त रखा गया है। लेकिन, अन्तरिक्ष विभाग/इसरो के प्रशासन क्षेत्र के पदों और सिविल इंजीनियरी प्रभाग के वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों के लिए इस प्रकार की छूट नहीं है। जिन पदों की श्रेणियों पर आरक्षण आदेश लागू होते हैं, यह विभाग इस विषय पर सरकार के आदेशों का पालन करता है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बद्ध योग्य और पात्र व्यक्तियों की भर्ती का पूर्ण प्रयास करता है। निम्न तालिका में 31-12-1991 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध व्यक्तियों की भर्ती की स्थिति दर्शायी गयी है:

(1) कुल कार्मिकों की संख्या	15571
(2) पदों की संख्या, जिन पर आरक्षण आदेश लागू होते हैं	8656
(3) अनुसूचित जाति के कार्मिकों की संख्या	1654
(4) अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों की संख्या	496

[हिन्दी]

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संगठनों को सहायता

2260 . **श्री गया प्रसाद कोरी: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किन-किन संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) इन संगठनों को सहायता देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं; और

(ग) 1990-91 और 1991-92 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किन-किन संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है और इन संगठनों को कितनी सहायता दी गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : (क) से (ग) केन्द्र सरकार देश में के वी आई क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) को ऋणों तथा अनुदानों के जरिए निधि उपलब्ध कराती है। के वी आई सी इसके बदले में विभिन्न के वी आई योजनाओं के वित्तीय सहायता प्रतिमान के आधार पर 30 राज्य/संघ शासित क्षेत्र के वी आई बोर्डों और 1300 से अधिक पंजीकृत संस्थाओं व सहकारी संस्थाओं को निधि उपलब्ध कराता है। कोई कार्यक्रम आरंभ करने के लिए कार्यक्रम के आकार पर बजट चर्चा के समय तथा बोर्डों/संस्थाओं की क्षमता के अनुसार सहमति होती है। निधियों का आवंटन के वी आई सी की स्थायी वित्तीय समिति के अनुमोदन के बाद तथा आवंटित निधि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने के बाद किया जाता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इन बोर्डों को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:—

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

	1990-91	1991-92
1 खादी अनुदान	5952.84	6236.51
2 खादी ऋण	2387.96	1170.51
3 ग्रामोद्योग अनुदान	2078.24	3582.08
4 ग्रामोद्योग ऋण	8770.27	8764.63

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी

2261. **श्री वी० धनंजय कुमार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या सभी राज्यों ने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी हां, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के तीसरा दौर का सर्वेक्षण जनवरी—दिसम्बर, 1989 में आरम्भ किया गया था। जहां तक जवाहर रोजगार योजना का संबंध है, सभी राज्यों में जनवरी, 92 से समवर्ती मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के संबंध में लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या (अनन्तिम)		जवाहर रोजगार योजना सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्षय	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	165680	224161	698.88	728.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	15022	10828	12.47	6.57
3.	असम	45249	32495*	100.94	124.02
4.	बिहार	331578	336972	893.77	836.73
5.	गोवा	3129	2989	10.96	9.56
6.	गुजरात	68227	72326	244.25	254.13
7.	हरियाणा	16326	24756	37.67	36.03
8.	हिमाचल प्रदेश	5845	11813	30.47	34.16
9.	जम्मू व कश्मीर	38863	9230*	95.88	55.13
10.	कर्नाटक	103781	108841	418.36	401.64
11.	केरल	56335	57562	138.98	177.08
12.	मध्य प्रदेश	219698	294810	812.43	945.39
13.	महाराष्ट्र	177472	197967	654.72	771.64
14.	मणिपुर	1310	4914	3.87	5.11
15.	मेघालय	3930	2874	23.07	12.02
16.	मिजोरम	6259	2811	3.71	5.94
17.	नागालैंड	6572	5442	21.71	31.76
18.	उड़ीसा	108539	111712	300.09	348.86
19.	पंजाब	13806	27453	29.42	17.96
20.	राजस्थान	105818	131986	242.64	387.63

*फरवरी, 1992 तक

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	1251	1610	9.58	13.62
22.	तमिलनाडु	148749	161564	521.03	831.74
23.	त्रिपुरा	4635	16343	19.02	20.71
24.	उत्तर प्रदेश	443427	462259	1472.69	1562.14
25.	पश्चिम बंगाल	185332	201476	544.08	477.01
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1564	1502	2.68	2.18
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	312	313	3.51	3.94
29.	दिल्ली	1564	681**	—	—
30.	दमन व दीव	625	482	1.45	0.88
31.	लक्षद्वीप	150	120	2.64	2.11
32.	पांडेचेरी	1251	1343	3.37	5.71
	अखिल भारत	2251519	2519635	7354.35	8109.94

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

2262. **श्री संदीपान भगवान थोरात:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में स्टाक जमा हो जाने के कारण यह बंद होने की स्थिति में है जैसाकि 8 जून, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार को कम्पनी से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने कम्पनी को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी, नहीं।

**दिसम्बर, 1991 तक

(ख) स्टाक की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है:—

संख्या	मूल्य
(1) टायर 9987	3.53 करोड़ रुपये
(2) ट्यूबें 9975	0.20 करोड़ रुपये

उपर्युक्त स्टाक टी०सी०आई०एल० के टायर एकक के एक महीने के उत्पादन के समतुल्य है जो स्टाक धारण का सामान्य स्तर है।

(ग) शून्य। उपयुक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए।

(घ) सरकार ने कंपनी के पुनरूद्धार के लिए कांकीनाडा, टागंड़ा और कल्याणी स्थित इसके तीन एककों की मरम्मत और नवीकरण पर 8.87 करोड़ रुपये व्यय करने के अतिरिक्त इसके कांकीनाड़ा टायर एकक की आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 66.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति पहले ही दे दी है जो कार्यान्वयन की अन्तिम अवस्था में है।

[हिन्दी]

"हार्स शू क्रैब" (एक विशेष प्रकार के केकड़े) का निर्यात

2263. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा ने "हार्स शू क्रैब" के निर्यात की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या इस समुद्री जीव से निकाले जाने वाले तत्व "लीसेट" का प्रयोग हमारे देश में भी होता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) इसका प्रयोग औषधि, खाद्य, डेयरी उत्पादों और क्लिनिक रोग निदान में बैक्टीरिया संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड "भेल" में विदेशी साम्य-पूंजी

2264. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "भेल" की विभिन्न इकाइयां देश के किन-किन स्थानों में हैं;

(ख) क्या इन इकाइयों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों अथवा होल्डिंग कम्पनी बनाने और इन इकाइयों में विदेशी साम्य-पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) "भेल" की विभिन्न इकाइयों की अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार का इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	निर्माणकारी एकक का नाम	अवस्थिति
1.	हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्लांट	भोपाल (मध्य प्रदेश)
2.	ट्रांसफार्मर प्लांट	झांसी (उत्तर प्रदेश)
3.	हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्लांट	हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)
4.	सेन्ट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट	हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)
5.	हाई प्रेसर बायलर प्लांट	त्रिची (तमिलनाडु)
6.	सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट	त्रिची (तमिलनाडु)
7.	बॉयलर एक्सिलरीज प्लांट	रानीपेठ (तमिलनाडु)
8.	हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
9.	इलेक्ट्रोनिक्स डिवीजन	बंगलौर (कर्नाटक)
10.	इलेक्ट्रो पोर्सिलेन डिवीजन	बंगलौर

क्रम सं॰	निर्माणकारी एकक का नाम	अवस्थिति
11.	इण्डस्ट्रियल वाल्व प्लांट	गोइंदवाल (पंजाब)
12.	इन्सूलेटर प्लांट	जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश)
13.	कम्पोनेंट फेब्रीकेशन प्लांट	रुद्रपुर (उत्तर प्रदेश)

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास

2265. **श्री के॰ प्रधानी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विकास और इनके निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने आशा के अनुरूप प्रगति नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का इस संबंध में राज्य को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और महानगर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग के कुल उत्पादन तथा निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:—

कुल (करोड़ रुपये में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
1989	8309	784
1990	9200	930
1991	9725	900

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कुल इलैक्ट्रॉनिक उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:—

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु० में)
1989	38
1990	43
1991	33

उड़ीसा में वर्ष 1991 के दौरान उत्पादन में हुई कमी का मुख्य कारण मैसर्स कोणार्क टेलीविजन लि० नामक राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा यूनीटेल कम्यूनिकेशन लि० के उत्पादन में कमी होना था।

(ङ) और (च) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा में विभिन्न सुविधाएं स्थापित की हैं, जैसे कि इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र (ई टी डी सी), बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ (वी एल एस आई) डिजाइन केन्द्र तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क।

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में संकट

2266. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने यह चेतावनी दी है कि हाल ही के औद्योगिक उदारीकरण उपायों के कारण प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में कई उद्योगों का भविष्य अन्धकारमय है;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी कार्यशक्ति के प्रभावित होने की सम्भावना है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

2267. **श्री कमल चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में सरकारी क्षेत्र के किन्हीं एककों का निजीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे एककों के नाम क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक उद्योग में संकट

2268. **श्री सुबास चन्द्र नायक:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरक उद्योग किन कारणों से संकट का सामना कर रहा है;

(ख) संकट दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) रुग्ण उर्वरक एककों को अर्थक्षम बनाने की कोई विशेष योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) निधियों के अवरोध के कारण, कुछ उर्वरक एककों को राजसहायता के भुगतान में विलम्ब हुआ है जिससे एककों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है।

(ख) उपलब्ध बजटीय आवंटनों के अंतर्गत, राजसहायता की बकाया राशि का यथाशीघ्र भुगतान करने के लिए सतत् प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र में रुग्ण उर्वरक कम्पनियों ने औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अपने मामले औद्यगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को निर्दिष्ट किए हैं।

ब्रिटेन द्वारा ''इसरो'' को निर्यात

2269. **श्री चन्द्रजीत यादव:**
श्री राम विलास पासवान:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन से यह इंगित करते हुए कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि यदि भारत ने रूस के साथ मिसाइल तकनीकी नियंत्रण प्रणाली और रॉकेट सौदे का उल्लंघन किया तो वह ''इसरो'' (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान) को निर्यात करने से इन्कार कर देगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट की कथित विफलता

2270. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल में अन्तरिक्ष में संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट के प्रक्षेपण की विफलता के क्या कारण थे;

(ख) क्या इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई सुधार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट-डी3 (ए०एस०एल०वी०-डी3) की हाल ही में 20 मई 1992 को हुई उड़ान सफल रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन पर प्रतिबन्ध

2271. **श्री मदनलाल खुराना**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के अन्तरिक्ष संगठन ग्लावकोसमोस के साथ हुए क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के सौदे को लेकर अमरीका ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला अमरीका के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो अमरीका की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अमरीका निर्णय के प्रति अपना असंतोष और चिंता सूचित कर दी है।

(ग) जी हां।

(घ) अमरीका सरकार ने कहा है कि प्रतिबंध उसके कानूनों के द्वारा प्रादेशित हैं जिनमें मिसाइल टेक्नोलाजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) के मार्ग निर्देश शामिल हैं और इन में बलिस्टिक मिसाइल और स्पेस लांच विहिकल में प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी के बीच भेद नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कांजिकोडा, केरल का विस्तार

2272. **श्री वी० एस० विजयराघवन**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में पलक्काड जिले में स्थित कांजिकोडा में इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड का विकास अथवा विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) और (ख) इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड कोटा (आई०एल०के०) की अपने पलक्काड एकक के विकास तथा विस्तार के लिये इलैक्ट्रिकल, एक्चुएटर्स, टैक-तल को नापने की प्रणाली, नाभकीय प्रयोग में आने वाले विशेष वाल्वों, डिसुपर हीटर्स, निर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण आदि जैसी विभिन्न निर्माणकारी योजनाएं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्यूटर उद्योग

2273. **श्री सुधीर गिरि:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्प्यूटर उद्योग के विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं;

(ख) उन बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान रुपए के संदर्भ में कम्प्यूटर उद्योग की प्रतिवर्ष विकास दर क्या है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित विकास लक्ष्य क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) कम्प्यूटर उद्योग के विकास की दिशा में मुख्य बाधाएं प्रौद्योगिकी का तेजी से पुराना पड़ जाना और सेमीकण्डक्टर तथा अन्य सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों विशेषकर बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों तथा मेमोरी युक्तियों के विनिर्माण का कमजोर आधार हैं। जहां तक कम्प्यूटरों के क्षेत्र का संबंध है, प्रणाली की लागत में इन युक्तियों का मुख्य अंश होता है। चूंकि इन वस्तुओं को आयात करने की आवश्यकता पड़ती है, अतः भारतीय विनिर्माताओं के पास चयन करने का सीमित विकल्प होता है और उन्हें अनुसंधान तथा विकास के प्रयोजन से तथा बाद में वाणिज्यिक तौर पर उनका उत्पादन करने के लिए कम मात्रा में उनका आयात करना पड़ता है।

(ख) सरकार द्वारा जो मुख्य उपचारात्मक उपाय किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

1. प्रौद्योगिकी का सतत रूप से दर्जा बढ़ाने के लिए डिजाइन तथा ड्राइंग का उदारतापूर्वक आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है ताकि प्रौद्योगिकी के पुराना पड़ जाने की स्थिति का मुकाबला किया जा सके।

2. कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने में भारतीय कम्पनियों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से विदेशी तकनीशियनों/विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के लिए कार्यपद्धति में छूट दी गई है और वस्तुतः सरकार से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी इकाई विदेशी-मुद्रा जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे ही अनुरोध कर सकती है।

3. विनिर्माताओं को विनिर्माण तथा अनुसंधान और विकास के लिए संघटक पुर्जों तथा कच्ची सामग्रियों, जिसमें सेमीकण्डक्टर तथा अन्य सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां शामिल हैं, का आयात करने के लिए और अधिक स्वयत्तता प्रदान की गई है। इस समय कम्प्यूटर प्रणालियों तथा उपान्त उपस्करों के विनिर्माण के लिए आयात-निर्यात नीति (1992—97) की नकारात्मक सूची में कोई संघटक पुर्जे नहीं हैं।

4. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है तथा ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए विनिर्माणकारी संगठनों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है जिनका स्वदेशीकरण करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

(ग) वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान कम्प्यूटर उद्योग का विकास क्रमशः 17.1 प्रतिशत तथा 1.2 प्रतिशत रहा है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों के लिए विकास दर लगभग 20 प्रतिशत तथा उत्पादन का लक्ष्य 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

उड़ीसा में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत विकास

2274. **श्री के० पी० सिंह देव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत विकास को प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में विशेषतः उड़ीसा में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) उड़ीसा के ढेकानाल जिले में विकास केन्द्रों के विकास हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1992-93 में कितनी धनराशि मंजूर करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) सरकार ने उद्योगों के छितराव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जून, 1988 में एक विकास केन्द्र योजना की घोषणा की थी जिसके अन्तर्गत पूरे देश में 70 विकास केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक चुनिंदा विकास केन्द्र के विकास पर 25-30 करोड़ रु० की लागत आयेगी और बिजली, दूरसंचार, पानी तथा बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जायेंगी ताकि ये उद्योगों को आकर्षित कर सकें।

(ख) उड़ीसा को 4 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं जिनमें से 3 पर पहले ही अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। ये जिला गंजम में छत्रपुर, संबलपुर में चिपलिया तथा कटक में चोदवार हैं।

(ग) विकास केन्द्रों का चयन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने एक विकास केन्द्र की स्थापना हेतु ढेकानाल के नाम का प्रस्ताव नहीं किया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सलाहकार निकाय

2275. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए सलाहकार निकायों के रूप में विभिन्न समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इन सलाहकार समितियों की बैठकें बुलाई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में अफ्रीका, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया और लातिन अमरीका तथा कैरेबियाई देशों के लिए सलाहकार पैनल बने हुए हैं। इन पैनलों का अक्तूबर, 1991 में पुनर्गठन किया गया था।

(ग) से (ङ) अक्तूबर, 1991 में इन सलाहकार पैनलों का पुनर्गठन होने के बाद दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया से संबद्ध सलाहकार पैनल की क्रमशः 23 अक्तूबर, 1991 और 4 दिसम्बर, 1991 को बैठकें हुई हैं। अन्य क्षेत्रों के सलाहकार पैनलों की बैठकें शीघ्र ही आयोजित की जाएंगी।

औद्योगिक विवादों के मामले

2276. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश के श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवादों के कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में और श्रम न्यायालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार उनके द्वारा गठित श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों में 31.12.1991 तक 6867 औद्योगिक विवाद के मामले लंबित थे।

(ख) से (घ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य में और अधिक औद्योगिक अधिकरण या श्रम न्यायालय गठित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण कामगारों को सहायता

2277. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण कामगारों की सहायता कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कितने ग्रामीण कामगारों की सहायता की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराने की एक योजना हाल ही में अनुमोदित की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत किस्म के औजारों की सहायता से 1992-93 में एक लाख ग्रामीण कारीगरों को सहायता देने का प्रस्ताव है। यह योजना राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जाने वाली है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए ऋण

2278. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को इसकी विकास परियोजनाओं के लिए ऋण तथा अनुदान आधार पर डेनिश क्रोनर की धनराशि प्राप्त होने की संभावना है और यह धनराशि कब तक प्राप्त हो जाएगी;

(ख) क्या इस उपक्रम को एशियाई विकास बैंक से भी कोई ऋण मिलेगा; और

(ग) यदि हां, तो यह धनराशि कब तक मिल जायेगी और अमेरिकी डालरों में यह राशि कितनी है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) डेनिश सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को सहायता, अंशत: 83.87 मिलियन डेनिश क्रोनर अनुदान के रूप में "डैनिडा" के द्वारा तथा 73 मिलियन डेनिश क्रोनर की अंशत: सहायता वाणिज्यिक ऋण के रूप में डेनिश निर्यात वित्त निगम के द्वारा दी है।

83.87 मिलियन डेनिश क्रोनर की कुल अनुदान राशि में से दी गई वास्तविक राशि 69.39 मिलियन डेनिश क्रोनर है। शेष 14.48 मिलियन डेनिश क्रोनर की धनराशि का भुगतान किस्तों में 1994-95 तक किया जायेगा।

73 मिलियन डेनिश क्रोनर की ऋण राशि में से हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड अभी तक 43.33 मिलियन डेनिश क्रोनर प्राप्त कर चुका है। शेष 29.67 मिलियन डेनिश क्रोनर की राशि इस वित्त वर्ष के अंत तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ख) जी, हां।

(ग) एशियाई विकास बैंक ने 96 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का ऋण देना स्वीकार कर लिया है। इस ऋण के विरुद्ध, लगभग 36 मिलियन अमरीकी डालर के संवितरण हेतु साख-पत्र पहले ही खोल लिए गए हैं। शेष धनराशि का उपयोग ऋण की समाप्ति, अर्थात् 31 दिसम्बर, 1992 से पूर्व किया जाना है।

[अनुवाद]

अतिसंवाहकता पर अनुसंधान

2279. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अतिसंवाहकता पर अनुसंधान इस समय किस स्थिति में है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिसंवाहकता के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के लिए वर्षवार कितना धन आवंटित किया गया और देश में प्रमुख अनुसंधान तथा विकास केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) भारत में अब तक अतिसंवाहकता का क्या व्यावहारिक उपयोग किया गया है और क्या भारत देश में अतिसंवाहकता से संबंधित सभी सामान बनाने की स्थिति में है; और

(घ) अतिसंवाहकता के विकास की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) भारत में राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम 1988-89 में शुरू किया गया था और तब से उच्च तापमान अतिचालकता पर काफी अनुसंधान और विकास कार्य किया जा चुका है। द्रव्य संश्लेषण और अभिलक्षणन के साथ-साथ यंत्र व्यवहार्यता और विकास की दिशा में प्रयास किए गए हैं। उच्च तापमान अतिचालकता सामग्री के संश्लेषण के बारे में भारतीय प्रयास समकालीन हैं।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम के अधीन क्रमशः 14.07 करोड़ रु० 10.86 करोड़ रु० और 7.16 करोड़ रु० के करीब-करीब राशि प्रदान की गई।

जिन मुख्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संगठनों में अतिचालकता पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, वे निम्नलिखित हैं:—

(1) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई
(2) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
(3) टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, बम्बई
(4) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली
(5) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम
(6) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, कारपोरेट अनुसंधान और विकास, हैदराबाद
(7) इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलप्पकम

उपर्युक्त प्रयोगशालाओं/संगठनों के अलावा जिन अन्य प्रमुख संस्थानों में अतिचालकता अनुसंधान कार्य किया जा रहा है वे हैं:— केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक-इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, पूना विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय।

(ग) अभी तक कुछेक प्रयोगशाला किस्म के कम तापमान के विद्युत चुम्बक तैयार किए गए हैं और हाई ग्रेडियंट मेगनेटिक फील्ड और सेपरेटर के प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रयोगों में इस्तेमाल किए गए हैं। इनके अलावा कुछेक अतिचालकता यंत्र जो कि कहीं और तैयार किए गए थे, भारत में आयात किए गए और लगाए गए जैसे स्क्विड पर आधारित यंत्र/औजार, जोसफसन जंक्शन मेगनेटिक रेसोनांस इमेजिंग सिस्टम, जिसमें अतिचालकता इलैक्ट्रोमेगनेट शामिल हैं, का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में नायोवियम-टाइटेनियम तार के निर्माण की सीमित क्षमताएं विद्यमान हैं।

(घ) राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम के अधीन दोनों बुनियादी अनुसंधान और सीमित प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास एवं इंजीनियरी प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाई ग्रेडियंट मेगनेटिक फील्ड और सेपरेटर, सुपर कंडक्टिंग जेनरेटर, सुपर कंडक्टिंग सेंसर और इलैक्ट्रानिक यंत्रों जैसे कुछेक एप्लीकेशन किस्म के प्रोजेक्टों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अतिचालकता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा इंजीनियरी कार्यकलापों के लिए सरकारी सहायता जारी रखने का विचार है।

अन्तरिक्ष आयोग

2280. **श्री एन० डेनिस:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष आयोग के एककों की संख्या और नाम क्या हैं तथा इनके कार्य क्या हैं और ये भारत में किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इन्हें दी गई धनराशि का एकक-वार और केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष विज्ञान के विकास तथा उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उपलब्ध करायी गई सुविधाएं किस हद तक सहायक हुई हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष आयोग के 13 केन्द्र/यूनिटें निम्नानुसार हैं:

1. **विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम (केरल)—वलियामाला, वटियूरकाव तथा अलवाई में विस्तार केन्द्र सहित**

   राकेट तथा प्रमोचक यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, संविरचन, जांच और विकास तथा प्रचालनात्मक प्रमोचक यानों की उपलब्धि के लिए एक मुख्य केन्द्र।

2. **शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा (आन्ध्र प्रदेश)—बालासोर (उड़ीसा) में राकेट प्रमोचन सुविधा सहित**

   यह केन्द्र उपग्रह प्रमोचक राकेटों तथा बड़े परिज्ञापी राकेटों के लिए जांच-पड़ताल तथा प्रमोचन सेवाएं प्रदान करता है।

3. **इसरो उपग्रह केन्द्र (आइजेक), बेंगलूर (कर्नाटक)**

   यह सभी उपग्रहों के डिजाइन, विकास, संविरचन और जांच तथा प्रचालनात्मक उपग्रहों की प्राप्ति के लिए एक अग्रणी केन्द्र है।

4. **अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (सेक), अहमदाबाद (गुजरात)—दिल्ली भू-केन्द्र सहित**

यह केन्द्र संचार, भू-संसाधनों के सुदूर संवेदन, मौसमविज्ञान तथा उपग्रह भू-गणित के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य तथा व्यावहारिक उपयोगों के प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है।

5. **द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल॰पी॰एस॰सी॰), वलियामाला (केरल), महेन्द्रगिरि (तमिलनाडु), बेंगलूर (कर्नाटक)**

प्रमोचक यानों तथा उपग्रहों के लिए द्रव नोदन प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास और आपूर्ति के लिए।

6. **इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट (आई॰आई॰एस॰यू॰), तिरुवनन्तपुरम (केरल)**

उपग्रहों और प्रमोचक यानों के लिए जड़त्वीय उपस्करों तथा प्रणालियों के विकास के लिए।

7. **इसरो दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क (इस्ट्रैक), बेंगलूर (कर्नाटक)—लखनऊ (उ॰प्र॰),शार (आ॰प्र॰), तिरुवनन्तपुरम (केरल) और कार निकोबार (अंडेमान तथा निकोबार) में टी॰टी॰सी॰ केन्द्रों सहित**

प्रमोचक यान और उपग्रह मिशनों के लिए अनुवर्तन, दूरमिति और आदेश (टी॰टी॰सी॰) सहायता प्रदान करने के लिए।

8. **प्रधान नियंत्रण-सुविधा (एम॰सी॰एफ॰), हसन (कर्नाटक)**

कक्षा में भू-तुल्यकाली उपग्रहों के नियंत्रण तथा प्रचालन और इन्सैट प्रणाली के संचालन के लिए।

9. **विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट (डेकू), अहमदाबाद (गुजरात)**

अन्तरिक्ष उपयोग कार्यक्रमों और सामाजार्थिक मूल्यांकन में अनुसंधान के लिए।

10. **राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन॰एन॰आर॰एम॰एस॰)—प्रादेशिक सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र (आर॰आर॰एस॰एस॰सी॰) बेंगलूर (कर्नाटक), देहरादून (उ॰प्र॰), जोधपुर (राजस्थान), नागपुर (महाराष्ट्र) और खड़गपुर (पश्चिमी बंगाल)**

अन्तरिक्ष—आधारित प्रणालियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली के समाकलन के लिए तथा प्रादेशिक सुदूर संवेदन सेवा केन्द्रों के ग्रुप के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है।

11. **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन॰आर॰एस॰ए॰), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)**

उपग्रहों से आंकड़ों के अभिग्रहण तथा सुदूर संवेदन आंकड़ों के विस्तृत प्रोसेसिंग और प्रयोक्ताओं को इनके वितरण के लिए।

12. **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी॰आर॰एल॰),अहमदाबाद (गुजरात)**

अन्तरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान कार्य के लिए उत्तरदायी है।

13. **केन्द्रीय प्रबन्ध, बेंगलूर (कर्नाटक)—बम्बई और दिल्ली स्थित कार्यालयों सहित**

अन्तरिक्ष कार्यक्रम के सम्पूर्ण प्रबन्ध तथा केन्द्रों/यूनिटों के मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए उत्तरदायी है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्र-वार और यूनिट-वार प्रदत्त निधि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

1.	विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र	123.75
2.	शार केन्द्र	32.45
3.	इसरो उपग्रह केन्द्र	123.79
4.	अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र	49.86
5.	द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र	114.78
6.	इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट	3.92
7.	इस्ट्रैक	9.85
8.	एम०सी०एफ०	5.72
9.	विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट	2.83
10.	एन०एन०आर०एम०एस०	5.36
11.	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी	11.52
12.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला	8.92
13.	केन्द्रीय प्रबन्ध तथा अन्य योजनाएं	17.27
	जोड़	510.02

(ग) राष्ट्र के तीव्र सामाजार्थिक लाभ के अर्जन में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा अन्तरिक्ष विज्ञान एक महत्वपूर्ण तथा अविभाज्य भूमिका अदा कर रहे हैं। संचार, प्रसारण, मौसमविज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के प्रबन्ध, सूखा और आपदा प्रबन्ध जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्तरिक्ष कार्यक्रम में प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष लाभ आज राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं तथा इस देश में मानवीय प्रयास के प्रत्येक पहलू से संबद्ध हैं। जुलाई 10, 1992 को इन्सैन्ट-2ए के सफल प्रमोचन से राष्ट्र इन सुविधाओं और राष्ट्रीय सेवाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार की ओर अग्रसर है। अगस्त 29, 1991 को आई०आर०एस०-1बी उपग्रह के सफल प्रमोचन तथा आई०आर०एस०-1ए, जिसने पहले ही अपनी तीन वर्षीय निर्धारित कालावधि पूरी कर ली है और अभी भी कार्य कर रहा है, के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास तथा समग्र विकास की दिशा में आधुनिक प्रौद्योगिकियों का संवर्धित उपयोग भी वार्षिक रूप से संभव हो गया है। इन्सैट प्रणाली और आई०आर०एस० प्रणाली संयुक्त रूप से राष्ट्र को निम्न सुविधाएं/सेवाएं प्रदान कर रही हैं:

इन्सैट प्रणाली: 1983 में स्थापित यह प्रणाली घरेलू लम्बी दूरी के दूरसंचार, राष्ट्र-व्यापी दूरदर्शन तथा रेडियो प्रसारण, मोसमविज्ञानीय पर्यवेक्षण, आंकड़ा रिले तथा खतरे की चेतावनी और आपदा सतर्कता सेवाओं की जरूरतों को पूरा कर रही है। इसने वस्तुतः देश में एक संचार क्रान्ति की शुरूआत की है जिससे देश के दूरवर्ती भाग और तटीय द्वीप भी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। इन्सैट-1 प्रणाली 70,000 कि०मी० मार्ग के स्थलीय संचार सम्पर्कों की तुलना में 1,20,000 कि० मी० मार्ग की संचार सुविधाएं प्रदान करते हुए 141 रूटों को आवृत्त करते हुए 5000 से अधिक दिवमार्गी वाक-परिपथ का संचालन कर रही है। इन्सैट द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण कुछ विशेष सेवाओं में केएिव उपग्रह आधारित नेटवर्क, सुदूर क्षेत्र व्यावसायिक संदेश नेटवर्क, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (निक्नेट) और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपग्रह आधारित ग्रामीण

टेलिग्राफी नेटवर्क शामिल हैं। इन्सैट ने एक अद्वितीय और उपस्थिति निरपेक्ष स्थानिक विशिष्ट आपदा चेतावनी प्रणाली का क्रियान्वयन संभव बनाया है और यह प्रणाली आसन्न चक्रवात के बारे में तटीय गांवों को चेतावनी देने के लिए देश के चुने हुए चक्रवात ग्रस्त पूर्वी तट के क्षेत्रों में सौ स्थानों पर पहले से ही प्रचालन में है। इस प्रणाली की प्रभावोत्पादकता आंध्र प्रदेश तट पर गई। 1990 में आए चक्रवात के दौरान सिद्ध की जा चुकी है, जिससे सरकार 1,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा पायी। इन्सैट ने देश में 529 टी०वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना संभव बनायी है। अत्यन्त दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को दूरदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए अब 35,000 सीधे अभिग्राही सैट भी प्रचालन में हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसाम राज्यों में इन्सैट प्रणाली के प्रयोग से प्रादेशिक भाषा की सेवाएं भी चालू की गई हैं। इसका अन्य राज्यों में आगे विस्तार किया जा रहा है। इन्सैट के माध्यम से लगभग 4000 स्कूलों और कॉलेजों के लिए शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण कार्य भी चल रहा है। इन्सैट का प्रयोग अध्यापकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए भी किया जा रहा है। पुनःप्रसारण सुविधाओं को संभव बनाने के लिए आकाशवाणी के विद्यमान सभी 127 केन्द्र इन्सैट के माध्यम से रेडियो नेटवर्क के रूप में जुड़े हुए हैं।

आई०आर०एस० प्रणाली: मार्च 1988 में स्वदेशी रूप में निर्मित आई०आर०एस०ए० के प्रमोचन से संचालन में आई। परिष्कृत सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी ने कृषि, मृदा सम्पदा, खनिज सम्पदा, वन और पर्यावरण, भूमि-उपयोग, महासागर तथा समुद्री संसाधन जैसे महत्वपूर्ण और ग्रामीण क्षेत्रों में इस आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को संभव बनाया है। देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन०एन०आर०एम०एस०), जिसके लिए अन्तरिक्ष विभाग एक नोडल एजेन्सी है, को स्थापित किया गया है, जो उपयोग के विविध क्षेत्रों को आवृत्त करती है जैसे फसल का एकड़वार क्षेत्रफल और पैदावार का आंकलन, सूखा चेतावनी तथा आंकलन, बाढ़ नियंत्रण, तथा क्षति का आंकलन, कृषि जलवायवी आयोजना के लिए भूमि उपयोग/भूमि आवरण, परती भूमि प्रबन्ध, जल संसाधन प्रबन्ध जैसे पेयजल मिशन के लिए भूमिगत जल की खोज, हिम गलन वाह की प्रागुक्ति, जल विभाजक तथा कमाण्ड क्षेत्रों का प्रबन्ध, महासागर तथा समुद्री संसाधन सर्वेक्षण और प्रबन्ध, अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग विकास, शहरी विकास, खनिज का पूर्वानुमान, वन संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबन्ध इत्यादि, इस प्रकार इसने राष्ट्रीय विकास के लगभग सभी क्षेत्रों को आवृत्त किया है। केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों के प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों की सक्रिय भागीदारी ने इस सशक्त प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया है। लगभग प्रत्येक राज्य में सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं, तथा इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रयोक्ताओं को सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही प्रमुख उपयोग परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं:

— कृषि की बढ़ी हुई पैदावार के लिए कृषि जलवायवी जोनल आयोजना के लिए भूमि-उपयोग/भू-आवरण मानचित्रण।

— बाढ़ मानचित्रण तथा क्षति का आंकलन।

— प्रमुख फसलों (गेंहू, चावल, ज्वार, कपास) का एकड़वार पैदावार का आंकलन।

— दो वर्षों में एक बार राष्ट्रीय स्तर पर वन क्षेत्र का मानचित्रण।

— सम्पूर्ण तट क्षेत्र के लिए साप्ताहिक आधार पर मत्स्य भंडार के संभावित क्षेत्र का अभिनिर्धारण।

— सम्पूर्ण देश के लिए भूमि जल के संभावित क्षेत्र का मानचित्रण।

— परती भूमि के विकास में सहायता के लिए परती भूमि का मानचित्रण।

— सूखा-ग्रस्त जिलों का कृषि विषयक सूखा आकलन।

— जल विभाजक प्राथमिकीकरण तथा प्रमुख नदी घाटियों में जल प्रबन्ध।

— सतलुज और ब्यास नदियों के लिए हिम गलन वाह का प्राक्कलन।

— पर्वतीय क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों संहित 147 जिलों के लिए एकीकृत सर्वेक्षण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालीन विकास।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, विशेष रूप में निरक्षरता उन्मूलन, उन्नत कृषि पद्धतियों, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर बेहतर जागरूकता, परिवार नियोजन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के क्षेत्रों में सहायता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इन सामाजार्थिक क्षेत्रों में तीव्र और प्रभावी परिणामों को प्राप्त करने के लिए अन्तरिक्ष आधारित सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाया जा रहा है।

योजनाओं की छंटाई

2281. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से अलाभकारी योजनाओं तथा परियोजनाओं की छंटनी करने तथा कमोवेश उसी प्रमुखता तथा लक्ष्य के साथ योजनाओं के समेकन तथा समन्वयन द्वारा योजना व्यय को युक्तिसंगत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान छंटाई की गई तथा लागू न की जा रही योनजाओं तथा परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई योनजाओं में समेकित की गई योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा 1992-93 के दौरान शुरू की गई तदनुरूपी नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिन योजनाओं की छंटाई की जानी है और जिन्हें समेकित किया जाना है, उन का अभी पता लगाना है।

अतिरिक्त भूमि का वितरण

2282. **श्री भोगेन्द्र झा:**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर:
श्री लाल बाबू राय:
श्री चन्द्रजीत यादव:
श्री मोहन सिंह (देवरिया):

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर 1991 तक और जनवरी 1992 से अब तक, वर्ष-वार व राज्यवार कितनी अतिरिक्त भूमि का पता लगाया गया, अधिग्रहण किया गया तथा वितरण किया गया;

(ख) वस्तुतः राज्य-वार कितने प्रतिशत भूमि लाभ प्राप्तकर्ताओं के कब्जे में है तथा लाभ प्राप्तकर्ताओं को शेष भूमि का कब्जा देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) अभी राज्य-वार, कितना भूमि-क्षेत्र वितरित किया जाना बाकी है तथा इसमें से कितने भूमि-क्षेत्र के बारे में मुकदमा चल रहा है और कितना भूमि-क्षेत्र भू-मालिकों के कब्जे में है; और

(घ) देश में भूमि सुधार को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) संलग्न विवरण 1, 2 और 3 में दिए गए हैं।

(ख) लाभार्थियों के वास्तविक कब्जे में वितरित भूमि के ब्यौरे की निगरानी केरीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है। तथापि, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा 1988—91 के दौरान किए गए आनुभाविक अध्ययन के निष्कर्ष अनुबंध-4 में दिए गए हैं। अध्ययन में ऐसी भूमि का कब्जा सौंपने में हुए विलम्ब के कई कारणों जैसे प्रशासनिक विलम्ब, मकुदमेबाजी, आबंटितियों के पलायन, भूमि की अस्वीकृति, निहित स्वार्थों और वास्तविक भू-स्वामियों आदि द्वारा किए गए विरोध का उल्लेख किया गया है।

(ग) वितरित किए जाने वाले और मुकदमेबाजी में फंसे क्षेत्र के राज्यवार विवरण अनुबंध-5 में दिए गए हैं। राज्यों में भूस्वामियों के कब्जे में जो भूमि है, उसके संबंध में ब्यौरे केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) भूमि राज्य का विषय होने के कारण केन्द्रीय सरकार की भूमिका केवल परामर्शदात्री और समन्वयकारी है। राज्यों को समय-समय पर मुख्य मंत्रियों तथा राजस्व मंत्रियों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर भूमि सुधार की तेजी से कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय करने की सलाह दी गई है।

विभिन्न भूमि सुधार उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 20 मिलियन कृषकों को बिचौलिया काश्तकारी का उन्मूलन करके राज्य के सीधे सम्पर्क में लाया गया था। 110.40 लाख कृषकों को 247.06 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर सुरक्षित काश्तकारी के अधिकार दिए गए थे। अधिकतम सीमा से फालतू 72.62 लाख एकड़ भुमि में से 49.56 लाख एकड़ भूमि 47.25 लाख लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है। 1493.74 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी की गई थी। 21 जिलों में प्रायोगिक आधार पर भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। कार्यक्रम प्रगति पर है।

विवरण-I

फालतू घोषित क्षेत्र (कुल) (क्षेत्र एकड़ में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	छठी योजना 1984-85 के अंत तक	मार्च 1986	मार्च 1987	मार्च 1988	मार्च 1989	मार्च 1990	मार्च 1991	दिसम्बर 1991	मार्च 1992
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1039842	540021	792323	763870	734795	707718	701494	729394	729394
2.	असम	565297	587752	693473	604172	605628	605368	610369	610370	610370
3.	बिहार	296887	325543	457146	453377	474621	474621	474621	474621	474621
4.	गुजरात	228094	232947	239977	245542	248430	247625	252240	251528	251528
5.	हरियाणा	157638	126994	383432	119257	121303	120311	121366	121409	121409
6.	हिमाचल प्रदेश	283994	284053	284046	284053	289053	284053	284053	284053	284053
7.	जम्मू व कश्मीर	456000	456000	456000	456000	456000	456000	456000	456000	456000
8.	कर्नाटक	296355	297750	295950	293076	284732	292118	276762	275298	270665
9.	केरल	121385	122837	126241	127210	130010	127189	132616	133354	135887
10.	मध्य प्रदेश	301391	302648	298090	298919	314120	306616	296889	294570	292277
11.	महाराष्ट्र	702030	687965	708705	708705	704329	704329	704329	704329	704329
12.	मणिपुर	1029	1652	1652	1705	1705	1705	1705	1830	1830
13.	उड़ीसा	162390	167264	183504	174019	174187	174611	173760	173926	172391
14.	पंजाब	148189	140745	295706	141276	138742	138435	139306	138090	138090
15.	राजस्थान	588719	606900	611739	613192	617599	615708	619120	618712	618712
16.	तमिलनाडु	162631	164737	166757	169576	172293	169939	176669	179767	179767
17.	त्रिपुरा	2011	2011	2012	2012	1995	2010	1995	1995	1955
18.	उत्तर प्रदेश	500267	503004	508084	510115	523137	519788	529264	531755	536723
19.	पश्चिम बंगाल	2180157	1189039	1239887	1255710	1259119	1255710	1261091	1262777	1269125
20.	दादर व नगर हवेली	8958	8958	8958	9897	8953	8953	8953	8953	8953
21.	दिल्ली	1009	1151	1153	1153	1153	1153	1153	1153	1132
22.	पांडेचेरी	2560	2300	2533	2353	2270	2270	2194	2194	2355
	कुल	8206833	6752271	7757183	7235189	7259174	7216230	7225949	7256078	7261606

विवरण-II

कब्जे में लिया गया क्षेत्र (कुल) (क्षेत्र एकड़ में)

क्र॰ सं॰	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	छठी योजना 1984-85 के अंत तक	मार्च 1986	मार्च 1987	मार्च 1988	मार्च 1989	मार्च, 1990	मार्च, 1991	दिसम्बर, 1991	मार्च, 1992
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	470984	479903	482862	498482	506430	526722	533406	548508	548508
2.	असम	490814	487204	527023	527023	528658	528658	545162	547034	549364
3.	बिहार	194037	219296	334371	353071	366056	375456	387552	392013	395650
4.	गुजरात	131511	137642	145184	146112	149306	152312	154578	154821	154821
5.	हरियाणा	149677	109669	110482	110786	111845	113448	113258	113301	115935
6.	हिमाचल प्रदेश	281403	281462	281454	281462	281462	281462	281462	281462	281462
7.	जम्मू और कश्मीर	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000
8.	कर्नाटक	152317	151623	152891	154222	156427	156841	156002	155995	155674
9.	केरल	87189	88438	88881	90284	91707	92337	92763	92965	93051
10.	मध्य प्रदेश	204507	206022	208362	209174	232727	256332	254984	256279	256225
11.	महाराष्ट्र	561111	583171	607484	607484	624140	624140	624140	624140	624140
12.	मणिपुर	424	1338	1632	1685	1685	1685	1685	1685	1685
13.	उड़ीसा	140624	148467	155404	156628	158000	158911	159073	160834	161404
14.	पंजाब	102003	102151	103440	103012	103617	103706	104210	104579	104603
15.	राजस्थान	549176	541451	542517	544061	545087	546177	546432	550258	550258
16.	तमिल नाडु	153266	155372	157392	160237	160574	166169	171114	171114	171114
17.	त्रिपुरा	1910	1910	1929	1929	1947	1946	1947	1944	1944
18.	उत्तर प्रदेश	473526	478588	482989	484651	491853	495595	498311	502150	505775
19.	पश्चिम बंगाल	1083786	1095505	1109585	1111665	1111665	1142915	1143222	1143222	1200874
20.	दादर व नगर हवेली	6776	6776	7524	7147	7524	7623	7934	7934	7934
21.	दिल्ली	574	1139	1141	1141	1141	1141	1141	1141	394
22.	पांडिचेरी	1161	1441	1195	1195	1162	1162	1192	1192	1207
	योग:	5686776	5758152	5953742	-6001451	6083013	6184738	6279568	6262571	6332022

विवरण-III

वितरित क्षेत्र (कुल) (एकड़ में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	छठी योजना 1984-85 के अंत तक	मार्च 86	मार्च 87	मार्च 88	मार्च 89	मार्च 90	मार्च 91	दिसम्बर 91	मार्च 1992
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	342035	359397	362180	376782	385308	412768	418952	463275	504148
2.	असम	338032	377784	389164	389164	393662	400252	428228	432141	456552
3.	बिहार	180146	203657	217739	231543	248410	253636	266736	268149	274322
4.	गुजरात	95032	99371	107667	107723	139634	107925	125463	126861	132358
5.	हरियाणा	134366	[illegible]	110311	110556	111263	112884	[illegible]	113047	113124
6.	हिमाचल प्रदेश	3335	3335	3340	3340	3340	3340	3340	3340	3340
7.	जम्मू व कश्मीर	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000
8.	कर्नाटक	115661	114665	114695	105395	114191	114177	114277	113973	114657
9.	केरल	58443	60292	59383	62229	61463	62207	62601	62941	63509
10.	मध्य प्रदेश	134999	137309	136064	136839	152723	168874	172428	176200	181565
11.	महाराष्ट्र	561121	482764	508501	508501	534645	524645	524645	534645	525907
12.	मणिपुर	424	1309	1632	1685	1685	1685	1685	1682	1682
13.	उड़ीसा	127117	137156	144270	145092	144915	146087	146056	146100	148061
14.	पंजाब	99247	100025	99619	100265	100687	101226	101355	101838	101862
15.	राजस्थान	386110	386924	395662	396782	412513	420316	432445	433738	438786
16.	तमिलनाडु	132137	122156	124275	126790	127272	135897	139620	143537	145972
17.	त्रिपुरा	1500	1509	1521	1521	1596	1598	1598	1599	1599
18.	उत्तर प्रदेश	440108	340120	344052	347474	352631	355605	358206	361527	363167
19.	पश्चिम बंगाल	794563	812054	833191	836022	836022	869198	899184	913389	928512
20.	दादर और नगर हवेली	3944	4409	4952	5310	5468	5667	5862	5862	5862
21.	दिल्ली	569	74	312	312	312	312	312	312	394
22.	पांडिचेरी	942	910	935	956	957	960	1018	1021	1022
	योग:	4449831	4304391	4409465	4444481	4568697	4649263	4767058	4845177	4956396

विवरण-IV

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	व्यक्तियों का प्रतिशत जिनके पास वास्तविक कब्जा है
1.	आन्ध्र प्रदेश	87.64
2.	असम	61.44
3.	बिहार	95.21
4.	गुजरात	95.89
5.	हरियाणा	69.23
6.	हिमाचल रदेश	क
7.	जम्मू व कश्मीर	100.00
8.	कर्नाटक	98.35
9.	केरल	99.83
10.	मध्य प्रदेश	92.68
11.	महाराष्ट्र	96.24
12.	मणीपुर	क
13.	उड़ीसा	96.97
14.	पंजाब	62.50
15.	राजस्थान	32.79
16.	तमिलनाडु	87.78
17.	त्रिपुरा	83.78
18.	उत्तर प्रदेश	95.33
19.	पश्चिम बंगाल	96.82
20.	दादर व नगर हवेली	क
21.	दिल्ली	क
22.	पांडिचेरी	क
	कुल:	90.30

* स्रोत: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा आयोजित भारत में भूमि सुधारों का आनुभाविक अध्ययन (1988-91)
क : अध्ययन में शामिल नहीं है।

विवरण-V

(क्षेत्र एकड़ में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च 1992 तक मुकदमेबाजी के तहत क्षेत्र	31.32 को वितरण के लिए उपलब्ध वास्तविक क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	1148546	शून्य
2.	असम	85680	शून्य
3.	बिहार	111224	46520
4.	गुजरात	97124	10635
5.	हरियाणा	5474	2631
6.	हिमाचल प्रदेश	2591	125396*
7.	जम्मू और कश्मीर	0	6000
8.	कर्नाटक	141808	70
9.	केरल	26286	2235
10.	मध्य प्रदेश	54410	4241
11.	महाराष्ट्र	42284	70
12.	मणिपुर	54	3
13.	उड़ीसा	14680	1281
14.	पंजाब	36077	151
15.	राजस्थान	100756	शून्य
16.	तमिलनाडु	23819	शून्य
17.	त्रिपुरा	59	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	52754	389
19.	पश्चिम बंगाल	176499	7994
20.	दादर व नगर हवेली	1019	215
21.	दिल्ली	184	64
22.	पांडिचेरी	1204	0
	योग:	1088842	207904

*बर्फ से ढके दुर्गम क्षेत्रों में स्थित।

भूटान नरेश के वायसराय की हैदराबाद यात्रा

2283. **श्री गुरुदास कामत: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भूटान नरेश के वायसराय की हाल ही की हैदराबाद यात्रा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनन्दन लाल भाटिया): (क) जी नहीं। भूटान नरेश का कोई वायसराय नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड में अवास्तविक कर्मचारी

2284. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2 मई, 1992 के "दि इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने कोल इंडिया लि० में 79000 अवास्तविक कर्मचारियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल इंडिया लि० इन अवास्तविक कर्मचारियों पर प्रति वर्ष भारी धनराशि व्यय कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) इसमें अवास्तविक कर्मचारियों को प्रयुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का कोल इंडिया लि० में व्यर्थ के व्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड): (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्यों में रोजगार

2285. **श्री राम लखन सिंह यादव:**

श्री श्रीकांत जेना:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने विभिन्न राज्यों में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना से राज्य-वार कितने बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) से (ग) जहां तक के०वी०आई०सी० का सम्बन्ध है, इसके कार्यकलापों में मुख्यतः कम पूंजी लागत से विभिन्न उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रियाओं में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां तक सम्भव हो सके, उनके स्थान में, बेरोजगार और अल्प-बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है। के०वी०आई०सी० की नीति हमेशा उद्योगों में उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न कार्यकलापों को अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय सहायता, कच्चा

माल, विपणन सहायता, प्रशिक्षण तथा तकनीकी सुविधाएं जैसी उपयुक्त सेवा सुविधाओं के प्रावधान से वृद्धि करने की रही है और जारी रहेगी। के०वी०आई०सी० ने देश में 1990-91 के दौरान 48.57 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया। देश में 1992-93 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त रोजगार का अनुमानित स्तर 1.35 लाख होगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में वनस्पति संयंत्र की स्थापना

2286. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में वनस्पति संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उस संयंत्र की प्रस्तावित संस्थापित क्षमता क्या है; और

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तौल एवं माप

2287. **श्री तेज नारायण सिंह:**
श्री राजेश कुमार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्धारित समय के बिना कम माप तौल की गम्भीर समस्या से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े आसानी से और शीघ्र उपलब्ध नहीं होते हैं;

(ख) क्या उपभोक्ता अनुसंधान और शिक्षण संस्थान ने इस बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का उपभोक्ताओं के हित में इस योजना के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी प्रदान करने की कोई योजना है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) कम माप तथा तोल की गम्भीर समस्या को देखते हुए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बाट तथा माप नियंत्रक के तहत एक पूर्ण प्रवर्तन तंत्र मौजूद है। कारगर नियंत्रण रखने के लिए प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों की परिवीक्षा करने तथा आवधिक रिपोर्टें भेजने की एक प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है।

(ख) मंत्रालय को किसी संस्था द्वारा कोई अध्ययन किए जाने की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसी विशेष रूप से कोई योजना नहीं है। तथापि, राज्य के बाट तथा माप संगठन द्वारा जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की समय-समय पर सहायता ली जाती है।

बाट तथा माप, मानक अधिनियम, 1976 तथा बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 में वर्ष 1986 में संशोधन किया गया है, ताकि न्यायालय किसी भी पीड़ित उपभोक्ता अथवा मान्यता प्राप्त

उपभोक्ता संगठन से लिखित शिकायतें प्राप्त होने पर इन अधिनियमों के तहत दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कर सकें।

[अनुवाद]

विशेष त्रिपक्षीय समिति की बैठकें

2288. **श्री वसुदेव आचार्य:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष त्रिपक्षीय समिति के द्वारा सम्मिलित किये गये एककों का ब्यौरा और किस्म क्या है;

(ख) विशेष त्रिपक्षीय समिति द्वारा अब तक कितनी बैठकें की गई हैं और इसमें किस प्रकार के औद्योगिक एककों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या "पटसन क्षेत्र" पर हुई त्रिपक्षीय समिति की बैठक में सी॰आई॰टी॰यू॰ का केवल एक प्रतिनिधित्व रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) नई औद्योगिक नीति के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित की गयी थी। समिति की अब तक दो बैठकें हुई हैं। समिति द्वारा किए गए निर्णयानुसार सूती कपड़ा, जूट, रसायन और उर्वरक, भारी इंजीनियरिंग, विद्युत उत्पादन और वितरण, और सड़क परिवहन के क्षेत्र में छः औद्योगिक समितियों को सक्रिय बनाया गया है जिसका उद्देश्य इन उद्योगों की इकाइयों की रुग्णता की समीक्षा करना और समुचित उपचारों का सुझाव देना है। अब तक कपड़ा, जूट और रसायन और उर्वरक संबंधी औद्योगिक समितियों की एक-एक बैठक हुई है।

(ग) से (ङ) विभिन्न औद्योगिक समितियों में केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों को प्रतिनिधित्व यथानुपात में उस उद्योग विशेष में प्रत्येक केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठन की उपलब्ध सत्यापित सदस्यता के आधार पर दिया जाता है। तथापि, उन औद्योगिक समितियों में जहां पहले इनका प्रतिनिधित्व नहीं था, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेन्टर आफ इण्डिया ट्रेड यूनियन्स प्रत्येक को तदर्थ आधार पर एक-एक सीट आवंटित करने का निर्णय किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के बड़े/मझौले/लघु एकक

2289. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय महाराष्ट्र में बन्द पड़े बड़े, मझौले और लघु उद्योगों के नाम क्या-क्या हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा इन उद्योगों में किये गये पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औदयोगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सितम्बर, 1990 के अन्त में महाराष्ट्र राज्य में लघु क्षेत्र में 19,873 और गैर लघु क्षेत्र में 312 रुग्ण औद्योगिक एकक थे। सितम्बर, 1990 के अन्त में महाराष्ट्र राज्य में गैर लघु क्षेत्र में 189 रुग्ण/कमजोर एककों के बन्द होने के बारे में बताया गया है जिन पर 385.75 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था। लघु क्षेत्र के संबंध में ऐसी सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है। कानूनी बैंकिंग प्रावधानों और पद्धतियों को देखते हुए बंद एककों के नाम और स्थापना स्थलों के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बताये जाते हैं।

(ग) रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन के लिए किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय अनुबंध में दिये गये हैं।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मानदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिये एक पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया।

(6) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, की 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(7) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमान्त धनराशि योजना भी चला रहा है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000/- रुपये तक की जाती है।

(8) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय

लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। जीव्यक्षम रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

केरल में खादी और ग्रामोद्योग

2290. **श्री थाइल जॉन अंजलोज:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में खादी और ग्रामोद्योग के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार केरल सहित सभी राज्यों में अपने कार्य-क्षेत्र के अधीन खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योगों को वित्तीय सहायता दे रही है। के०वी०आई०सी० केरल राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, के०वी०आई०सी०/के०वी०आई०बी० के अधीन पंजीकृत संस्थाओं और के०वी०आई०बी० के अधीन सहकारी समितियों के माध्यम से के०वी०आई० कार्यक्रमों के विकास में सक्रिय रूप से संलग्न है। 1991-92 के दौरान के०वी०आई०सी० ने केरल में खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नीचे दर्शाई गई राशि का वितरण किया।

(रु० लाख में)

	अनुदान	ऋण	योग
खादी	104.91	62.79	167.70
ग्रामोद्योग	77.02	406.14	483.16
योग	181.93	468.93	650.86

[हिन्दी]

उड़ीसा में ग्रामीण विकास के लिए धन

2291. **श्री मृत्युन्जय नायक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1992 के दौरान उड़ीसा में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान आवंटित समूची धनराशि का उपयोग किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) 1992-93 के दौरान उड़ीसा में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित कुल धनराशि निम्न प्रकार है:—

	प्रमुख कार्यक्रम	प्रस्तावित आवंटन (लाख रुपये में) 1992-93	टिप्पणी
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)	1599.00	
2.	ग्रामीण युवास्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)	76.96	
3.	जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०)	12,771.76*	राज्य का अंश शामिल है।
4.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	1506.00	
5.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)	696.31	

(ख) (1) स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्ष 1992-93 के लिये प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये उड़ीसा राज्य को आवंटित केन्द्रीय सहायता नीचे दर्शाई गई है:—

	(लाख रुपये में)
1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	289.66
2. राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम	145.00
3. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	33.00
4. राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	65.45

(2) शिक्षा क्षेत्र के लिये प्रस्तावित आवंटन अभी तय किया जाना है।

(ग) प्रायः उपर्युक्त सभी प्रमुख कार्यक्रमों के लिये उड़ीसा सरकार को आवंटित समूची राशि को 1991-92 में इस्तेमाल कर लिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों के लिए मशीनरी का आयात

2292. **डा० सुधीर राय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड को सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों को और मशीनरी की सप्लाई करने की दृष्टि से शुरू किया गया था;

(ख) क्या ये संयंत्र मशीनरी की सप्लाई के लिए "भेल" से सहयोग करने के बजाए विदेशी फर्मों को क्रयादेश दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं कि ये इस्पात संयंत्र हैवी मशीनरी के लिए अपने क्रयादेश "भेल" को दें?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन): (क) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की स्थापना मुख्य रूप से देश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। कम्पनी ने अन्य व्यापार क्षेत्रों में विविधकरण भी किया है, और विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिये उपकरण और प्रणालियां सप्लाई कर रही है।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विभिन्न प्रस्तावों के तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन तथा कीमत मूल्यांकन के पश्चात क्रयादेश दे रहे हैं।

(घ) इस्पात-संयंत्रों से और अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिये "भेल" निम्नलिखित उपाय कर रहा है:—

(क) सभी प्रमुख निविदाओं के लिये इस्पात संयंत्रों के साथ सशक्त अनुवर्तन।

(ख) मुख्य संयंत्र/मिल आपूर्तिकर्ताओं के साथ गठजोड़, ताकि बिजली और स्वाचालन, जो इस्पात-संयंत्र से भेल को मिलने वाले कारोबार का मुख्य हिस्सा बनते हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली बोलियों में जुड़ जाएं।

वैज्ञानिकों की सहायता हेतु एक निगम की स्थापना

2293. **श्री राम नाईक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान कार्मों में सहायता देने हेतु एक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निगम की स्थापना में किस कारण विलम्ब हो रहा है; और

(घ) मामले को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इसे कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारत में विदेशी निवेश

2294. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** (क) क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अपेक्षा अमेरिका की लघु और मध्यम दर्जे की कम्पनियां भारत के आर्थिक सुधारों में अधिक रूचि ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश न करने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में निवेश करने हेतु आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) जुलाई, 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद अमरीकी कंपनियों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमोदित राशि जून, 1992 तक 549.26 करोड़ रु० है। यह कलैण्डर वर्ष 1990 के दौरान अमरीकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश राशि से 15 गुना से भी अधिक है। कुछ अमरीकी कंपनियों के नाम ये हैं—फोर्ड मोटर्स, आई०बी०एम०, जनरल इलैक्ट्रिक कंपनी, जनरल मोटर्स, जिलेट कंपनी, मोटोरोला, एम०ई०सी०, इत्यादि।

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने हेतु आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाए 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में दिए गए हैं।

म्यूच्युअल फंडों के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर

2296. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के शेयरों को म्यूच्युअल फंडों को बेचने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उपक्रमवार क्या योजना तैयार की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई निवेश घटाने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजना हेतु किन-किन सरकारी उपक्रमों का चयन किया गया है और उनको किस-किस अनुपात में बेचे जायेंगे?

उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग एक सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (घ) जैसा कि वर्ष 1992-93 के अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जी ने पहले ही घोषणा की थी कि वर्ष 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ और शेयरों की बिक्री करके 3500 करोड़ रुपये जुटाये जायेंगे। सरकार ने इन शेयरों की और बिक्री करने के लिये विभिन्न योजनाएं सुझाने हेतु श्री वी० कृष्णामूर्ति, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में, एक समिति गठित की है। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट सरकार द्वारा अभी प्राप्त की जानी है।

जिला उद्योग केन्द्र

2297. **श्री प्रबीन डेका:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन जिलों में इन केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) और (ख) असम के 17 जिलों में कार्यरत केन्द्र द्वारा प्रायोजित डी०आई०सी०कार्यक्रम के तहत जिला उद्योग केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) छः नवनिर्मित जिलों यानि धोहीमाजी, मोरीगांव, बौंगाईगांव, हैलाकांडी, तिनसुकिया तथा गोलाघाट में कोई पृथक जिला उद्योग केन्द्र नहीं है। तथापि, ये जिले मौजूदा जिला उद्योग केन्द्रों के दायरे में आते हैं।

(घ) भारत सरकार ने असम के नवनिर्मित जिलों में नये जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

विवरण

असम में जिला उद्योग केन्द्रों की सूची

1. कछार
2. डिब्रूगढ़
3. गोलपाड़ा
4. कामरूप
5. नौगांव
6. दारांग
7. लखीमपुर
8. सिबसागर
9. कारबी आंगलौंग
10. उत्तरी पर्वतीय कछार
11. धुबरी
12. कोकराझार
13. करीमगंज
14. बारपेटा
15. सोनितपुर
16. जोरहाट
17. नलबाड़ी

यूरेनियम के उत्पादन पर खर्च

2298. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में यूरेनियम के उत्पादन के लिए धन के आवंटन को काफी कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो धन राशि कम करने के क्या कारण हैं और यह धनराशि कितनी कम की गई है; और

(ग) क्या इससे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किये जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौयोगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में यूरेनियम का उत्पादन करने के लिए चालू तथा नई परियोजनाओं हेतु परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं। सरकार किफायत से यूरेनियम की प्राप्ति के लिए उसके नए स्रोतों का अन्वेषण करने और उनका पता लगाने के लगातार प्रयास कर रही है। मेघालय में होमियासियात नामक स्थल पर एक नए स्रोत का पता लगाया गया है और इस स्रोत की वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए अन्वेषणात्मक खनन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग में छटनी

2299. **श्री साईमान मराण्डी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग में नियोजित कर्मचारियों की छटंनी करने का केन्द्र सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खादी और ग्रमोद्योग के विकास के लिए नई योजना तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) और (ख): खादी और ग्रामोद्योगों में नियोजित कर्मचारी मुख्यतः विभिन्न संस्थानों, स्वयं सेवी संगठनों और सहकारी समितियों के कर्मचारी हैं जो खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न हैं। इसलिए केन्द्र सरकार का इन पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। अतः इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें इत्यादि इन संस्थानों के आंतरिक मामले हैं।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विकास के लिए निम्नलिखित नई योजनाएं तैयार की है:—

1. छोटी चावल मिल
2. दलिया बनाना
3. पशु-चारा/मुरगी-चारा
4. चमड़े के लिए जिला कच्चा माल बैंक
5. पुनः चर्म-शोधन तथा परिष्करण (वेट ब्ल्यू क्रश के बाद)
6. दूध पर आधारित उत्पाद
7. सीसल फाइबर उत्पादन एकक
8. बान उत्पादन एकक
9. फाइबर फैन्सी आर्टिकल यूनिट
10. कोरा ग्रास मेट वीविंग यूनिट
11. केला रेखा उत्पादन एकक
12. वटारा उत्पादन एकक
13. रस्सी बनाने का एकक
14. टाट पट्टी बुनकर परिवार एकक
15. अनिवार्य तेल/इत्र एकक
16. जवाधू पाउडर एकक
17. 6 पावर घानी वाला एकक, "4" वेल्ट एक्सपेलर एकक

18. रोटरी और एक्सपेलर एकक (2 जमा एक)
19. हवाई चप्पलें।

उपर्युक्त के अलावा, अपरम्परागत ऊर्जा निविष्ट के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग कार्यकलापों की स्थापना करके एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और उड़ीसा में कालाधंडी, बिहार में सहरसा, तमिलनाडु में रानाथपुरम इत्यादि जैसे चुनिंदा जिलों में विशेष कार्यक्रम जैसी नई योजनाओं के विकास का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2300. **श्रीमती जयप्रभा अर्स:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक का विचार रागी और ज्वार की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने रागी और ज्वार की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि मांगी गई है; और

(घ) क्या सरकार इस पर सहायता देने पर सहमत हो गई है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि खुले बाजार से रागी और ज्वार की वसूली करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनका वितरण करने की एक योजना उनके द्वारा तैयार की गई है परन्तु अभी इस पर निर्णय किया जाना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वच्छता व्यवस्था के लिए धनराशि

2301. **श्री के० प्रधानी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र को स्वच्छता व्यवस्था में सुधार करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इसका ग्रामीण/शहरवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त आवंटन इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिये और अधिक धन-राशि आवंटित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा औषध मूल्य नियंत्रण आदेश का कथित उल्लंघन

2302. **डा० जयन्त रंगपी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 के उल्लंघन किए जाने के मामलों का वर्षवार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख): बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित औषध कंपनियों द्वारा प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के अधिक मूल्य वसूलने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और ये मामले जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। संलग्न विवरण में इन मामलों की सूची दी जाती है।

विवरण

क्र०सं०	कंपनी का नाम	प्रपुंज औषध/सूत्रयोग का नाम
1	2	3
1.	मै० साराभाई एम० केमिकल्स	विटामिन सी
2.	मै० वार्नर हिन्दुस्तान	आइसोकिन
3.	मै० बायोहींगर क्रोल	इम्लुकोन
4.	मै० आईडीपीएल	आयातित प्रपुंज औषध
5.	मै० ए० पी० केमिकल्स	पेरासिटामोल
6.	मालाडी ड्रग्स	इफेड्रिन
7.	मै० कृपा ट्रेडर्स	रिफैम्पिसिन
8.	मै० आईडीपीएल	सल्फाडिमिडाइन
9.	मै० सेन्डोज (आई०) लि०	मल्टी विटामिन्स
10.	मै० फाइजर (आई) लि०	मल्टी विटामिन्स
11.	लूपिन लैब्स०	रिफैम्पिसिन, इथाम्बुटोल और पायराजिना माइड
12.	मै० केरूज फार्मास्युटिकल्स	काम्बीफलेम
13.	मै० भारत केमिकल्स	पेरासिटामोल
14.	मै० आई० आर० एन्टरप्राइजिज	पेरासिटामोल
15.	मै० स्टार एन्टरप्राइजिज	पेरासिटामोल
16.	मै० श्री पारस फार्मास्युटिकल्स	पेरासिटामोल
17.	मै० लिखीस केमिकल्स	ट्रिमेथोप्रीम
18.	मै० मेरिण्ड	डेक्सामेथासोन

1	2	3
19.	मै॰ नोवाकेयर प्रा॰ लि॰	मेगाडोल गोलियां
20.	मै॰ मेल्सस फार्मास्युटिकल्स	आईबोक्सस कैप्सूल्स
21.	मै॰ अल्टिम फार्मास्युटिकल्स	प्रोक्सीवोन कैप्सूल्स
22.	मै॰ लायका लैब्स॰	फ्लूकोर्ट रेंज के सूत्रयोग
23.	मै॰ केरूज फार्मास्युटिकल्स	काम्बीफलेम टिकियां
24.	मै॰ इन्फार (आई) लि॰	डेक्सोना टोपिक
25.	मै॰ डेनिस फार्मा॰	फ्लागाइल इन्जेक्शन
26.	मै॰ रेनबैक्सी लैब्स॰	ब्रूसटान टिकियां अतिरिक्त
27.	मै॰ केडिला लैब्स॰	डेक्सोना आंख/कान ड्रोप्स
28.	मै॰ अल्बर्ट डेविड (आई) लि॰	अनाल्गालाम टि॰
29.	मै॰ रहोने पोलेन्क (आई) लि॰	एवोमाइन

पंजाब में होशियारपुर में कुओं की खुदाई

2303. **श्री कमल चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में होशियारपुर जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में कुओं की खुदाई के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत किन स्थानों का चयन किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चमड़ा उद्योग के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम सहायता

2304. **श्री सुबास चन्द्र नायक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों को चमड़े तथा चमड़े से बनी वस्तुओं के विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी गई है; और

(ग) चमड़े तथा चमड़े से बनी वस्तुओं के विकास हेतु प्रत्येक राज्य को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी-कितनी सहायता दी गई?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं। तथापि, कलकत्ता महानगर में बहुत अधिक संख्या में चर्मशोधन शालाओं से पैदा हुई गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के कारण 160 लाख अमरीकी डालर का यू एन डी पी निवेश प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए निर्धारित किया गया है तथा पश्चिम बंगाल सरकार इसमें एक भागीदार अभिकरण के रूप में कार्य करेगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2305. **श्री महेश कुमार कनोडिया:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में अप्रैल, 1992 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) इन उपक्रमों का वार्षिक उत्पादन कितना है और इससे इन्हें कितना मुनाफा/घाटा हुआ है तथा इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) गुजरात की उन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्रीय सरकार पूंजीनिवेश करना चाहती है और ऐसी किन-किन केन्द्रीय परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है और ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन): (क) और (ख): केवल 31.3.1991 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे दो उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में स्थित हैं।

(ग) नई परियोजनाओं में पूंजीनिवेश का प्रस्ताव अथवा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार/आधुनिकीकरण उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अधीन निर्माणाधीन/कार्यान्वयानाधीन प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खंड-1 (पृष्ट संख्या 55) में दिया गया है जिसे दिनांक 5.3.1992 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

विभिन्न उद्योगों में मन्दी

2306. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजकल मोटर वाहन, टेलीविजन और औषध जैसे उद्योगों को मन्दी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय बजट 1992-93 में घोषित उपाय जैसे शुल्कों में कमी, छोटी नकारात्मक सूची को छोड़कर आयात लाइसेंसीकरण समाप्त करना, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली लागू करना, सांविधिक नकदी अनुपात

में कमी, ब्याज दरों में कमी, इत्यादि जिसमें आटोमोबाइल, इलैक्ट्रोनिक तथा औषध के लिए शुल्क में कमी भी शामिल है, औद्योगिक क्षेत्र सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किये जाते हैं।

सेवानिवृत्त अधिकारियों और नौकरशाहों की पुनः नियुक्ति

2307. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति करने संबंधी नीति का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त कुछ सर्वोच्च अधिकारियों और नौकरशाहों को हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर पुनः नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या इनमें से मंत्री मंडल सचिवालय में भी कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें समाप्त किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो इसके कया कारण हैं; और

(घ) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (घ): सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति या पुनर्नियोजन के विरुद्ध स्पष्ट ~~अनुदेश~~ जारी किए गए हैं। लेकिन आपवादिक मामलों में लोक हित में ऐसा हो जाता है। ऐसी नियुक्तियों के ब्यौरे केन्द्रीवृत रूप में उपलब्ध नहीं हैं लेकिन इन्हें एकत्र करके सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान में खराबी होने के कारण

2308. **प्रो० रासा सिंह रावत:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिटों में बार-बार खराबी होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन खराबियों को दूर करने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि ऐसी खराबियां दुबारा न हों?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की दक्षिणी एंड शील्ड में हल्के पानी का रिसाव होने के परिणामस्वरूप इस यूनिट को लम्बे समय तक बन्द रखना पड़ा। इस समय इस यूनिट को अगम्य क्षेत्र में कलैण्ड्रिया के अति दाब वाले उच्चावच उपकरण के आवरण से होने वाले मामूली से रिसाव को बन्द करने की कठिन समस्या की वजह से बन्द किया हुआ है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट उस समय से जब 1981 में इसने वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पादन करना शुरू किया, भली-भांति काम कर रहा है और इस यूनिट ने जून, 1992 के अन्त की स्थिति के अनुसार 73% कार्यकाल उपलब्धता गुणक और 59% क्षमता गुणक प्राप्त किया है।

(ख) पहले यूनिट की दक्षिणी एण्ड शील्ड की मरम्मत की समस्या यह थी कि इसमें निरीक्षण और मरम्मत का काम दूर से हस्तन की जाने वाली प्रक्रियाओं द्वारा किया जाना था क्योंकि वह जगह रिएक्टर क्रोड के नजदीक होने के कारण उच्च विकिरण क्षेत्र होने की वजह से पहुंच के बाहर थी। इस एंड शील्ड को यांत्रिक विधि से बन्द करना पड़ा और मरम्मत के बाद इस यूनिट ने सन् 1987 में 50% के सीमित विद्युत स्तर पर

उत्पादन करना शुरू किया। पहले यूनिट के अति दाब वाले उच्चावच उपकरण के आवरण से वर्तमान में हुआ यह रिसाव मामूली किस्म का है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए इन सभी जटिल मरम्मत प्रक्रियाओं, औजारों आदि को विकसित करने के वास्ते परमाणु ऊर्जा विभाग में ही उपलब्ध अनुसंधान और विकास कार्यों के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया गया। सामान्य तौर पर इस किस्म की समस्याओं का अनुमान निरोधक कार्रवाई के लिए नहीं लगाया जा सकता था। इस यूनिट से प्राप्त अनुभवों का इस्तेमाल बाद के यूनिटों के डिजायन में क्रमशः सुधार करके किया गया।

[अनुवाद]

औद्योगिक मूल्य निर्धारण आयोग की स्थापना

2309. **श्री मदन लाल खुरानाः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है ताकि उपभोक्ता के हितों की और अधिक कारगर ढंग से रक्षा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करने वाली कम्पनियों द्वारा अपनी वस्तुओं का अधिक मूल्य वसूल किए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार औद्योगिक मूल्य निर्धारण आयोग स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता, मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए पहले एक कार्य दल गठित किया था। उस कार्य दल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैः—

(1) "उपभोक्ता" तथा "शिकायत" की परिभाषाओं का विस्तार करना, ताकि स्वरोजगार हेतु माल खरीदने वाले व्यक्तियों और उपभोक्ताओं को होने वाली संभावित हानि/क्षति से संबंधित मामलों को इसके तहत लाया जा सके;

(2) सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं को इस अधिनियम की परिधि के भीतर लाना;

(3) उपभोक्ताओं की ओर से उपभोक्ता संगठनों को शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देना;

(4) तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों को जब्ती और रोकने (सीज एण्ड डैसिस्ट) आदेश जारी करने, दोषपूर्ण और असुरक्षित माल को वापस मंगाने आदि जैसी अतिरिक्त शक्तियां देना;

(5) राज्य आयोगों और जिला मंचों का धनराशि संबंधी न्यायक्षेत्र बढ़ाना;

(6) राज्य आयोग और जिला मंच गठित करने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेने की प्रक्रिया को समाप्त करना;

(7) अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारियों पर एक अलग अध्याय जोड़ना;

(8) तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों में वकीलों की भूमिका नियंत्रित करना;

(9) राष्ट्रीय आयोग/राज्य आयोगों/जिला मंचों के निर्णयों को संविधान के अनुच्छेद 323ख की परिधि में लाना, ताकि उन पर उच्च न्यायालय का रिट न्यायाधिकार लागू न हो; और

(10) तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों के गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना; आदि।

(ग) से (ङ): उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो को टैरिफ कमीशन के रूप में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है, ताकि जिन क्षेत्रों में विदेशी सहयोग के विरुद्ध अभी भी भारतीय उद्योग की रक्षा करने की आवश्यकता है वहां शुल्क और घरेलू मूल्यों को नियत करने तथा विशेषकर सार्वजनिक उपयोगिताओं के क्षेत्र में आकलित मूल्यों का निर्धारण करने के लिए एक अधिक सुस्पष्ट संस्थात्मक तंत्र बनाया जा सके। इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कोयला खानों के आसपास पर्यावरण प्रदूषण

2310. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के हजारीबाग, रांची, गिरीडीह, पलार, धनबाद, जमशेदपुर, गोइडा, देवघर और दुनका जिलों में कोयले के खनन, कोयला खानों के विस्तार, मशीनों और वाहनों के प्रयोग तथा कोयले के कणों के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है; और

(ख) इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० डी० न्यामगौड): (क) और (ख) कोयला खनन क्रियाकलापों, विशेषकर ओपेनकास्ट संबंधी क्रियाकलापों का, भूमि में गिरावट आ जाने, वायु और जल प्रदूषण, आदि के कारण पर्यावरण पर अनिवार्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिहार के विभिन्न कोयला खनन क्षेत्रों के लिए भी यह बात सत्य है। झरिया कोयला क्षेत्र, नार्थ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र ईस्ट बोकारो और वेस्ट बोकारो कोयला क्षेत्रों के लिए अग्रिम पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं, जोकि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रगामी रूप से कार्यान्वयन किए जाने के लिए मार्गनिर्देशों के रूप में कार्य करेंगी। ये रिपोर्टें कोयला खानों में भूमि सुधार तथा वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट के रूप में निजी कोयला परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं (ई०एम०पी०) भी तैयार की जाती हैं और प्रत्येक कोयला परियोजनाओं में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की जाती है।

कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी

2311. **श्री चेतन पी० एस० चौहान:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विकास को बढ़ावा देने हेतु इस क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी लागू करने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रगंराजन कुमारमंगलम): (क) से (ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने मार्च, 1989 से फसल जैव प्रौद्योगिकी में अनेक संकेन्द्रित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम आरम्भ किये हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई० सी० ए० आर०) को इन कार्यक्रमों से पूर्णतः सहबद्ध किया गया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य वर्तमान पादप प्रजनन प्रयासों की गति में तेजी लाने के लिये पादप प्रजनन सामग्री तथा पूर्व-प्रजनन आनुवंशिक भण्डार विकसित करना है। विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

पीड़क जन्तु तथा रोग प्रतिरोधी अधिक उपज वाली किस्में विकसित करने के लिये आनुवंशिक तथा जैव प्रौद्योगिकीय पद्धतियों से चार, राष्ट्रीय महत्व की फसलों अर्थात् चावल, सरसों, चना तथा गेहूं को छांटा जा रहा है।

जैव प्रौद्योगिकी विषयक अनुसंधान क्षमता तथा प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिये सम्पूर्ण देश की वर्तमान संस्थाओं में मार्च, 1990 से पादप आण्विक जीवविज्ञान (सी० पी० एम० बी०) के छः केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक सी० पी० एम० बी० को समस्योन्मुखी आधारभूत तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों से सम्बन्धित कुछ फसलें सौंपी गई हैं।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एकीकृत पीड़क जन्तु प्रबन्ध-व्यवस्था के अधीन पीड़क जन्तुओं तथा रोगों के जैविक नियन्त्रण सम्बन्धी एक नेटवर्क कार्यक्रम आरम्भ किया है। जैव नियन्त्रण कर्मकों की कारगरता के सफल प्रदर्शन के आधार पर जैव नियन्त्रण कर्मकों के भारी मात्रा में उत्पादन हेतु दो जैव नियन्त्रण प्रायोगिक संयंत्र एकक स्थापित किये गये हैं।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रत्येक राज्य में लगभग 1000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र में तेल ताड़ कृषि की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है।

ऊतक संवर्धन इलायची उत्पाद प्रदर्शन परियोजना, विभाग द्वारा 1989 में मसाला बोर्ड तथा वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में चालू की गई थी।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने प्रौद्योगिकी विकास तथा जैव-उर्वरकों के प्रदर्शन सम्बन्धी एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। सुनिश्चित बढ़िया किस्म तथा लाभकारी राइजोबियल जैव उर्वरक के बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु किण्वक आधारित प्रक्रिया सम्बन्धी प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। नील हरित शैवालीय जैव उर्वरक के लिये विकेन्द्रित उत्पादन किये जाने का विचार है जहां चावल पैदा करने वाले कृषक गांव में ही जैव उर्वरकों का उत्पादन कर सकें।

अर्ध गहन झींगा उत्पादन प्रदर्शन परियोजना जिसका उद्देश्य लगातार दो फसलों में विपणन के लिये 10 टन झींगा प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्राप्त करना है, में जैव प्रौद्योगिकी सम्बन्धी काम में आने वाली सामग्री विशेषतः रोग निदान तथा नियंत्रण, फसलोपरान्त संसाधन, स्वदेशी चारे के विकास इत्यादि के द्वारा 8.5 टन झींगा प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त किया गया है।

भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना के अन्तर्गत गायों तथा भैंसों में भ्रूण उपलब्धि तथा भ्रूण प्रत्यारोपण एवं सम्बद्ध तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया गया है। इस प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण तथा वास्तविक अनुप्रयोग/उपयोग के लिये चार क्षेत्रीय केन्द्र तथा 20 राज्य स्तरीय केन्द्र स्थापित किये

गये हैं। पशु जन्म नियंत्रण वैक्सीन तालसुर, आनुवंशिकीय रूप से श्रेष्ठ गायों के भण्डार की स्थापना तथा कुक्कुट आबादी की वृद्धि दर में सुधार एवं प्रतिरक्षा नैदानिकियों के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है।

जन-शक्ति निर्यात कार्यालय

2312. **डा० वी० राजेश्वर:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औद्योगिक रूप से एवं अन्यथा किसी अन्य तरह से पिछड़े हुए प्रत्येक जिला मुख्यालय में कोई जन-शक्ति निर्यात कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिक शिक्षा केन्द्र

2313. **श्री ई० अहमद:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में श्रमिक शिक्षा केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का केरल में कालीकट स्थित श्रमिक शिक्षा केन्द्र को कहीं और स्थानांतरित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत श्रमिक शिक्षण केन्द्रों के राज्य वार स्थानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की उप समिति की इस सिफारिश के अनुसरण में, कि राज्यों की राजधानियों में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है, को झीकोडे से क्षेत्रीय केन्द्र को त्रिवेंद्रम ले जाने का प्रश्न बोर्ड के विचाराधीन है।

विवरण

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत श्रमिक शिक्षण केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाली सूची।

राज्य / संघ०क्षे०	क्षेत्रीय केन्द्रों का स्थान	उप क्षेत्रीय केन्द्रो का स्थान
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद 2. विजयवाड़ा 3. विशाखापटनम	

1	2	3
असम	4. तेजपुर	1. शिलांग
	5. तिनसुकिया	
बिहार	6. धनबाद	
	7. जमशेदपुर	
	8. मुजफफरपुर	
	9. रांची	
गुजरात	10. अहमदाबाद	
	11. बड़ौदा	
	12. राजकोट	
गोवा	13. पोंडा	
हरियाणा	14. फरीदाबाद	
हिमाचल प्रदेश	15. शिमला	
जम्मू एवं कश्मीर	16. श्रीनगर	2. जम्मू
कर्नाटक	17. बंगलौर	
	18. हुबली	
	19. हस्सन	3. मैसूर
केरल	20. कोचीन	
	21. कोझीकोडे	4. राजमुन्द्री
मध्य प्रदेश	22. ग्वालियर	
	23. भिलाई	
	24. इन्दौर	
	25. जबलपुर	5. भोपाल
महाराष्ट्र	26. बम्बई	
	27. थाणे	6. नासिक
	28. नागपुर	7. जलगॉव
	29. पुणे	8. कोल्हापुर
मणिपुर	30. इम्फाल	
उड़ीसा	31. राऊरकेला	
	32. कटक	
पंजाब	33. चंडीगढ़	
राजस्थान	34. जयपुर	
	35. जोधपुर	
तमिलनाडु	36. कोयम्बटूर	
	37. मद्रास	9. शिवाकासी
	38. मदुरै	10. त्रिचिरापल्ली

1	2	3
उत्तर प्रदेश	39. आगरा	11. अमेठी नगर
	40. इलाहाबाद	12. वाराणसी
	41. बरेली	13. हल्द्वानी
	42. कानपुर	14. सहारनपुर
	43. गोरखपुर	15. लखनऊ
पश्चिम बंगाल	44. आसनसोल	16. दुर्गापुर
	45. बैरकपुर	
	46. कलकत्ता	
	47. सिलीगुड़ी	
संघ राज्य क्षेत्र	48. दिल्ली	

[हिन्दी]

रोज़गार प्रदान करना

2314. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:**
श्री महेश कनोडिया:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोज़गार प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार और वर्ष-वार, कितने लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया;

(ग) क्या निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) रोज़गार उपलब्ध करने के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया था, उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, रोज़गार कार्यालय उन अनेक अभिकरणों में से एक है जिनके माध्यम से रोज़गार चाहने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती है। रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्त किए गए व्यक्तियों की राज्य-वार तथा वर्ष-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या		
		1989	1990	1991 (हजारों में)
1.	आंध्र प्रदेश	27.4	18.3	15.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	***
3.	असम	6.3	4.8	4.0
4.	बिहार	15.4	16.1	13.0
5.	गोवा	0.9	0.8	0.8
6.	गुजरात	14.2	16.2	16.2
7.	हरियाणा	6.9	7.1	7.3
8.	हिमाचल प्रदेश	6.9	6.1	3.8
9.	जम्मू और कश्मीर	0.4	0.5	0.7
10.	कर्नाटक	8.3	8.2	14.1
11.	केरल	14.2	15.4	16.1
12.	मध्य प्रदेश	27.8	21.3	14.9
13.	महाराष्ट्र	23.9	27.9	29.6
14.	मणिपुर	0.3	0.3	0.1
15.	मेघालय	0.3	0.6	0.5
16.	मिजोरम	0.9	1.0	0.8
17.	नागालैंड	0.2	0.4	0.2
18	उड़ीसा	9.1	12.3	7.6
19.	पंजाब	6.5	4.8	6.4
20.	राजस्थान	8.8	7.6	11.1
21.	सिक्किम	*		
22.	तमिलनाडु	45.5	40.2	38.5
23	त्रिपुरा	1.1	0.8	0.4
24.	उत्तर प्रदेश	25.8	19.0	17.4
25.	पश्चिम बंगाल	10.7	9.1	9.7
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.1	0.7	0.5
27.	चंडीगढ़	1.6	1.3	1.3
28.	दादर और नगर हवेली	0.1	—	0.1
29.	दिल्ली	23.0	23.4	22.0
30.	दमन और दीव	*	**	***
31.	लक्षद्वीप	0.2	0.2	0.1
32.	पांडिचेरी	1.1	0.3	0.3
	योग	289.2	264.5	253.0

* राज्य में कोई रोज़गार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

** आंकड़े नहीं रखे जाते।

*** 50 से कम आंकड़े।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भ्रष्टाचार

2315. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के पदों, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में भर्ती हेतु आयोजित परीक्षाओं में कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है और इनमें कितनी सच्चाई है; और

(ग) इस बारे में उपचारात्मक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राजय मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा): (क) से (ग) जून, 1991 को आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के कतिपय प्रश्न पत्र लीक हो गए थे और इस तरह इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया तथा नए सिरे से परीक्षा सितम्बर, 1991 में आयोजित की गई। दिनांक 7-6-92 को आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1992 में इलाहाबाद के एक उप केन्द्र पर एक पर्यवेक्षक को दोपहर 2-30 बजे परीक्षा प्रारंभ होने के बाद सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र की फोटो प्रतियां करते पाया गया था। पुलिस ने पर्यवेक्षक को पकड़ लिया और मूल प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ-साथ उसकी फोटो प्रतियां जब्त कर ली। पुलिस द्वारा दर्ज फर्द बरामदगी के अनुसार प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं तथा इनकी फोटो प्रतियों के अभिग्रहण का समय 3-00 बजे अपराह्न था। अतः संघ लोक सेवा आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसे विश्वास का कोई कारण नहीं है कि 2-30 बजे अपराह्न परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था।

जून, 1991 में आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1991 के कतिपय प्रश्न पत्रों के लीक होने के अतिरिक्त पिछले पांच वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लीक होने का कोई अन्य उदाहरण नहीं है, तथापि, 1990 में आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के प्रश्न पत्रों और सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 1991 के प्राणी विज्ञान प्रश्न पत्र के लीक होने के निराधार आरोप हैं।

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धति की विश्वसनीयता को और मजबूती प्रदान करने के विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

सी०एम०सी० लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा किया गया व्यय

2316. **श्री कड़िया मुण्डा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपोरेशन (सी०एम०सी०) लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी दौरों पर अत्यधिक धनराशि व्यय की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम से कम व्यय करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदित परमिट के अनुसार सीएमसी लि० के कुछ अधिकारियों को कर्मचारियों के रशिक्षण तथा कम्पनी के कार्य के सिलसिले में प्रतिवर्ष विदेशों में जाना पड़ता है।

वर्ष 1991-92 के दौरान सी०एम०सी० लिमिटेड के अधिकारियों के विदेशी दौरों पर (लगभग) 29.20 लाख रु० खर्च किए गए।

विदेश जाने के संबंध में कर्मचारियों के सभी प्रस्तावों की जांच उनकी आवश्यकता की दृष्टि से की जाती है तथा अनुमति कम से कम आवश्यक अवधि के लिए दी जाती है।

कर्नाटक में वेट्स एण्ड लीगल मेट्रोलोजी के लिए सहायता

2317. **श्री जी० माडे गौडा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में वेट्स एण्ड मेज़र विभाग के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता राशि मांगी गई है;

(ग) सहायता किस प्रयोजनार्थ मांगी गई है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार की, राज्यों में बाट तथा माप विभागों को गतिविधियों की सुप्रणाही बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा के लिए योजनाएं

2318. **प्रो० रासा सिंह रावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा के विकास हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं और विभिन्न योजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार की संदर्शी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) परमाणु ऊर्जा विभाग की योजनागत गतिविधियां तीन क्षेत्रों में फैली हुई हैं, नामतः (i) अनुसंधान और विकास कार्य (ii) उद्योग और खनिज, तथा (iii) विद्युत। 1990-91 और 1991-92 के लिए अनुमोदित योजनागत परिव्यय तथा पिछले दो वर्षों में हुआ व्यय नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

	योजनागत परिव्यय 1990-91	वास्तविक 1990-91	योजनागत परिव्यय 1991-92	वास्तविक 1991-92 (अनंतिम)
अनुसंधान और विकास कार्य	112.00	98.29	120.15	80.40
उद्योग और खनिज	293.00	185.53	207.00	214.16
विद्युत	825.62	802.40	577.88	634.64
	1230.62	1086.22	905.03	929.20

1991-92 में हुए व्यय के अंतिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारत नाभिकीय ईंधन चक्र संबंधी सभी गतिविधियों में पहले से ही आत्म निर्भर देश है। इन सभी गतिविधियों में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कायम रखने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

2319. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:**
श्री मुमताज अंसारी:
प्रो० के० वी० थामस:
श्री साईमन मरान्डी:
श्री एन०जे० राठवा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रॉकेट के प्रक्षेपण हेतु रूप से क्रायोजेनिक इंजनों की सप्लाई तथा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कब तक किया जायेगा;

(ख) रूस के इंजन सहित यह रॉकेट कब तक प्रक्षेपित किया जायेगा;

(ग) इसके लिए रूस के साथ कितनी धन-राशि देने का करार किया गया और भारत द्वारा अब तक कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के भीतर ही आधुनिकतम इलेक्ट्रानिक उपकरणों का निर्माण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(छ) इस संबंध में भारत को कितनी सफलता मिलने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) रूस से प्रथम क्रायोजनिक इंजिन और स्टेज की आपूर्ति वर्ष 1995 के मध्य में की जायेगी। द्वितीय इन्जिन और स्टेज की आपूर्ति वर्ष 1995 के अन्त तक की जायेगी। प्रौद्योगिकी अन्तरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और यह इस अवधि के दौरान समान्तर रूप में निष्पादित होगी।

(ख) रूसी इंजिन सहित भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (जी०एस०एल०वी०) की प्रथम उड़ान वर्ष 1995 के अन्त में प्रमोचन के लिए निर्धारित है।

(ग) करार की धनराशि 235 करोड़ रुपये है। भारत द्वारा अब तक 70.5 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) जी, हां। अन्तरिक्ष विभाग (अं०वि०) अपने कार्यक्रम के भाग के रूप में अन्तरिक्ष परियोजनाओं के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक इलेक्ट्रानिकी उपकरणों को विकसित करने के कार्य में लगा हुआ है।

(ङ) उपग्रह/प्रमोचक रॉकेट दूरमिति, अनुवर्तन, दूरादेश और नियंत्रण, दूरसंचार इत्यादि के लिए भू-केन्द्रों में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रानिकी उपकरण विकसित किए जा रहे हैं तथा इनमें से अधिकतर स्वदेशी रूप में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ-साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्तरिक्ष विभाग ने इन उपकरणों की अधिकतर प्रौद्योगिकियां भारतीय उद्योगों को अन्तरित की हैं। विश्व में नवीनतम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त मदों को विकसित किया जा रहा है।

(च) लागू नहीं, क्योंकि स्वदेशी विकास जहां कही भी सार्थक पाया गया है, उसे अन्तरिक्ष विभाग ने विकसित करने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

(छ) अब तक की सफलता दर काफी उच्च रही है और अन्तरिक्ष विभाग/भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के केन्द्रों में इन कार्यों के लिए निर्धारित उच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, इनकी प्रगति का गहन मॉनीटरन किया जाता है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों के लिए योजनाएं

2320. **श्री ई० अहमद:**
श्री संदीपान भगवान थोराट:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए कोई ब्यूरो स्थापित किया है अथवा कोई योजना तैयार की है ताकि वे विकासशील भारतीय उद्योग के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने अनिवासी भारतीयों और उनके श्रेष्ठ संगठनों तथा सरकार के विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) तकनीकी अन्तरण के नियमों को उदार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) भारत सरकार, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के माध्यम से अनिवासी भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के उपयोग के लिए दो कार्यक्रमों को चलाती है।

(ख) (i) ट्रासफर ऑफ नोलेज थ्रू एक्सपेट्रिएट नेशनल्स (टोक्टेन) प्रोग्राम जिसे यू० एन० डी० पी० द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं, वर्ष 1980 से चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान तथा विकास संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और औद्योगिक संगठनों—सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही के साथ परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

(ii) भारत सरकार द्वारा निधियां—प्रदत्त इंटरफेस फॉर नोन रेजीडेन्ट इंडियन साइंटिस्ट एण्ड टेक्नोलॉजीस्ट्स (इनरिस्ट) प्रोग्राम वर्ष 1990 से चल रहा है। इनरिस्ट कार्यक्रम के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

भारत में एन आर आइ विशेषज्ञता का प्रयोग करने के लिए वातावरण तैयार करना।

— उपलब्ध एन आर आइ विशेषज्ञता पर सूचना संकलित करना तथा उसका विश्लेषण करना और विशेषज्ञों की एक निदेशिका प्रकाशित करना।

— भारत में अनिवासी भारतीय व्यवसायियों के लिए चुनौतियों/अवसरों/सुविधाओं का पता लगाना।

— भारत में अनिवासी भारतीयों के सम्पर्क, मिलन-स्थान, स्थापना और संबंधों को सुगम बनाना।

— विभिन्न क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना के लिए एक फोकल बिन्दु के रूप में कार्य करना।

— अनुसंधान तथा विकास यूनिटों की स्थापना की संभावनाओं अथवा औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्रों के लिए क्रिटिकल आइटम व मैटेरियल के निर्माण को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण प्रकृति की सुविधाओं का पता लगाना।

— मिशन क्षेत्रों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रघात तथा नए उभरते क्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्रों में एन आर आइ विशेषज्ञता को शामिल करना।

— अनिवासी भारतीयों के सहयोग से चुने हुए क्षेत्रों में स्वतन्त्र अथवा संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए कार्य करना।

(ग) इन कार्यक्रमों का देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया है।

(घ) भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अनिवासी भारतीयों व उनके स्वामित्व वाली ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज को निवेशित पूंजी तथा उससे होने वाली आय के प्रत्यावर्तन के पूरे लाभों सहित उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100 प्रतिशत तक फोरेन इक्विटी के निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

आपात्कालीन पासपोर्ट

2321. **श्री वी० एस० विजय राघवन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आपात्कालीन पासपोर्ट प्रणाली को समाप्त कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने शीघ्रता पूर्वक पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई अन्य उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनंदन लाल भाटिया) : (क) और (ख) विगत में क्षेत्रीय पापसोर्ट कार्यालयों को बिना बारी के पासपोर्ट जारी करने के आवदकों का मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के पास भेजना होता था। तथापि, 2.7.92 से पासपोर्ट कार्यालयों को अपने विवेकाधिकार का पालन करते हुए बिना बारी के पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि वास्तविक संकट के मामलों में शीघ्रता से कार्रवाई की जा सके।

(ग) और (घ) सरकार ने पासपोर्ट जारी करने में शीघ्रता बरतने की दृष्टि से पासपोर्ट कार्यालयों में स्टाफ क्षमता बढ़ाने और प्रक्रिया को पुनर्गठित करने का जिसमें कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है, कार्य आरम्भ किया है।

अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे वैज्ञानिक

2322. **श्री अनन्तराव देशमुख:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसंधान और विकास कार्यों में प्रति दस लाख जनसंख्या पर लगभग कितने वैज्ञानिक और इंजीनियर कार्य कर रहे हैं;

(ख) अमरीका, जापान, कोरिया, चीन आदि विकसित/विकासशील देशों के तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) देश में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपाय करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) कुछ सूचीबद्ध विकसित/विकासशील देशों में अनुसंधान और विकास में लगे प्रति दस लाख जनसंख्या पर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:—

देश	वर्ष	संख्या
भारत	1990	155
अमरीका	1988	3853
जापान	1989	5172
कोरिया गणराज्य	1988	1347
चीन	उपलब्ध नहीं है	—

(ग) अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए पहले जो अनेकों उपाए किये गये हैं, उन्हें समर्थन दिया जाना जारी रहेगा। इनमें से विशिष्ट की सूची नीचे दी गई है:—

— वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कार्य दशाओं को सुधारने के लिए वैज्ञानिक संस्थाओं को वर्धित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

— व्यक्तिगत तथा संस्थाओं द्वारा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कारों और पारितोषिकों की स्कीमें।

— मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनेकों स्कीमों के जरिये राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में अनुसंधान और विकास को समर्थन।

— वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के क्रोड़ समूहों को अनुसंधान कार्य के लिए अपेक्षित आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के वास्ते समर्थन के द्वारा चुने हुए उच्च अनुसंधान के क्षेत्रों पर विशेष जोर देना ताकि वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके।

— उत्पादन सेक्टरों द्वारा और उनके अंतर्गत किये जाने वाले अनुसंधान को राजकोषीय प्रोत्साहनों के द्वारा बढ़ावा देना।

— भारतीय मूल के प्रतिष्ठित व्यवसायियों को, जो विदेश में बस गये हैं, अल्पावधि तकनीकी नियुक्तियों के लिए आमंत्रित करना।

[हिन्दी]

मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा कल-पुर्जों का आयात

2323. **श्री रामेश्वर पाटीदार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड अपनी मारूति कारों/वैनों के लिए कल-पुर्जों का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन कल-पुर्जों का आयात किस देश से किया जा रहा है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे आयातों पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) और (ख) मारूति उद्योग लिमिटेड मारूति वाहनों के कल-पुर्जों का आयात जापान से करती है, सिवाय एक मद के जिसका आयात हालैण्ड से किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस प्रकार के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	वाहनों के कल-पुर्जों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा (सी०आई०एफ० मूल्य करोड़ रुपयों में)
1989-90	14.76
1990-91	6.33
1991-92	14.50

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2324. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के विभिन्न कार्यालयों में श्रेणीवार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की;

(ख) क्या इन कर्मचारियों ने छंटनी की आशंका से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की है; और

(ग) उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने पर सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक-सेवानिवृत्ति ली है, उनकी संख्या (वर्गवार) निम्न प्रकार है:

वर्ष	वर्ग			
	कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार	योग
1989-90	9	2	3	14
1990-91	7	1	9	17
1991-92	390	127	504	1021
	406	130	516	1052

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार ने 20.50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

लघु उद्योग इकाइयों के लिए आवश्यक पंजीकरण

2325. **श्रीमती गीता मुखर्जी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक पंजीकरण के नियम को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बेरोजगार युवकों द्वारा स्थापित किए जा रहे अन्य लघु उद्योगों को भी समान सुविधाएं देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग(में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए लघु उद्योगों का पंजीकरण पूर्व-शर्त कभी नहीं रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री का दौरा

2326. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सिंगापुर के उप प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी भारतीय नेताओं के साथ किन-किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विषयों पर बातचीत हुई और उसका व्यापक तौर पर क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या उक्त दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां।

(ख) इन बैठकों में आपसी हित के विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श हुआ। सिंगापुर के उप प्रधान मंत्री ने भारत की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों तथा इस मसलों में से बहुत से मसलों के बारे में हमारे दृष्टिकोण की सराहना की। इस विचार के परिणामतः भारत तथा सिंगापुर के बीच पारस्परिक राजनैतिक तथा आर्थिक आदान-प्रदान बढ़ा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लि० की नई कंपनी

2327. **श्री सूरज मंडलः** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की राजमहल परियोजना, संथाल परगना, एस०पी० खान, कपसरा खान और निरसा क्षेत्र तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स के बनियाडीह क्षेत्र का विलय करके एक नई कंपनी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) सरकार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के कुछ वर्तमान क्षेत्रों को पुनर्गठित करके एक नई कोयला कंपनी स्थापित किए जाने के संबंध में माननीय सदस्य से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की जा रही है।

अत्यन्त छोटे औद्योगिक एकक

2328. **श्री प्रतापराव बी० भोंसलेः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 75000/- रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले अत्यन्त छोटे औद्योगिक एककों को दी जाने वाली सभी रियायतें वापस लेने संबंधी कुछ अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार से इन सभी रियायतों को बहाल करने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन अनुरोधों पर क्या कार्रवाई की है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को धनराशि न देना

2329. **श्री चित्त बसुः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बीच सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को धनराशि देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन उपक्रमों की धनराशि पहले ही रोक दी गयी है और किन-किन उपक्रमों को शीघ्र ही धनराशि देना बन्द किया जाने वाला है; और

(ग) इन उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को देय गैर-योजना ऋणों और राज सहायता संबंधी बजट प्रावधान "व्यय बजट खण्ड-1" में दिखाया गया है, जो संसद सदस्यों को परिचालित किये गये बजट दस्तावेजों का एक भाग है।

(ग) रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले रुग्ण उद्यमों के लिये पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बंधी योजनाएं बनाने हेतु उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना अपेक्षित है। एक विशेष त्रिपक्षीय समिति भी सरकारी क्षेत्र में रुग्णता के मामलों की जांच कर रही है, ताकि सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के भविष्य के बारे में विभिन्न प्रभावित पक्षों के बीच सहमति हो सके।

वित्तपोषण कार्यक्रम

2330. **श्री जार्ज फर्नांडीज:**
श्री गुरूदास कामत:
श्री अंकुशराव टोपे:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री मोहन रावले:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का विचार स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए अपना खुद का सीधा वित्तपोषण कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) योजना आयोग 1962 से अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य के लिए शैक्षिक संस्थाओं, अनुसंधान निकायों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता दे रहा है। संस्था विकास तथा आयोजना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 1972 से कुछ सहायता भी प्रदान की जा रही है। आठवीं योजना के दौरान योजना कार्यान्वयन को सहभागिता स्वरूप प्रदान करने के लिए विकेन्द्रीकृत आयोजना तथा आयोजना के मुख्य क्षेत्रकों में स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करने हेतु स्कीम में व्यापक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, तीन योजनाओं की जांच की जा रही है।

रुग्ण औद्योगिक एकक

2331. **श्री जितेन्द्र नाथ दास:**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्यवार रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इन एककों को कितनी हानि हुई; और

(ग) राज्य-वार इन एककों के घाटे को पूरा करने और उन्हें पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) देश में बैंकों द्वारा सहायता पाने वाले रूग्ण औद्योगिक एककों के बारे में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक संकलित करता है। सितम्बर, 1990 के अनत में लघु और गैर-लघु क्षेत्रों में रूग्ण औद्योगिक एककों की संख्या तथा इन पर बकाया बैंक ऋण की राशि के राज्य-वार आंकड़े संलगन विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) रूग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए भारत सरकार की पूरे देश के लिए एक समान नीति है। सरकार द्वारा रूग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलगन विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-I

सितम्बर, 1990 के अन्त में देश में लघु क्षेत्र और गैर-लघु औद्योगिक रूग्ण एककों के राज्य-वार ब्यौरे

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर-लघु औद्योगिक रूग्ण-एककों की संख्या	बकाया राशि	लघु औयोगिक रूग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि
1.	आसाम	8	11.37	4,448	25.47
2.	मेघालय	1	1.14	58	0.44
3.	बिहार	43	92.80	5,346	63.93
4.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	2.49	16	0.02
5.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	16	0.24
6.	पश्चिमी बंगाल	195	690.89	35,877	253.56
7.	नागालैंड	1	2.36	44	0.85
8.	मणीपुर	—	—	1,540	1.38
9.	उड़ीसा	33	94.59	6,505	41.45
10.	सिक्किम	1	2.52	65	0.47
11.	त्रिपुरा	—	—	563	1.75
12.	उत्तर प्रदेश	81	204.28	30,694	223.27
13.	दिल्ली	24	70.28	4,479	177.50
14.	पंजाब	27	33.86	5,084	85.51
15.	हरियाणा	49	144.59	3,519	68.83
16.	चंडीगढ़	23	47.24	272	8.78

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण-एककों की संख्या	बकाया राशि	लघु औद्योगिक रुग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि
17.	जम्मू और काश्मीर	1	7.80	1,806	8.12
18.	हिमाचल प्रदेश	15	27.90	1,192	11.55
19.	राजस्थान	51	111.71	11,519	59.38
20.	गुजरात	154	568.66	6,413	204.44
21.	महाराष्ट्र	312	1,301.97	19,873	521.20
22.	गोवा	12	23.18	1,244	14.03
23.	दमन तथा द्वीव	1	3.91	7	0.13
24.	दादरा तथा नागर हवेली	2	1.03	7	0.60
25.	मध्य प्रदेश	47	119.40	16,990	97.22
26.	आन्ध्र प्रदेश	128	412.54	29,977	195.39
27.	कर्नाटक	89	291.05	10,982	147.43
28.	तमिलनाडु	131	296.18	10,467	237.02
29.	केरल	32	165.45	16,115	156.41
30.	पांडिचेरी	5	5.08	206	4.49
	योग	1,467	4,734.27	2,25,324	2,610.86

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदंडों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों को पुनःस्थापना हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुर्नजीवन के लिए एक पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया।

(6) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(7) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरूज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमान्त धनराशि योजना भी चला रहा है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000 रुपये तक की जाती है।

(8) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। जीव्य-क्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरूज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना पुनर्वित्तीय योजना चलाई जा रही है।

सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

2332. **श्री राम विलास पासवान:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार सरकारी सेवा तथा सरकारी उपक्रमों में विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचति जनजातियों का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है; और

(ख) सरकार ने इन समुदायों के बकाया कोटे को भरने के लिए क्या उपाय किए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) केन्द्रीय सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित सूचना पहली जनवरी की स्थिति के अनुसार वार्षिक आधार पर एकत्र की जाती है। 1-1-91 की स्थिति अनुसार यह अद्यतन सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के बकाया आरक्षण कोटे को भरने के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों बैंकों तथा जीवन बीमा निगमों में वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 में विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। अन्तिम अभियान 31-3-92 को पूरा किया गया है।

विवरण

1-1-91 की स्थिति अनुसार केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

वर्ग	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	सफाई कर्मचारियों को छोड़कर समूह "घ"	कुल
कुल	62560	102532	2402089	1167836	3735017
अनुसूचित जाति	5689	12115	376015	248101	641920
प्रतिशत	9.09	11.82	15.65	21.24	17.19
अनुसूचित जनजाति	1584	2414	119666	79589	203253
प्रतिशत	2.53	2.35	4.98	6.82	5.44

1-1-91 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

वर्ग	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	सफाई कर्मचारियों को छोड़कर समूह "घ"	कुल
कुल	189581	177962	1419119	462684	2249346
अनुसूचित जाति	12148	16113	272463	132166	432890
प्रतिशत	6.41	9.05	19.20	28.57	19.25
अनुसूचित जनजाति	2930	4495	127993	84700	220118
प्रतिशत	1.55	2.53	9.02	18.31	9.79

केरल में औषधीय पौधों की खेती

2333. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान केरल में दुर्लभ औषधीय पौधों की खेती हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लिनियर एलक्लिक बैन्जीन का उत्पादन

2334. **श्री अमल दत्त:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन लाइसेंसधारियों/प्रोमोटरों का ब्यौरा क्या है जिन्होने मिट्टी के तेल से लिनियर एलक्लिक बैन्जीन का उत्पादन करने की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जुलाई, 1991 में औद्योगिक लाइसेंस नीति के उदारीकरण के बाद लीनियर अल्काइल बेन्जीन (एलएबी) को लाइसेंस के उपबंधों से छूट प्राप्त है। इसके अलावा मिट्टी के तेल अथवा कुछ अन्य स्तर से एलएबी का उत्पादन करने के लिये प्रवर्तक स्वतंत्र हैं। इस संबंध में अनुमति अपेक्षित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि उत्पाद विपणन कानून

2335. **श्री संदीपान भगवान थोरात:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1992 के "इकनामिक टाइम्स" में "प्ली टू चेंज फार्म प्रोडक्ट मार्किटिंग ला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नमूना कानून में पर्याप्त परिवर्तन करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राज्यों के वर्तमान मण्डी अधिनियमों तथा विभिन्न कृषि विपणन संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और कृषि उपज के विपणन हेतु विपणन ढांचे को कारगर और सुदृढ़ बनाने के लिये उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने हेतु पहले ही एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर लिया है। समिति वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ (ऐसोसिएटिड चैंबर्स आॅफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री) के सुझावों की पहले ही जांच कर रही है, जैसा कि उक्त समाचार में उल्लेख किया गया है।

पल्मीरा तन्तु का निर्माण

2336. **श्री धर्मभिक्षमः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा और मूल्य के पल्मीरा तन्तु का उत्पादन और निर्यात किया गया;

(ख) इसके निर्यात केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान उससे कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी?

उद्योग मंत्रालय लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान पल्मीरा तन्तु का उत्पादन और निर्यात नीचे दिया जाता है:—

वर्ष	उत्पादन (माला मी० टन में)	निर्यात (रु० करोड़ में)
1989-90	932.06	1.42
1990-91	765.05	1.22

(ख) पल्मीरा तन्तु का निर्यात तमिलनाडु राज्य पामगुड़ तथा तन्तु विपणन सहकारी संघ लि०, मद्रास के माध्यम से किया जाता है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान 2.64 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है।

तत्पश्चात लोक सभा 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई

11.02 म०पू०

लोक सभा 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

12.02 म० प०

लोक सभा 12.02 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले के बारे में— (जारी)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, जब तक सरकार इस बारे में निर्णय नहीं ले लेती, तब तक के लिए सभा स्थगित कर दी जानी चाहिये। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): बिना मुख्य मंत्री के पूछे केन्द्र सरकार ने वहां सैंट्रल फोर्स भेजा है...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

12.03 म०प०

(इस समय श्री सूर्य नारायण यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष महोदय: सभा 2.00 म०प० तक के लिये स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 म०प० तक के लिये स्थगित हुई

2.01 म०प०

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.01 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले के बारे में—(जारी)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: क्या कोई जानकारी हमारे लिये है? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है।

2.02 म०प०

(इस समय श्री सैयद मसूदल हुसैन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने अयोध्या में सैन्ट्रल फोर्स को भेजा है, इनका उद्देश्य है कि वहां नरसंहार कराया जाए और दूसरी ओर इनके इस एक्शन से सेन्ट्रल स्टेट रिलेशन्स में दरार आयेगी। यह बहुत अहम मसला है क्योंकि यह सेन्ट्रल फोर्स बिना चीफ मिनिस्टर की सहमति से भेजी है और चीफ मिनिस्टर ने भी इस पर अपना एतराज होम मिनिस्टर को जताया है।....(**व्यवधान**

[अनुवाद]

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा): हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। हम माननीय प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं। वह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 11.00 म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है

2.03 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 23 जुलाई, 1992/1 श्रावण, 1913 (शक) 11.00 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।